

सामान्य सचितता

For IBPS, SBI, RBI, LIC & Other Competitive Examinations



X-EEED PUBLICATION

विषय सूची

क्र.सं	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy)	01-08
2.	भारत में बैंकिंग का इतिहास (History of Banking in India)	09-11
3.	भारत में बैंको के विकास के चरण (Stages of Development of Banks in India)	12-34
4.	भारत में बैंकिंग प्रणाली का उन्नतिकरण (Updation of Banking System in India)	35-41
5.	मौद्रिक एवं साख निति (Monetory and Credit Policy)	42-44
6.	विभिन्न प्रकार के बैंकिंग अवयव (Different Kind of Banking Instruments)	45-48
7.	बेसल मानदंड (Basel Criterion)	49-51
8.	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन (International Financial Organizations)	52-59
9.	भारतीय वित्तीय एवं पूँजी बाजार (Indian Financial and Capital Market)	60-63
10.	 ♣ विविध (Miscellaneous) 1. पंचवर्षीय योजनाएँ (Five Yearly Plan) 2. बजट (Budget) 3. भारतीय कृषि (Indian Agriculture) 4. भारतीय के प्रमुख उद्योग (Main Industries Of India) 5. बेरोजगारी और निर्धनता (Unemployment And Poverty) 6. जनगणना (Census)- 2011 	64-78
11.	बैंकिंग एवं वित्तीय शब्द संक्षेप (Banking and Financial Terminology)	79-89
12.	बैंकिंग एवं आर्थिक संक्षिप्तीकरण (Banking and Financial Abbreviation)	90-94
13.	वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Questions)	95-111

भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy)

अर्थव्यवस्थाः एक परिचय (Economy: An Introduction)

अर्थव्यवस्था शब्द की उत्पत्ति 'अर्थ' एवं 'व्यवस्था' नामक दो शब्दों के संयुक्त होने से हुई है। अर्थ का तात्पर्य जहाँ 'मौद्रिक' से है वहीं व्यवस्था का तात्पर्य एक सुनिश्चित व संस्थापित प्रणाली से है। वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, (GDP के आधार पर) तथा क्रयशिक्त समता (Purchasing Power Parity) के आधार पर इसका स्थान तीसरा है, इसके अतिरिक्त भारत दुनिया के 20 सबसे बड़े आयातकों व निर्यातकों में शामिल है।

वर्ष 1991 के बाद भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया प्रारम्भ होने के बाद आज अपनी विशाल जनशक्ति, विविध प्राकृतिक संसाधन व वृहत अर्थव्यवस्था के मूलभूत तत्वों के कारण भारत विश्व की विशालतम व तीव्र गित से विकास कर रही अर्थव्यवस्था में से एक के आधार पर दुनिया में जाना जा रहा है।

अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकार (Different Types of Economy)

अर्थव्यवस्था के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था (Capitalist Economy)

इस अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था या स्वतन्त्र व्यापार प्रणाली की भी संज्ञा प्रदान की गई है। इस प्रणाली में उत्पादन के सभी महत्वपूर्ण साधनों का स्वामित्व, संचालन एवं नियंत्रण निजी उद्योगपितयों के हाथों में केन्द्रित होता है।

समाजवादी अर्थव्यवस्था (Socialist Economy)

आर्थिक विकास की वह प्रणाली जिसमें साधनों का आवंटन विनियोग की प्राथमिकताओं, उत्पादन के ढाँचे का निर्धारण मूल्य तथा लाभ की प्रेरणा से न होकर सामाजिक प्राथमिकताओं के आधार पर राज्य के द्वारा हो तो उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी जाती है।

मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy)

मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, बाजार तन्त्र तथा राज्य की भूमिका घनिष्ट रूप से सम्बन्धित होती हैं तथा दोनों एक इकाई के घटक के रूप में कार्य करते हैं अर्थात यह एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है, जिसमें पूँजीवादी और समाजवादी दोनों ही विचारधाराओं का समन्वय होता है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था के सिद्धान्त पर आधारित है।

कल्याणकारी अर्थशास्त्र (Welfare Economics)

यह एक ऐसा अर्थशास्त्र है, जो माइक्रों अर्थशास्त्र (व्यक्तियों के छोटे समूह की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन) तकनीक को अच्छी आर्थिक स्थिति, प्रतिस्पर्द्धा के सापेक्ष सामान्य सन्तुलन के रूप में एक अर्थव्यवस्था के भीतर आर्थिक दक्षता का विश्लेषण करता है। इसके परिणामस्वरूप आय से जुड़े सभी क्षेत्र का सामाजिक कल्याण का विश्लेषण होता है। भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने

लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा का विकास किया था। इसके लिए इन्हें वर्ष 1998 में नोबेल प्रस्कार से सम्मानित किया गया।

अर्थव्यवस्था के क्षेत्र (Sectors of Economy)

सामान्यतः सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को लेखांकित करने के लिए तीन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है।

प्राथमिक क्षेत्र (Primary Sector)

इसके अन्तर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक क्षेत्रों का लेखांकन किया जाता है। इसके अन्तर्गत निम्न क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है।

• कृषि

- वानिकी
- मत्स्यन (मछली पकड़ना)
- खनन (ऊर्ध्वाधर खुदाई) एवं उत्खनन (क्षैतिज)

द्वितीयक क्षेत्र (Secondary Sector)

इस क्षेत्र के अन्तर्गत मुख्यतः अर्थव्यवस्था की विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन का लेखांकन किया जाता है।

- निर्माण, जहाँ किसी स्थायी परिसम्पत्ति का निर्माण किया जाए; जैसे-भवन।
- विनिर्माण, जहाँ किसी वस्तु का उत्पादन हो; जैसे- कपड़ा, ब्रेड आदि।
- विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति इत्यादि से सम्बन्धित कार्य।

तृतीयक या सेवा क्षेत्र (Tertiary Sector)

यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को अपनी उपयोगी सेवाएँ प्रदान करता है, इसके अन्तर्गत निम्न क्षेत्र हैं

- परिवहन एवं संचार
- बैंकिंग

बीमा

• भण्डारण

- व्यापार
- सामुदायिक सेवाएँ आदि।

कोर क्षेत्र (Core Sector)

भारतीय अर्थव्यवस्था में 8 क्षेत्रों को कोर क्षेत्र अर्थात् अति महत्वपूर्ण क्षेत्रकों की संज्ञा दी गई है, जो आर्थिक विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक है।

आठ कोर क्षेत्र इस प्रकार हैं-

- कोयला
-) कच्चा क्षेत्र
- प्राकृतिक गैस
- रिफायनरी उत्पाद
- उर्वरव
- इस्पात

- सीमेण्ट
- विद्युत

विश्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण (Classification Of Economy By World Bank)



विश्व बैंक ने विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आधार पर वर्गीकृत किया है, जो निम्नलिखित हैं। न्यूनतम आय अर्थव्यवस्था प्रति व्यक्ति आय \$ 1035 मध्यम आय अर्थव्यवस्था प्रति व्यक्ति आय \$ 1036-\$ 4085 उच्च आय अर्थव्यवस्था प्रति व्यक्ति आय \$ 4086-\$ 12615 स्रोत वर्ष 2012-13 में विश्व बैंक के अनुसार

राष्ट्रीय आय (National Income)

किसी देश द्वारा एक वर्ष में आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पादित अन्तिम वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को, उस देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसके अन्तर्गत उन सभी अन्तिम वस्तुओं व सेवाओं के मूल्यों को शामिल करते हैं, जो देश के निवासियों द्वारा अर्जित की गई हैं। इसमें देश के निवासियों द्वारा विदेशों में भी अर्जित आय को शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय को 'राष्ट्रीय उत्पाद' के नाम से भी जाना जाता है।

भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के आधार पर की जाती है।

राष्ट्रीय आय का मापन (Measurement of National Income)

राष्ट्रीय आय का मापन निम्न आधारों पर किया जाता है।

- राष्ट्रीय आय का मापन मुद्रा के रूप में होता है। राष्ट्रीय आय के अन्तर्गत पुरानी वस्तुओं के मूल्य को मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य में शामिल नहीं किया जाता है।
- घरेलू सेवाएँ तथा वित्तीय परिसम्पत्तियों को (अंश-पत्र, ऋण-पत्र आदि का क्रय-विक्रय तथा हस्तान्तरण भुगतान, वजीफा, पेंशन भत्ता) राष्ट्रीय आय के अन्तर्गत शामिल नहीं किया जाता।
- देश के सामान्य निवासियों द्वारा विदेशों में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अन्तिम मूल्य को राष्ट्रीय आय के अन्तर्गत शामिल किया जाता है।

राष्ट्रीय आय की गणना (Estimation of National Income)

राष्ट्रीय आय की गणना सामान्यतः चालू तथा स्थिर दोनों मूल्यों पर की जाती है

- 1. चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय (National Income at Current Price): यह राष्ट्रीय आय को प्रचलित बाजार मूल्य पर मापने की विधि है, इसे मौद्रिक आय भी कहते हैं। कीमतों में प्रायः परिवर्तन होता रहता है। इसके परिणामस्वरूप वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा में बिना कोई परिवर्तन हुए चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय कम या अधिक हो सकती है।
- 2. स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय (National Income at Constant Price): यह एक लेखा वर्ष के दौरान एक राष्ट्र के सामान्य नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का वह मौद्रिक मूल्य है, जो किसी आधार वर्ष के मूल्यों पर मापा जाता है। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय को 'वास्तविक राष्ट्रीय आय' कहते हैं।

राष्ट्रीय आय से सम्बन्धित अवधारणाएँ

(Concepts of National Income)

राष्ट्रीय आय की गणना के सम्बन्ध में मूलतः दो अवधारणाओं- **राष्ट्रीय** उत्पाद तथा घरेलू उत्पाद को आधार स्वरूप लिया जाता है। शेष सभी धारणाएँ इन धारणाओं पर आधारित इनके प्रतिरूप स्वरूप हैं।

राष्ट्रीय आय से सम्बन्धित अवधारणाएँ निम्नलिखित हैं

सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product, GDP)

एक लेखा वर्ष के दौरान देश की घरेलू सीमा में सभी उद्यमियों द्वारा (निवासी/अनिवासी दोनों) की गई सकल मूल्य वृद्धि को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं इसमें वे अनिवासी उद्यमी भी सम्मिलित होते हैं, जिन्होंने देश के उत्पादन में योगदान दिया हो।

इसके अन्तर्गत देश की भौगोलिक सीमा के अन्दर विदेशियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं को भी शामिल किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद को निम्न सूत्र में व्यक्त किया जा सकता है।

GDP = 3पभोग (C) + निबेश (I) + 3पभोग व्यय (G)

विभिन्न क्षेत्रों का जी डी पी में योगदान		
क्षेत्र अंश में कार्य बल में		
उद्योग 🗸	26%	22%
सेवा	57%	27%
पर्यटन	6.23%	8.78%
कृषि	17%	51%

संकल राष्ट्रीय उत्पाद (Gross National Product, GNP)

सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अवधारणा सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की अवधारणा की तुलना में कहीं अधिक विस्तृत है। घरेलू उत्पाद में शुद्ध विदेशी साधन आय को जोड़कर इसका अनुमान लगाया जा सकता है।

किसी देश के नागरिकों द्वारा एक निश्चित समयाविध, सामान्यतः एक वर्ष में उत्पादित अन्तिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) कहा जाता है।

सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) = जी डी पी + देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय (X) – विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय (M)

$$GNP = GDP + X - M$$

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (Net National Product, NNP)

जब GNP में से मूल्य ह्रास (पूँजी स्टॉक की खपत) को घटाते हैं तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात होता है।

NNP=GNP – पूँजी स्टॉक की खपत

वैयक्तिक आय (Personal Income, PI)

घरेलू क्षेत्र द्वारा प्राप्त आय को ही वैयक्तिक आय (Personal Income) कहते हैं। यह देशवासियों द्वारा वास्तव में प्राप्त आय है। वैयक्तिक आय को ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय आय में से निगम करों तथा निगमों द्वारा अवितरित लाभांश एवं सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए भुगतान को घटाने एवं सरकारी हस्तान्तरण



भुगतान, व्यापारिक हस्तान्तरण भुगतान एवं सरकार से प्राप्त शुद्ध ब्याज को जोड़ने | यह वास्तव में सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product, GDP) को से प्राप्त होती है। सुषीय आयु (साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद) की गणना के लिए

वैयक्तिक आय = राष्ट्रीय आय-निगम कर-निगमों का अवितरित लाभांश-सामाजिक सुरक्षा योजना का भुगतान + सरकारी हस्तान्तरण भुगतान + सरकार से प्राप्त शुद्ध ब्याज

व्यय योग्य वैयक्तिक आय

(Disposable Personal Income, DPI)

राष्ट्रीय आय का वह भाग जिसका योग अपनी इच्छा से जब चाहे खर्च कर सकते हैं, उसे व्यय योग्य वैयक्तिक आय (Disposable Personal Income, DPI) कहा जाता है। सभी प्रकार के प्रत्यक्ष कर चुकाने के बाद जो आय बचती है, उसको लोग अपनी इच्छानुसार व्यय कर सकते हैं या बचत कर सकते हैं।

DPI = उपभोग + बचत

DPI = व्यक्तिगत आय - प्रत्यक्ष कर + सब्सिडी

वास्तविक राष्ट्रीय आय (Real National Income, RNI)

किसी देश में राष्ट्रीय आय की वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को वास्तविक राष्ट्रीय आय (Real National Income) कहते हैं। इसे आर्थिक वृद्धि के सूचक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।

निजी आय (Private Income, PI)

सरकारी क्षेत्र के अतिरिक्त निजी क्षेत्र द्वारा प्राप्त की गई कुल आय को निजी आय (Private Income) कहते हैं। इसमें निजी निगम क्षेत्र एवं घरेलू क्षेत्र दोनों शामिल किए जाते हैं।

साधन लागत एवं बाजार मूल्य (FC and MP)

साधन लागत (Factor Cost, FC) वास्तव में किसी वस्तु के उत्पादन में लगी लागत मूल्य (Input Cost, IC) होती है। सरकार द्वारा इस लागत मूल्य पर या तो सब्सिडी दी जाती है अथवा इस पर कर लगाया जाता है। यदि कर लगाया जाता है, तो वस्तु का बाजार मूल्य (Market Price, MP) बढ़ जाती है। और यदि सब्सिडी दी जाती है, तो बाजार मूल्य लागत मूल्य से कम हो जाता है। राष्ट्रीय हरित आय

सकल राष्ट्रीय जो कि पर्यावरण हतल के मूल्य को घटाने के पश्चात शुद्ध रूप में प्राप्त होता है, राष्ट्रीय हरित आय कहलाता है।

राष्ट्रीय हरित आय = कुल वृद्धि - पर्यावरण हास

राष्ट्रीय आय के मापन की विधियाँ

(Methods of Measuring National Income)

राष्ट्रीय आय साधन लागत पर आकलित निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। **साइमन** कुजनेट्स, जो राष्ट्रीय आय लेखांकन (National Income Accounting) के जन्मदाता हैं, ने राष्ट्रीय आय के मापन की निम्न तीन विधियाँ प्रस्तुत की हैं

1. उत्पाद पद्धति

2. आय पद्धति

3. व्यय पद्धति

उत्पाद पद्धति (Production Method)

कुजनेट्स ने इस विधि को वस्तु सेवा विधि के नाम से परिभाषित किया है। इस पद्धित के अन्तर्गत देश में एक वर्ष में उत्पादित अन्तिम वस्तुओं तथा सेवाओं का शुद्ध मूल्य ज्ञात किया जाता है तथा उसके योग को अन्तिम उपज योग (Final Product Total) कहा जाता है।

यह वास्तव में सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product, GDP) को दर्शाता है। राष्ट्रीय आय (साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद) की गणना के लिए सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य में विदेशों में अर्जित शुद्ध आय को जोड़ा जाता है तथा मूल्य हास को घटाया जाता है।

आय पद्धति (Income Method)

इस पद्धति के अन्तर्गत राष्ट्रीय आय की गणना के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों तथा व्यावसायिक उपक्रमों की शुद्ध आय का योग प्राप्त किया जाता है।

डॉ. बाउले तथा रॉर्टसन के अनुसार, आय गणना विधि के अन्तर्गत आयकर देने वाले तथा आयकर न देने वाले समस्त व्यक्तियों की आय को जोड़ दिया जाता है।

व्यय पद्धति (Expenditure Method)

इस विधि को उपभोग बचत विधि भी कहते हैं। इस विधि के अनुसार कुल आय या तो उपभोग पर व्यय की जाती है अथवा बचत पर। अतः राष्ट्रीय आय कुल उपभोग तथा कुल बचतों का योग होती है। इस विधि से आय की गणना करने के लिए उपभोक्ताओं की आय तथा उनकी बचत से सम्बन्धित आँकड़ों का उपलब्ध होना आवश्यक होता है। भारत जैसे देश में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पादन प्रणाली (Production Method) तथा आय प्रणाली (Income Method) का सम्मिश्रण प्रयोग किया जाता है।

राष्ट्रीय आय = कुल उपभोग व्यय + कुल बचत

क्रय शक्ति समता विधि

(Purchasing Power Parity Method, PPP)

इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष द्वारा वर्ष 1998 में विभिन्न देशों के रहन-सहन स्तर के निर्धारण हेतु किया गया। इस विधि में किसी देश विशेष की सकल राष्ट्रीय आय को, देश के भीतर मुद्रा की क्रय शक्ति के आधार पर किया जाता है। वर्तमान में इस विधि का प्रयोग विश्व बैंक द्वारा किया जा रहा है।

भारत में राष्ट्रीय आय की गणना

(Estimation of National Income in India)

भारत में राष्ट्रीय आय एवं सम्बन्धित पक्षों की गणना का कार्य केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO) द्वारा किया जाता है।

भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के सन्दर्भ में अनुमान 1868 ई. में दादाभाई नौरोजी द्वारा, उनकी पुस्तक 'पावर्टी एण्ड अनिबरिश रूल इन इण्डिया' में व्यक्त किया गया। दादाभाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति वार्षिक आय ₹ 20 बताई थी। वर्ष 1931.32 में डॉ. वी के आर वी राव ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय लेखा प्रणाली की गणना की। वर्ष 1948-49 में प्रो. पी सी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति हुई, जिसकी अनुशंसा पर राष्ट्रीय आय सम्बन्धित लेखा प्रणाली का ढाँचा स्थापित हुआ तथा केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई। वर्ष 1967 में पहली बार विदेशी व्यवहार को राष्ट्रीय आकलन में जोड़ा गया। राष्ट्रीय आय के अनुमान का सबसे पहला सरकारी अनुमान वर्ष 1948-49 में वाणिज्य मन्त्रालय द्वारा दिया गया।

X-EEED सामान्य सचेतत

भारत में राष्ट्रीय आय की गणना से सम्बन्धित प्रमुख संगठन

राष्ट्रीय-आय की गणना से सम्बन्धित प्रमुख संगठन इस प्रकार हैं

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन

(National Sample Survey Organisation, NSSO)

जनवरी, 1971 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (NSSO) की स्थापना की गई। NSS अब NSSO का एक अंग बन गया तथा इसका कार्य सर्वेक्षण तक सीमित रहा। 12 जुलाई, 2006 को प्रो. सुरेश तेन्दुलकर की अध्यक्षता में स्थापित राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के कार्य शुरू करने के साथ NSSO अर्थहीन हो गया है।

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

(Central Statistical Organisation, CSO)

CSO की स्थापना मई, 1951 में की गई। CSO सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्रालय का एक भाग है। यह भारत में राष्ट्रीय आय तथा उससे सम्बन्धित सभी पक्षों की गणना का कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसकी औद्योगिक शाखा का मुख्यालय कोलकाता में है। यह अपना वार्षिक प्रकाशन 'राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी' के नाम से प्रतिवर्ष जारी करता है।

CSO ने राष्ट्रीय आय सम्बन्धी आँकड़ों की गणना के लिए वर्ष 2004-05 को आधार वर्ष के रूप में स्वीकार किया है।

CSO देश में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु उत्पादन एवं आय दोनों प्रणाली का प्रयोग करता है। CSO द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों तथा 14 उप-क्षेत्रों में (राष्ट्रीय आय के आकलन हेतु) विभाजित किया गया है।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग

(National Statistical Organisation, NSC)

सी रंगराजन समिति द्वारा वर्ष 2000 में दिए गए सुझाव के आधार पर 1 जून, 2005 को स्थायी सांख्यिकी आयोग गठित किया गया।

12 जुलाई, 2006 को **प्रो. सुरेश तेन्दुलकर** की अध्यक्षता में इसने (NSC) कार्य प्रारम्भ किया। राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की स्थापना के साथ ही राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (NSSO) का कार्य लगभग समाप्त हो चुका है, किन्तु NSSO द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य अब भी जारी है।

आर्थिक संवृद्धि (Economical Growth)

आर्थिक संवृद्धि का तात्पर्य प्रति व्यक्ति वास्तविक आय अथवा शुद्ध भौतिक उत्पाद में वृद्धि से है। सामान्यतः यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक संवृद्धि हो रही है। दूसरे शब्दों में साधन लागत पर व्यक्त वास्तविक घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय को हम सामान्यतः आर्थिक संवृद्धि की आय के रूप में स्वीकार करते हैं।

आर्थिक संवृद्धि दर (Economic Growth Rate)

निवल राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन की दर 'आर्थिक संवृद्धि दर' (Economic Growth Rate) कहलाती है, इसको राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर भी कहा जाता है।

गतवर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की एन एन पी

$$=rac{{
m NNP} \; {
m H} \; {
m T} \; {$$

विकासशील देशों में आर्थिक संवृद्धि दर को विकास हेतु परिवर्तित करना अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या है।

ट्रिकलडाउन इफैक्ट

इस सिद्धान्त का प्रतिपादन **रोनाल्ड रीगन** ने वर्ष 1981 में किया, इसके अनुसार जब किसी अर्थव्यवस्था में तीव्र आर्थिक संवृद्धि हाती है तो उस संवृद्धि का लाभ अर्थव्यवस्था में रिस-रिस कर अर्थव्यवस्था के निचले स्तर तक जाता है, जिससे आर्थिक संवृद्धि का लाभ सभी को प्राप्त होता है।

आर्थिक विकास (Economic Development)

आर्थिक विकास का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है, जिसके परिणामस्वरूप देश के समस्त उत्पादन साधनों का कुशलतापूर्वक विदोहन होता है। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरन्तर एवं दीर्घकालिक वृद्धि होती है तथा जनता के जीवनस्तर एवं सामान्य कल्याण का सूचकांक बढ़ता है अर्थात इसमें आर्थिक एवं गैर-आर्थिक दोनों चरों को शामिल किया जाता है। आर्थिक संवृद्धि एक मात्रात्मक संकल्पना है, जबकि आर्थिक विकास एक गुणात्मक।

पहले का सम्बन्ध 'राष्ट्रीय आय' एवं 'प्रति व्यक्ति आय' की वृद्धि-दर से जुड़ा है, जबकि दूसरे का सम्बन्ध राष्ट्रीय आय में मात्रात्मक वृद्धि के अलावा अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक ढाँचे में परिवर्तन से होता है।

आर्थिक विकास में कृषि की अपेक्षा, उद्योगों, सेवाओं, बैंकिंग, विनिर्माण आदि क्षेत्रों का सकल राष्ट्रीय आय में हिस्सा अधिक होता है। आर्थिक संवृद्धि राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि (यह एक परिमाणात्मक परिवर्तन है।) आर्थिक विकास राष्ट्रीय उत्पाद के साथ-साथ जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार (यह परिमाणात्मक के साथ एक गुणात्मक परिवर्तन भी है)।

आर्थिक विकास दर (Economic Development Rate)

सकल घरेलू उत्पादन में परिवर्तन की दर 'आर्थिक विकास दर' कहलाती है। गतवर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की एन एन पी

आर्थिक संवृद्धि बनाम आर्थिक विकास

(Economical Growth Vs Development)

आर्थिक संवृद्धि बनाम आर्थिक विकास के मध्य अन्तर के प्रमुख बिन्दु इस प्रकार हैं

- आर्थिक संवृद्धि और विकास समान प्रतीत होने वाली अवधारणाएँ हैं, परन्तु तकनीकी दृष्टि से दोनों समान नहीं है।
- आर्थिक संवृद्धि से आशय सकल घरेलू उत्पाद (GDP), सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) एवं प्रतिव्यक्ति आय में निरन्तर होने वाली वृद्धि से है अर्थात आर्थिक संवृद्धि उत्पादन की वृद्धि से सम्बन्धित है।
- आर्थिक संवृद्धि में यह देखा जाता है कि राष्ट्रीय उत्पादन में सतत वृद्धि हो रही है अथवा नहीं। यदि राष्ट्रीय उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है, तो इसे संवृद्धि की संज्ञा दी जाएगी।

- आर्थिक संवृद्धि से यह पता चलता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्रोतों में मूलभूत आवश्यक प्रत्यागम (Basic Necessity) मात्रात्मक रूप से कितनी वृद्धि हो रही है।
- आर्थिक विकास का सम्बन्ध लोगों के कल्याण से है, इसमें गरीबी, बेरोजगारी तथा असमानता में कमी आती है। आर्थिक संवृद्धि आर्थिक विकास की पूर्व शर्त है।

आर्थिक विकास का मापन

(Measurement of Economic Development)

विभिन्न देशों के आर्थिक विकास के मापन तथा तुलनात्मक स्थिति को प्रकट करने के निम्नलिखित दृष्टिकोण मिलते हैं

- क्रय-शक्ति क्षमता विधि
- मानव विकास सूचकांक
- ग्रीन जी एन पी
- आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम
- निवल आर्थिक कल्याण
- निर्धनता सूचकांक
- पोषण निवल राष्ट्रीय उत्पाद
- लिंग आधारित विकास सूचकांक
- जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक
- राष्ट्रीय संवृद्धि सूचकांक

आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले कारक

(Factors Determining Economic Growth)

आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले घटकों को दो मुख्य भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं।

आर्थिक घटक (Economic Factor)

- प्राकृतिक संसाधन
- संगठन
- तकनीकी प्रगति
- पूँजी निर्माण
- विकासात्मक नियोजन
- पूँजी उत्पादन अनुपात
- श्रम-शक्ति एवं जनसंख्या
- वित्तीय स्थिरता
- आधारभूत संरचना

गैर-आर्थिक घटक (Non-Financial Component)

- सामाजिक घटक
- धार्मिक घटक
- राजनीतिक घटक

ये मानव विकास के मापन हेत् प्रयोग में लाए जाने वाले सामाजिक-सूचकांक हैं, जिसका प्रतिपादन हिक्स व स्टीटन ने किया है, ये निम्नलिखित हैं

- प्राथमिक शिक्षा
- जीवन-प्रत्याशा
- प्रतिव्यक्ति-ऊर्जा उपभोग
- बाल मृत्यु-दर
- स्वच्छ जलापूर्ति
- आवास

पहल्बपूर्ण विद्यास सूचदर्गदर्ग संदेखक (Important Growth Index/ Indicators)

विकास सूचकांक द्वारा विभिन्न देशों के जीवन स्तर, साक्षरता और जीवन प्रत्याशा को मापने का तुलनात्मक पैमाना है।

महत्वपूर्ण विकास सूचकांक निम्नलिखित हैं

- 1. मानव विकास सूचकांक
- जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक 2.
- बहु-आयामी निर्धनता सूचकांक 3.
- वैश्विक भुखमरी सूचकांक 4.
- लैंगिक विकास सूचकांक 5.
- मानव गरीबी सूचकांक 6.
- 7. राष्ट्रीय समृद्धि सूचकांक

मानव विकास सूचकांक 1.

(Human Development Index, HDI)

मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन वर्ष 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) से सम्बद्ध अर्थशास्त्रियों महबूब उल-हक, ए के सेन तथा सिंगर हंस ने किया था। मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा व आय के स्तर के आधार पर तैयार किया जाने वाला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूए न डी पी) का सूचकांक है। HDI का अधिकतम मूल्य 1 तथा न्यूनतम मूल्य 0 होता है। एच डी आर वर्ष 2010 में, विषमता समायोजित एच डी आई बहु-आयामी गरीबी सूचकांक (MPI) तथा जेण्डर इनइक्वलिटी इण्डेक्स (GII) की धारणा विकसित की गई है, जिसे यदि HDI में जोड़ दिया जाए तो आर्थिक विकास का अधिक स्पष्ट चित्र सामने आ सकता है।

मानव विकास सूचकांक की रचना तीन सूचकों के आधार पर होती है

- (i). जीवन-प्रत्याशा सूचकांक
- (ii). शिक्षा सूचकांक



(iii). जीवन-निर्वाह का स्तर जिसमें क्रय-शक्ति, समायोजित प्रति व्यक्ति आय|बातों को समाहित किया गया है; समाविष्ट वृद्धि, गवर्नेस, धारणीय विकास एवं (डॉलर में) व्यक्त करते हैं।

मानव विकास सूचकांक के आधार पर वर्गीकरण		
वर्ग एच डी आई का मान-विस्तार		
अति उच्च	1.00-0.900	
उच्च	0.899-0.800	
मध्यम	0.799-0.500	
निम्न	0.499-0.000	

जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy)

प्रतिवर्ष UNDP द्वारा मानव विकास सूचकांक के आधार पर मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, इसमें जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को स्वास्थ्य का सूचक माना जाता है।

शैक्षणिक उपलब्धि (Educational Achievement)

ज्ञान या शैक्षणिक उपलब्धि के मापन हेतु वयस्क साक्षरता तथा संयुक्त नामांकन अनुपात (प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा में नामांकन) का उपयोग किया जाता है। बालिग साक्षरता को दो-तिहाई वजन तथा संयुक्त नामांकन अनुपात को एक-तिहाई वजन दिया जाता है।

प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income)

इसे मापने हेतु प्रति व्यक्ति सकल देशीय उत्पाद को आधार बनाया गया है, जिसमें जीवन-स्तर प्रभावित होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मानव विकास सूचकांक तीन सूचकांकों- जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक तथा सकल राष्ट्रीय आय का औसत सूचकांक है। इस सूचकांक के लिए स्वास्थ्य स्तर का आकलन जीवन-प्रत्याशा (Expectancy of Life) के द्वारा, शैक्षणिक स्तर का प्रौढ़ साक्षरता और प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर पंजीकरण के आधार पर तथा रहन-सहन का स्तर का आकलन आय के स्तर एवं क्रय-शक्ति क्षमता के आधार पर किया जाता है।

सकल राष्ट्रीय खुशहाली (Gross National Happiness, GNH)

जी एन एच देश की गुणवत्ता को अधिक समग्र तरीके से मापता है और इसके तहत ऐसा विश्वास किया जाता है कि मानव समाज का विकास तब होता है, जब भौतिक और आध्यात्मिक विकास साथ-साथ होते हैं और वे एक-दूसरे के पूरक होते हैं। इसकी अवधारणा वर्ष 1972 में भूटान के नरेश जिग्में सिंग्मे वांगचुक ने की थी। मेड जॉन के अनुसार, जी एन एच को मापने के लिए सात खुशी पर विचार किए जाते हैं

- 1. शीरीरिक मानसिक
 - ्रअच्छा शासन
- सामाजिक
- आर्थिक
- 6. कार्यस्थल
- पारिस्थितिक जीवन शक्ति

भारत की मानव विकास रिपोर्ट (HDR, India)

सर्वप्रथम वर्ष 1995 में मध्य प्रदेश ने अपनी मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी बाद में कर्नाटक, गुजरात तथा राजस्थान द्वारा भी मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई है।

भारत (UNDP) कण्टी प्रोग्राम दस्तावेज (2013-17)

नया कण्ट्री प्रोग्राम दस्तावेज (2013-17) सरकार द्वारा यू एन डी पी के कण्ट्री कार्यक्रम में तैयार किया गया। यह कार्यक्रम भारत संयुक्त राष्ट्र विकास सहायता ढाँचे (2013-17) पर आधारित है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चार मुख्य

लैंगिक समानता आदि।

जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक

(Physical Quality of Life Index, PQLI)

इस अवधारणा का विकास वर्ष 1979 में मौरिश डी मौरिश ने किया, इन्होंने विकास के प्रयासों के परिणामों को व्यापक अर्थ में प्रस्तुत करने के लिए तीन संकेतकों का चुनाव किया, जो निम्नलिखित हैं

- (i). जीवन-प्रत्याशा (Life Expectancy)
- (ii). शिशु मृत्यु-दर (Infant Mortality Rate)
- (iii). मौलिक साक्षरता (Basic Literacy)

बहु आयामी निर्धनता सूचकांक

(Multi-dimensional Poverty Index, MPI)

बह्-आयामी निर्धनता सूचकांक का विकास वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) एवं ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास की पहल

इस सूचकांक के निम्न तीन आयाम और 10 संकेतक हैं। इन सभी संकेतकों को समान महत्त्व प्राप्त है।

आयाम	संकेतक
स्वास्थ्य	शिशु मृत्यु-दर; पोषण
্থিয়ি ধ্বা	विद्यालय अवधि; विद्यार्थी नामांकन
जीवन-स्तर	भोजन पकाने के लिए ऊर्जा, पानी, विद्युत,
	शौचालय, आवास, सम्पत्ति

वैश्विक भुखमरी सूचकांक (Global Hunger Index, GHI)

वैश्विक भुखमरी सूचकांक में एक बहु-आयामी सांख्यिकीय आँकड़ों का प्रयोग कर देश की भुखमरी के सन्दर्भ में स्थिति को स्पष्ट किया जाता है। इस सूचकांक को इण्टरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया था, इसका सर्वप्रथम प्रकाशन वर्ष 2006 में हुआ। यह सूचकांक प्रतिवर्ष निकाला जाता है। प्रत्येक वर्ष इस सूचकांक में किसी एक मुख्य मुद्दे पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जोकि भुखमरी को प्रभावित करता है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक तीन मानकों के आधार पर निकाला जाता है।

- (i). अल्प पोषित लोगों का अनुपात।
- (ii). पाँच वर्ष से कम आयु के औसत से कम वजन के बच्चों का अनुपात।
- (iii). पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु-दर।

लैंगिक विकास सूचकांक

(Gender Development Index, GDI)

इस सूचकांक को UNDP ने वर्ष 1995 में विकसित किया था। लैंगिक विकास सूचकांक (GDI) मानव विकास के तीन आयामों- जीवन-प्रत्याशा, साक्षरता और प्रति व्यक्ति आय के सन्दर्भ में पुरुष जनसंख्या के सापेक्ष महिला जनसंख्या की उपलब्धि को दर्शाता है।

महत्वपूर्ण तथ्य (Important Facts)

- मानव विकास सूचकांक का विचार सर्वप्रथम पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब-उल-हक ने दिया था।
- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना वर्ष 1950 में की गई थी।

सामान्य सचेतत

• वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की उपलब्धि 21.3 है, जोकि काफी बुरी स्थिति की ओर इशारा करती है।

6. मानव गरीबी सूचकांक (Human Poverty Index, HPI)

इसमें अत्रलिखित सूचकांकों को शामिल किया जाता है जीवन-प्रत्याशा, साक्षरता, आय तथा सामाजिक वंचन। इसके आधार पर समाज की अभावत्रस्तता का पता लगाया जाता है। विकासशील और विकसित देशों के लिए अलग-अलग सूचकांकों की संकल्पना है। विकासशील देशों के लिए HPI-1 की संकल्पना एवं विकसित देशों के लिए HPI-2 की संकल्पना है।

विकासशील देशों के लिए HPI-1 की संकल्पना

- (i) इस संकल्पना के अन्तर्गत जनसंख्या के उस भाग का पता लगाया जाता है, जिसकी जीवन-प्रत्याशा 40 वर्ष या उससे कम हो।
- (ii) प्रौढ़ शिक्षा दर 15 वर्ष से अधिक उम्र वाले जनसंख्या के उस भाग का पता लगाया जाता है, जो निरक्षर हैं।
- (iii) स्वच्छ पेयजल से वंचित जनसंख्या का प्रतिशत।
- (iv) 5 वर्ष तक की आयु वाली जनसंख्या के उस भाग का प्रतिशत जिसका वजन औसत से कम है।

विकसित देशों के लिए HPI-2 की संकल्पना

1. इसके अन्तर्गत जनसंख्या के उस अंश का पता लगाया जाता है, जिसकी जीवन-प्रत्याशा 60 वर्ष से कम है।

श्रम शिक्त के उस अंश का पता लगाया जाता है, जो पिछले 12 महीने से बेरोजगार है और सामाजिक रूप से वंचित है, जिनकी आय मध्यम-आय के 50% से कम है। इस प्रकार HPI क्रय क्षमता पर आधारित आय और प्रति व्यक्ति आय को समाहित करता है।

7. राष्ट्रीय समृद्धि सूचकांक

करने पर निर्भर करती है।

(National Prosperity Index, NPI)


सामाजिक-आर्थिक विकास के मापन को मानक सूचकांक, राष्ट्रीय समृद्धि सूचकांक को माना जाता है। इसके तीन घटक हैं

- (i) GDP की वृद्धि दर
- (ii) जीवन की गुणवत्ता में सुधार (मुख्यतः गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का)
- (iii) अपनी सांस्कृतिक विरासत पर आधारित नैतिक मूल्य प्रणाली का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रयोग करना। उल्लेखनीय है कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार, शुद्ध पेयजल, पोषण, आवासीय व्यवस्था, उचित सफाई, उत्तम स्वास्थ्य सुविधा, अच्छी शिक्षा तथा रोजगार आदि सम्भाव्यताओं का फलन है। जबकि सांस्कृतिक विरासत, सामाजिकता, समन्वय, सिहण्णुता, सार्वभौमिकता, सामाजिक विषमता का अभाव, सहभागिता, समरसता तथा संयुक्त परिवार प्रणाली को प्रोत्साहित



बींकिंग'ज्ञान'

भारतीय बैंकिंग संरचना



भारत में बैंकिंग का इतिहास (History of Banking in India)

भारत में बैंकिंग प्रणाली के विकास को निम्न छः चरणों में विभाजित किया जा सकता है-

1. प्रथम अवस्था (First Phase) (सन् 1806 तक)

17वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासनकाल के साथ ही भारतीय साहकारी वित्त व्यवस्था को गम्भीर आघात लगा। इसका मुख्य कारण यह था कि साहकार अंग्रेजी भाषा एवं ब्रिटिश बैंकिंग प्रणाली से परिचित नहीं थे। अतः इनके स्थान पर धीरे-धीरे भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का विकास होने लगा। 18वीं शताब्दी में ईस्ट इण्डिया कम्पनी (East India Company) ने मुम्बई तथा कोलकाता में कुछ एजेन्सी गृहों (Agency Houses) की स्थापना की थी। एजेन्सी गृह आध्निक बैंकों की भाँति कार्य किया करते थे। इन एजेन्सी गृहों का वित्त पोषण ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा ही किया जाता था। इन एजेन्सी गृहों का मुख्य कार्य ईस्ट इण्डिया कम्पनी को सैनिक आवश्यकताओं के लिए रुपया उधार देना, कृषि उपज की बिक्री के लिए ऋण देना, कागजी मुद्रा का निर्गमन करना तथा लोगों से निक्षेप (Deposits) स्वीकार करना था। यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम बैंक विदेशी पूँजी के सहयोग से एलेक्जेण्डर एण्ड कम्पनी द्वारा बैंक ऑफ हिन्दुस्तान के नाम से 1770 में कोलकाता में स्थापित किया गया था, किन्तु यह बैंक शीघ्र ही असफल हो गया। इस प्रकार 1806 से पूर्व भारत में बैंकों का कार्य इन एजेन्सी गृहों द्वारा ही सम्पन्न किया जाता था।

2. द्वितीय अवस्था (Second Phase) (सन् 1806 से 1860 तक)

सन् 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, सन् 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे तथा 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। यद्यपि यह तीनों बैंक निजी शेयरहोल्डरों (विशेष रूप से विदेशी व्यक्तियों) के बैंक थे तथापि इन तीनों बैंकों की शेयर पूँजी में सरकार का भी कुछ हिस्सा था। अतः सरकार इन तीनों बैंकों पर अपना नियन्त्रण रखती थी। इन बैंकों को सरकारी बैंकर के सभी अधिकार प्राप्त थे, किन्तु 1862 के बाद भारत सरकार ने इन बैंकों से नोट जारी करने का अधिकार वापस ले लिया। सरकारी बैंक होने के कारण सरकार द्वारा इनके कार्यों पर कुछ प्रतिबन्ध भी लगाए गए थे। यह बैंक अचल सम्पत्ति के आधार पर ऋण नहीं दे सकते थे तथा इनके द्वारा दिए गए ऋणों की समयाविध छः महीने से अधिक नहीं हो सकती थी। इन्हें विदेशी बिलों का क्रय-विक्रय करने का अधिकार भी नहीं था। आगे चलकर सन् 1921 में इन तीनों बैंकों को मिलाकर इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया (Imperial Bank of India) की स्थापना की गई और 1 जुलाई, 1955 को राष्ट्रीयकरण के उपरान्त इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया रख दिया गया।

3. तृतीय अवस्था (Third Phase) (सन् 1860 से 1913 तक)

भारत सरकार द्वारा सन् 1860 में एक संयुक्त पुँजी कम्पनी अधिनियम पारित किया गया। इसके अन्तर्गत, बैंकों का सीमित देयता (Limited Liablility) के आधार पर गठन किया जा सकता था। इस कानून के फलस्वरूप भारत में संयुक्त पूँजी वाले बैंकों की स्थापना में बहुत सहायता मिली थी। परिणामतः देश में अनेक संयुक्त पूँजी बैंक स्थापित हो गए। उनमें प्रमुख बैंक थे-

इलाहाबाद बैंक (1865), एलाइन्स बैंक ऑफ शिमला (1881), अवध कॉमर्शियल बैंक (1881), पंजाब नेशनल बैंक (1894), पीपुल्स बैंक ऑफ इण्डिया (1901)। सीमित देयता के आधार पर 1881 ई. में स्थापित अवध कॉमर्शियल बैंक भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था। पूर्णरूप से भारतीय देश का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक (सन् 1900 तक) भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं हो सकी थी, किन्तु 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ अर्थात् 1906 के बाद बैंकिंग का देश में बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ। मुख्य रूप से उत्तरी भारत में नए बैंकों का जाल-सा बिछ गया था। इसका मुख्य कारण देश में स्वदेशी आन्दोलन का प्रारम्भ किया जाना था। इस आन्दोलन के कारण लोगों ने अंग्रेजी बैंकों का बहिष्कार करके भारतीय बैंकों के साथ व्यवसाय करना आरम्भ कर दिया था। इसी अवधि में देश के तत्कालीन चार बड़े बैंकों-बैंक ऑफ इण्डिया (1906) बैंक ऑफ बड़ौदा (1908) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया (1911) एवं बैंक ऑफ मैसूर (1913) की स्थापना की गई और अन्य छोटे बैंकों की संख्या 500 तक पहुँच गई।

4. चतुर्थ अवस्था (Fourth Phase) (सन् 1913 से 1939 तक)

1913 से 1917 का काल भारत में बैंकिंग संकट (Banking Crisis) का काल माना जाता है। प्रथम महायुद्ध (1914-18) के प्रारम्भ होने के साथ ही, भारतीय बैंकिंग की इस तीव्र वृद्धि का क्रम अवरूद्ध हो गया। सन् 1913 में अनेक भारतीय बैंकें असफल हो गए। भारतीय बैंकों से जनविश्वास समाप्त होने की वजह से जमाकर्ताओं द्वारा अपने निक्षेप निकालने प्रारम्भ कर दिए गए तथा भारतीय मुद्रा बाजार में मुद्रा की बहुत कमी हो गई थी। प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के पश्चात् देश में पुनः बैंकिंग विकास की दर तेज हुई। सन् 1917 में उद्योगों को वितीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से टाटा औद्योगिक बैंक की स्थापना की गई। सन् 1921 में तीनों प्रेसीडेन्सी बैंको को मिलाकर इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना की गई। बाद में सन् 1955 में उस बैंक का आंशिक राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसे स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का नाम दिया गया।

तीसा की विश्वव्यापी महान मंदी ने भी तत्कालीन भारतीय बैंकिंग व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, फिर भी विकास का क्रम जारी रहा। सन् 1930 में ही केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति का गठन किया गया। समिति का सुझाव था कि देश में एक सुदृढ़, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित बैंकिंग व्यवस्था की स्थापना के लिए एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना तथा एक व्यापक बैंकिंग अधिनियम बनाने पर बल दिया जाना चाहिए, जिससे कि बैंकों के संगठन, प्रबन्ध, अंकेक्षण तथा समापन के लिए व्यापक व्यवस्था की जा सके। सन् 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट पारित किया गया तथा अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया, किन्तु बैंकिंग नियमन अधिनियम कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

5. पंचम् अवस्था (Fifth Phase) (सन् 1939 से 1946 तक)

यह अवधि बैंकिंग विस्तार की अवधि कही जा सकती है। द्वितीय महायुद्ध के परिणामस्वरूप उत्पन्न मुद्रा प्रसार के कारण जन सामान्य की मौद्रिक आय में बड़े व्यावसायिक बैंकों का 19 जुलाई, 1969 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, वृद्धि हो गई फलतः सभी बैंकों के निक्षेप (Deposits) बढ़ गए।

युद्धकाल में बढ़ती हुई आर्थिक समृद्धि का लाभ उठाने के लिए पुराने बैंकों ने नई-नई शाखाओं की स्थापना की तथा नए-नए बैंकों की भी स्थापना की गई। भारत युनाइटेड कॉमर्शियल बैंक तथा हिन्दुस्तान कॉमर्शियल बैंक आदि की स्थापना भी इसी काल में हुई थी। युद्धकाल में बैंकों की निवेश नीति (Investment policy) में कुछ आधारमूलक परिवर्तन हुए थे। बैंकों ने सरकारी प्रतिभृतियों में पहले की अपेक्षा अधिक धन लगाना प्रारम्भ कर दिया था। युद्ध के पूर्व भारत के अनुसूचित बैंक (Scheduled Banks) अपने निवेश योग्य धन का लगभग 54% सरकारी प्रतिभूतियों में लगाया करते थे, परन्तु युद्धकाल में उन्होंने इसे बढ़ाकर 61% कर दिया था। इसी प्रकार भारतीय बैंकों ने पहले की अपेक्षा अधिक नकद-कोष (Cash Reserves) रखने प्रारम्भ कर दिए थे। युद्ध के पूर्व वे अपने निक्षेपों का लगभग 11 प्रतिशत नकद-कोष के रूप में रखा करते थे, परन्तु युद्धकाल में उन्होंने इसे बढ़ाकर 25% कर दिया था।

षष्ठम् अवस्था (Sixth Phase) (सन् 1947 से अब तक)

भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए 1 जनवरी, 1949 को उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया तथा भारतीय बैंकिंग का समन्वित नियमन करने के लिए मार्च 1949 में भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के अन्तर्गत अनुसूचित बैंकों का निरीक्षण करने के लिए रिजर्व बैंक को अधिक व्यापक अधिकार प्रदान किए गए। देश के ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाओं का विकास करने के लिए इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया का नाम 1 जुलाई, 1955 को आंशिक राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तथा इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया कर दिया गया। इसके साथ अन्य 8 (जो वर्तमान में 5 हैं) बैंकों को इसके सहायक बैंक के रूप में बदल दिया गया इसका नाम जिन्हें 'स्टेट बैंक समूह' के बैंक कहा जाता है।

ये बैंक निम्नलिखित हैं-

- 1. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (पहले स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर तथा स्टेट बैंक ऑफ जयपुर दोनों अलग-अलग थे। दोनों के कार्य क्षेत्रों में एकरूपता होने के कारण इन्हें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर में बदल दिया गया।)
 - स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
 - स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर
 - स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
 - स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र
 - स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
 - 7. स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर

उपर्युक्त सात बैंको में से स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का जुलाई 2008 में तथा स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर का जून 2009 में SBI में विलय करने के निर्णय के फलस्वरूप SBI समृह में पाँच बैंक ही रह जाएँगे।

बैंकों को और अधिक समाजोपयोगी बनाने के उद्देश्य से, देश के ऐसे 14 जिनकी जमाएँ 50 करोड़ रूपए से अधिक थीं। ये बैंक थे-

(1) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, (2) बैंक ऑफ इण्डिया, (3) पंजाब नेशनल बैंक, (4) केनरा बैंक, (5) यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, (6) सिंडीकेट बैंक, (7) बैंक ऑफ बड़ौदा, (8) यूनाइटेट बैंक ऑफ इण्डिया, (9) यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, (10) देना बैंक, (11) इलाहाबाद बैंक, (12) इण्डियन बैंक, (13) इण्डियन ओवरसीज बैंक, (14) बैंक ऑफ महाराष्ट्र।

एक दशक पश्चात् 15 अप्रैल, 1980 को पुनः 6 उन निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनकी जमाएँ 200 करोड़ रूपए से अधिक थीं।

- ये बैंक निम्नलिखित थे-
- (1) आन्ध्रा बैंक, (2) पंजाब एण्ड सिंध बैंक, (3) न्यू बैंक ऑफ इण्डिया,
- (4) विजया बैंक, (5) कॉर्पोरेशन बैंक, (6) ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स।
- 4 सितम्बर, 1993 को सरकार ने न्यू बैंक ऑफ इंपिडया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया। इससे राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 से घटाकर 19 रह गई।

चरण	स्थापित बैंक	वर्ष
प्रथम चरण	बैंक ऑफ हिन्दुस्तान	1770
द्वितीय चरण	बैंक ऑफ बंगाल	1806
	बैंक ऑफ बॉम्बे	1840
	बैंक ऑफ मद्रास	1843
तृतीय चरण	इलाहाबाद बैंक	1865
	एलाइंस बैंक ऑफ शिमला	1881
	अवध कॉमर्शियल बैंक	1881
	पंजाब नेशनल बैंक	1894
	बैंक ऑफ इण्डिया	1906
	बैंक ऑफ बड़ौदा	1908
	सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	1911
	बैंक ऑफ मैसूर	1913
चतुर्थ चरण	इम्पीरियल बैंक	1921
	भारतीय रिजर्व बैंक	1935
पांचवां चरण	यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक	
	हिन्दुस्तान कॉमर्शियल बैंक	
	भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण	1जनवरी,
षष्टम चरण		1949
	भारतीय स्टेट बैंक	1955
	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	1964
सप्तम चरण	आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक आदि	

भारतीय वाणिज्यिक बैंक (Commercial Bank of India)

भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के पंजीकृत बैंकों को वाणिज्यिक बैंक की संज्ञा दी गई। इन बैंकों को भारतीय बैंक विनियम अधिनियम, 1949 द्वारा शाखित किया जाता है। वाणिज्यिक बैंकों से आशय उन बैंकों से है जो देश की औद्योगिक एवं व्यापारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अल्पकालीन वित्त उपलब्ध कराते हैं।

वाणिज्यिक बैंकों का वर्गीकरण

(Classification Of Commericial Banks):

भारत में वाणिज्यिक बैंकों का वर्गीकरण संवैधानिक तथा स्वामित्व के आधार पर किया गया है। संवैधानिक आधार पर वाणिज्यिक बैंकों को अनुसूचित बैंक तथा गैर-अनुसूचित बैंकों में विभाजित किया जाता है।

अनुसूचित बैंक (Scheduled Bank):

ऐसे बैंकों को अनुसूचित बैंक की संज्ञा दी जाती है जिसको भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित किया गया। अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त करने के लिए बैंको को निम्नवत् शर्तें पूरी करनी होती हैं-

- बैंक की प्रदत्त पूँजी तथा संचित राशि 5 लाख रूपए से कम नहीं होनी चाहिए।
- भारतीय रिजर्व बैंक इस बात से पूरी तरह संतुष्ट हो कि इन बैंकों द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाएगा जिससे जमाकर्ताओं का अहित हो।
- यह एक संयुक्त पूँजी कम्पनी होनी चाहिए न कि एकल व्यापारी अथवा साझा फर्म।


इसके अतिरिक्त इन बैंकों को अपनी जमा का एक निश्चित अंश भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद रूप से रखना पड़ता है तथा बैंकिंग अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के पास समय-समय पर विवरण-पत्र भी भेजना पड़ता है।

अनुसूचित बैंक को निम्नलिखित सुविधाएँ प्राप्त हो जाती हैं-

- (i) वह बैंक रिजर्व बैंक से बैंक दर पर ऋण प्राप्त करने के लिए अधिकृत हो जाता है।
- (ii) प्रत्येक अनुसूचित बैंक स्वतः ही समाशोधन गृह की सदस्यता प्राप्त कर लेता है।
- (iii) ऐसे बैंकों को रिजर्व बैंक प्रथम श्रेणी के विनियम पत्रों की पुनर्कटौती की सुविधा भी प्रदान करता है, किन्तु इन सुविधाओं के बदले अनुसूचित बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के पास उसके (RBI) द्वारा निर्धारित औसत दैनिक नकद कोष रखना पड़ता है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 एवं बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत आवर्ती विवरण प्रस्तुत करना पड़ता है।

गैर-अनुसूचित बैंक (Non-Scheduled Bank)

गैर-अनुसूचित बैंक से आशय ऐसे बैंकों से है जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सिम्मिलित किया गया है। परन्तु यह बैंक वैधानिक नकद आरक्षण आवश्यकताओं के अधीन है और इनको निश्चित राशि भारतीय रिजर्व बैंक के पास न रखकर अपने पास रखने का अधिकार है। गैर-अनुसूचित बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से रियायती प्रेषण तथा उधार लेने की सुविधा नहीं प्राप्त होती है।



भारत में बैंको के विकास के चरण

(Stages of Development of Banks in India)

धारतीय रिजर्द देंदर (Reserve Bank of India)

रिजर्व बेंक ऑफ इण्डिया (RBI) की स्थापना रिजर्व बेंक ऑफ इण्डिया अधिनियम, 1934 के तहत् 1 अप्रैल, 1935 को 5 करोड़ रूपए की अधिकृत पूँजी से हुं थी। यह 5 करोड़ रूपए की पूँजी 100 रूपए मूल्य के 5 लाख अंशों (Shares) में विभाजित थी। प्रारम्भ में लगभग समस्त अंश पूंजी का स्वामित्व गैर-सरकारी अंशधारियों के पास था, किन्तु अंशों को कुछ व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित होने से रोकने के लिए सरकार ने 1 जनवरी, 1949 को रिज़र्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर (Governor of RBI):

क्र.स.	गवर्नर	कार्यकाल
1.	सर ओसबोर्न स्मिथ	1-4-35 से 30-6-37
	(Sir Osborne Smith)	
2.	सर जेम्स टेलर	1-7-37 से 17-2-43
	(Sir James Taylor)	
3.	सर सी. डी. देशमुख	11-8-43 से 30-6-49
4.	सर बेनेगल रामाराउ	1-7-49 से 14-1-57
5.	के. जी. अंबेगांवकर	14-1-57 से 28-2-57
6.	एच. वी. आर. आयंगर	1-3-57 से 28-2-62
7.	पी.सी. भट्टाचार्य	1-3-62 से 30-6-67
8.	एल.के. झा	1-7-67 से 3-5-70
9.	बी. एन. अदारकर	4-5-70 से 15-6-70
10.	एस. जगन्नाथन	16-6-70 से 19-5-75
11.	एन. सी. सेनगुप्ता	19-5-75 से 19-8-75
12.	के. आर. पुरी	20-8-75 से 2-5-77
13.	एम. नरसिंहम	2-5-77 से 30-11-77
14.	आई. जी. पटेल	1-12-77 से 15-9-82
15.	डॉ. मनमोहन सिंह	16-9-82 से 14-1-85

16.	ए. घोष	15-1-85 से 4-2-85
17.	आर. एन. मन्होत्रा	4-2-85 से 22-12-90
18.	एस. वेंकटारमणन	22-12-90 से 21-12-90
19.	डॉ. सी. रंगराजन	22-12-92से21-11.97
20.	डॉ. बिमल जालान	22-12-97 से 6-9-03
21.	डॉ. वाई. वी. रेड्डी	6-9-03 से 5-9-08
22.	डी. सुब्बाराव	5-9-08 से 5-9-13
23.	डॉ. रघुरामराजन	5-9-13 से 4-9-16
24.	उर्जित पटेल	4-9-16 से अब तक

रिजर्व बैंक के कार्यालय (Office Of Reserve Bank):

भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय अथवा मुख्यालय मुम्बई में है। भारतीय रिजर्व बैंक के चार स्थानीय प्रधान कार्यालय नई दिल्ली, कोलकाता, मद्रास तथा मुम्बई में हैं। इसके अतिरिक्त अहमदाबाद, भुवनेश्वर, मुम्बई, कोलकाता, गौहाटी, जयपुर, मद्रास, हैदराबाद, मुम्बई, कानपुर, नागपुर तथा पटना में शाखा कार्यालय भी हैं। जहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय नहीं है। वहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। भारतीय रिजर्व बैंक का एक कार्यालय लन्दन में भी है जिसका कार्य अभिकर्ता के कार्यों को करने के अतिरिक्त भारत के उच्च आयुक्त का हिसाब-किताब भी रखना है।

भारतीय रिजर्व बैंक की संरचना (Structure/ Composition of RBI)

बैंक में सामान्य प्रबन्ध एवं निर्देशन का कार्य 21 सदस्यों पर आधारित केन्द्रीय निदेशक मण्डल को सौंपा गया। इसमें एक गवर्नर, चार डिप्टी गवर्नर, दो वित्त मन्त्रालय द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकाकरी और भारत सरकार द्वारा नॉमित दस ऐसे निदेशक होते हैं, जो देश के आर्थिक जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और चार निदेशक स्थनीय बोर्डो (Local Boards) का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा नॉमित किए जाते हैं। स्थानीय बोर्डों के पाँच सदस्य होते हैं, जो केन्द्र सरकार द्वारा चार वर्षों की अविध के लिए नियुक्त किए जाते हैं और इनमें क्षेत्रिय एवं आर्थिक हितों और सरकारी एवं देशी बैंकों को प्रतिनिधित्व मिलता है।

वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त सरकरी अधिकारी प्रायः भारत सरकार का वित्त सचिव होता है, जो सरकार की इच्छानुसार बोर्ड (मण्डल) में बना रहता है।

रिजर्व बैंक के विभाग (Department of RBI)

रिजर्व बैंक के निम्नलिखित विभाग हैं

1. नोट जारी करने वाला विभाग (Note Issuing Department)

इस विभाग को नोट नासिक में स्थित इण्डियन सिक्योरिटी प्रेस (Indian Security Press) से प्राप्त होता है और यह विभिन्न टेजरी में वितरित करता है। नोट जारी करने के लिए सम्पूर्ण देश को सात क्षेत्रों (Circles) में विभाजित कर दिया गया है।

भारत में व्यापारिक दृष्टि से अक्टूबर-नवम्बर से अप्रैल-मई तक काल 'व्यस्त काल' (busy season) होता है, जिसमें मुद्रा तथा सरख में माँग बढ़ जाती है। इसके विपरीत, मई-जून से सितम्बर-अक्टूबर तक का काल 'शिथिल काल' (Slack season) कहलाता है जिसमें व्यापारी तथा उद्योगपित अपने ऋण लौटाने लगते हैं। प्रायः देखा गया है कि रिजर्व बैंक 'व्यस्त काल' में निर्गमित नोटों की मात्रा बढ़ाता है और 'शिथिल काल' में कम कर देता है।

2. बैंकिंग विभाग (Banking Department)

रिजर्व बैंक सरकार के बैंक के रूप में काम करता है और यह बैंकों का बैंक भी है। यह विभाग चार विभागों में विभाजित है- राजकीय ऋण, राजकीय लेखा (Public Accounts), जमानत (Securities) तथा जमा-खाता (Deposit Accounts)

3. कृषि साख विभाग (Agricultural Credit Department)

इस विभाग का काम कृषि-साख के विषय में छानबीन करना है। यह मुम्बई, नई दिल्ली, कोलकाता तथा चेन्नई में क्षेत्रिय दफ्तर में स्थित है। इस विभाग के चार हिस्से हैं

- (i) वित्त तथा निरीक्षण (Finance and Inspection)
- (ii) योजना तथा व्यवस्था (Planning and Organisation)
- (iii) सहकारी प्रशिक्षण और प्रकाशन (Co-operative Training and Publication) तथा
- (iv) हथकरघा-वित्त (Handloom Finance)

4. विनियम-नियन्त्रण विभाग (Exchange Control Department)

इस विभाग का निर्माण 1939ई0 में हुआ। इसका काम विदेशी विनियम पर नियन्त्रण रखना था। 1947 ई0 के सिन्नयम ने विनिमय-नियन्त्रण के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक को बहुत अधिकार दिए हैं, इसकी शाखाएँ नई दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई और कानपुर में स्थित हैं।

5. निरीक्षण विभाग (Inspection Division)

यह विभाग केन्द्रीय बैंक के विभिन्न ऑफिसों की समय-समय पर जाँच करता है।

रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य (Main Functions Of Reserve Bank)

भारत का केन्द्रीय बैंक होने के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्य काफी विस्तृत तथा विभिन्न प्रकार के हैं-

करेंसी नोटों का निर्गमन (Issue of Currency Notes)

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 22 के अनुसार, रिजर्व बैंक को एक रुपए के सिक्के/नोटों एवं छोटे सिक्कों को छोड़कर भारत के विभिन्न मूल्य वर्ग (Various Denomination) के करेंसी नोटों के निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त है। करेंसी नोटों के निर्गमन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन एक अलग

नोट निर्गमन विभाग है। मूल्य अधिनियम के अनुसार नोट निर्गमन के पीछे स्वर्ण था विदेशी प्रतिभूतियों का आनुपातिक कोष (Proportional Reserve) रखना पड़ता था। भारत में योजनाओं का युग प्रारम्भ होने पर मुद्रा प्रणाली में कुछ अधिक लोच लाने के लिए अक्टूबर, 1956 में भारतीय रिजर्व बैंक के मूल अधिनियम, 1934 में संशोधन किया गया तथा पत्र-मुद्रा निर्गमन की आनुपातिक कोषण प्रणाली (Proportional Reserve System) के स्थान पर न्यूनतम कोष प्रणाली (Minimum Reserve System) को अपनाया गया। इस प्रणाली के अन्तर्गत रिजर्व बैंक के पास स्वर्ण एवं विदेशी मुद्राओं के कोष की न्यूनतम राशि संयुक्त रूप से 200 करोड़ रूपए के मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार विदेशी प्रतिभूतियाँ केवल 85 करोड़ रूपए रखना आवश्यक रह गया।

सरकारी बैंकर का काम करना (Work of Government Banker)

रिजर्ब बैंक केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बैंकर, एजेंट तथा आर्थिक एवं वित्तीय मामलों पर परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। रिजर्ब बैंक केन्द्र तथा राज्य सरकारों के नकद कोष रखने तथा सरकार के भुगतानों को स्वीकार करने का काम करता है, परन्तु वह इसके बदले में किसी प्रकार का ब्याज नहीं देता है। रिजर्ब बैंक सरकार की करों से होने वाली आय को जमा करता है, सरकार के आदेशानुसार भुगतान करता है और सरकारी कोषों को एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानान्तरित करता है। सार्वजनिक ऋण की सम्पूर्ण व्यवस्था करना, उनको जमा कराना तथा उनका भुगतान कराना रिजर्व बैंक का ही कार्य है। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक केन्द्रीय सरकार के लिए ट्रेजरी बिलों का विक्रय, केन्द्र व राज्य सरकारों को ऋण उपलब्ध कराने (ऋण या तो मांग पर शोधनीय होने चाहिए अथवा अधिक से अधिक 90 दिन के भीतर शोधनीय कामचलाऊ अग्रिम होना चाहिए) आदि का काम भी करता है।

बैंकों के बैंक का कार्य (Work as Bankers of Banks)

देश की साख तथा बैंकिंग व्यवस्था पर नियन्त्रण रखने की दृष्टि से रिजर्ब बैंक की मुद्रा बाजार के विभिन्न अंगों पर अधिकार प्राप्त है। बैंकिंग व्यवसाय से जुड़ी कोई भी कम्पनी जिसकी प्रदत्त पूँजी तथा संचित कोष 5 लाख रुपयों से अधिक हो, रिजर्व बैंक की दूसरी सूची में शामिल कर ली जाती है और अनुसूचित बैंक (Scheduled Bank) कहलाती है। रिजर्ब बैंक अनुसूचित बैंकों की स्वीकृति बिलों की पुनर्कटौती (rediscounting) तथा मान्यता प्राप्त प्रतिभूतियों के आधार पर अग्रिम देकर आर्थिक सहायता प्रदान करता है। सहकारी तथा अनुसूचित बैंकों को रिजर्व बैंक प्रेषण (remittance) सुविधाएँ भी प्रदान करता है। यदि रिजर्व बैंक अन्भव करता है कि कोई बैंक आर्थिक दृष्टि से कमजोर है और उसका निस्तारण (Liquidation) जमाकर्ताओं तथा मुद्रा बाजार के हित में है तो रिजर्व बैंक उस बैंक विशेष को इस सम्बन्ध में आदेश देकर निस्तारण करवा सकता है। इसके अतिरिक्त बैंकों की संख्या एवं नवीन शाखाओं पर नियन्त्रण रखना, विभिन्न बैंकिंग व्यवसाय सम्बंधी विवरणों की प्राप्ति तथा निरीक्षण करना, बैंकों अथवा बैंक विशेष के किसी विशेष लेन-देन पर प्रतिबन्ध लगाना, बैंक की साख निर्माण सम्बन्धी नीति को निर्धारित करना, प्रत्येक बैंक से वार्षिक स्थिति विवरण (Balance Sheet) तथा लेखा परीक्षक (auditor) की रिपोर्ट सहित अन्य लेखे प्राप्त करना तथा संकट काल में बैंकों को आवश्यक सलाह तथा आर्थिक सहायता देना, इत्यादि भारतीय रिजर्व बैंक के अन्य विशेषाधिकार हैं।

विदेशी विनिमय का नियन्त्रर्ण

(Control Of Foreign Regulations)

रिजर्व बेंक देश के विदेशी विनिमय भण्डार के परिरक्षक (Custodian) के रूप में कार्य करता है तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सभी सदस्य देशों की मुद्राओं का क्रय-विक्रय करता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 40 के अन्तर्गत रिजर्व बैंक विदेशी विनियम दर के स्थिर रखने का काम करता है तथा इसके लिए प्रायः मौद्रिक और राजकोषीय उपायों का सहारा लेता है। फरवरी, 1947 तक रिजर्व बैंक केन्द्रीय सरकार की ओर से भारत प्रतिरक्षा कानून के अन्तर्गत विनिमय नियन्त्रण करता था, लेकिन विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम, 1947 (FERA, 1947) के बन जाने से इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक को स्वतन्त्र उत्तरदायित्व मिल गया। इस अधिनियम का स्थान बाद में विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम, 1973 ने ले लिया, जिसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे। विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम (FERA) के स्थान पर अब विदेशी विनिमय प्रबन्ध अधिनियम (FERA) लागू कर दिया गया है।

रिजर्व बैंक के कार्य (Functions of Reserve Bank)

केन्द्रीय बैंक के रूप में कार्य	सामान्य बैंकिंग के रूप में कार्य
नोट निर्गमित करना	जमा प्राप्त करना
सरकार का बैंकर	अल्पावधि ऋण देना
बैंको का बैंकर	अल्पावधि ऋण लेना
विनिमय दर को स्थिर रखना	विपत्रों को भुनाना व क्रय-विक्रय
साख नियन्त्रण	कृषि विपत्रों का क्रय-विक्रय
समाशोधन गृह का कार्य	विदेशी विनिमय विपत्रों का क्रय-विक्रय
कृषि साख की व्यवस्था	मूल्यवान धातुओं का क्रय-विक्रय
औद्योगिक वित्त व्यवस्था	बहुमूल्य पदार्थों को सुरक्षित रखना
बिल बाजार का विकास	विश्व बैंक में खाता खोलना
प्रशिक्षण व्यवस्था	अन्य राष्ट्रों के केन्द्रीय बैंकों में खाता
	खोलना
आँकड़ों का संकलन व प्रकाशन	

प्रतिबन्धित कार्य जो रिजर्व बैंक नहीं कर सकता (Restricted Work Which Reserve Bank Can Not Perform)

रिजर्व बैंक अन्य बैंकों का प्रतियोगी (Competitor) न बन जाए, इसके लिए सरकार ने यह प्रतिबन्ध लगा दिया है कि रिजर्व बैंक निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकता।

- (i) वह अचल सम्पत्ति के जमानत पर कर्ज नहीं दे सकता।
- (ii) ऐसी सम्पत्ति को अपने इस्तेमाल के लिए भी नहीं खरीद सकता।
- (iii) वह बिना जमानत लिए कर्ज (unsecured loan) नहीं दे सकता।

- (iv) वह किसी कम्पनी या बैंक के अंशों को न तो स्वयं खरीद सकता है और न किसी जमानत पर कर्ज ही दे सकता है।
- (v) वह केवल उन्हीं बिलों को जारी कर सकता है या भुना सकता है, जो माँग पर देय हों।
- का क्रय-विक्रय करता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 40 के अन्तर्गत (vi) वह व्यापार, उद्योग एवं वाणिज्य में निश्चित काल के लिए भाग नहीं ले रिजर्व बैंक विदेशी विनियम दर के स्थिर रखने का काम करता है तथा इसके लिए सकता।


महत्वपूर्ण तथ्य (Important Facts)

- सन् 1925-26 ई. में हिल्टन यंग कमीशन (Hilton Young Commission) ने सरकार को बताया कि भारत की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना की जाए।
- इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया जिसकी स्थापना सन् 1921 ई. में गयी थी, पूर्ण रूप से केन्द्रीय बैंक का कार्य नहीं कर रहा था। नोट छापने का अधिकार सरकार को था और बैंकों के बैंक (Banker's Bank) की हैंसियत से इम्पीरियल बैंक ही कार्य करता था।
- इम्पीरियल बैंक देश के अन्य बैंकों से प्रतियोगिता करता था। अतएव अन्य बैंकों को इस पर विश्वास नहीं रहने के कारण इसे केन्द्रीय बैंक बनाना उचित नहीं था।
- इम्पीरियल बैंक के लिए सम्भव नहीं था कि वह केन्द्रीय बैंकों के कार्यों के साथ-साथ साधारण बैंकिंग के कार्य भी कर सके। इसका संचालन-मण्डल यह मानने को तैयार नहीं था कि इम्पीरियल बैंक साधारण बैंकिंग कार्य को छोड दे।
- मुद्रा तथा साख पर सरकार एवं इम्पीरियल बैंक का दोहरा नियन्त्रण दोष्ठपूर्ण था और इसके लिए केन्द्रीय बैंक का होना अत्यन्त आवश्यक था। ऐसी स्थिति में सरकार ने भी अनुभव किया कि एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना की जाए। सन् 1934 ई. में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट पास किया गया और इसके अनुसार 1 अप्रैल, 1935 ई. को रिजर्व बैंक ने अंशधारियों के बैंक के रूप में अपना कार्य शुरू किया।
- 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के साथ ही 'बैंकिंग नियमन अधिनियम' पारित किया गया जिसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को वाणिज्यक बैंकों पर नियन्त्रण रखने का विस्तृत अधिकार प्राप्त हो गया।
- आर. बी. आई. की स्थापना 5 करोड़ रुपये की अधिकृत पुँजी के साथ हुई। इसमें भारत सरकार का शेयर 5 प्रतिशत था और शेयर पूँजी 5 करोड़ (जोकि अब तक है) की थी।
- यह बैंक वास्तविक तौर पर उस समय के बेहतर विदेशी केन्द्रीय बैंकों के मॉडल पर शेयर पूँजी 5 करोड़ रूपये का 100 रु-पये मूल्य के 5 लाख के शेयरों में बाँटा गया।
- प्रारम्भ में, केन्द्रीय सरकार को आवंटित 2,200 शेयरों को छोड़कर बाकी शेष सभी निजी शेयर धारकों के थे।

सामान्य सचेतता

- फरवरी 1947 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का निर्णय लिया गया और रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (ट्रांस्फर टू पब्लिक ऑनरशिप) अधिनियम 1948 के अनुसार सम्पूर्ण शेयर पूँजी केन्द्रीय सरकार को हस्तान्तरित मान ली गयी।
- 1 जनवरी, 1949 से भारतीय रिजर्व बैंक राष्ट्र का संस्थान हो गया। 1948 का अधिनियम केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार देता है कि वह जनता के हित के लिए इस बैंक को निर्देश दे सकती है।
- भारत में अक्टूबर से मई तक का समय व्यापारिक दृष्टि से व्यस्त काल होता है और इस समय मुद्रा की माँग अधिक होती है। रिजर्ब बैंक इस अविध में मुद्रा के प्रचलन की मात्रा को बढ़ाता है। मई से अक्टूबर तक मुद्रा की माँग में कमी होती है, क्योंकि यह व्यापार में कमी का काल होता है। इस मंदी काल में रिजर्ब बैंक मुद्रा की मात्रा में कमी करता है।
- जून, 1948 तक RBI ने पाकिस्तान के केन्द्रीय बैंक के रूप में भी कार्य किया था।
- 14 जनवरी, 1935: भारतीय रिजर्व बैंक के सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स की पहली बैठक कोलकाता में हुई।
- श्रील 1935 : शेयर धारकों के बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक का जन्म हुआ। सर ओसबोर्न एस. स्मिथ (Sir Osborne S-Smith) भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। आरम्भ में बैंक कुछ विभागों के साथ शुरू हुआ जैसे- नोटों का निर्गमन, बैंकिंग कृषि साख विभाग, लोक ऋण कार्यालय, जमा खाता और शेयर हस्तांतरण विभाग।
- 18 मार्च 1937: आर. बी. आई. ने बर्मा सरकार के बैंकर के रूप में कार्य किया और 18 मार्च का बर्मा मौद्रिक प्रबन्ध आदेश 1937 के अनुसार बर्मा में नोट भी जारी किया।
- दिसम्बर 1937: रिजर्व बैंक का केन्द्रीय कार्यालय स्थायी रूप से कलकत्ता से बम्बई हस्तान्तरित किया गया।
- 🗷 जनवरी 1938 : रिजर्व बैंक ने अपने करेंसी नोट जारी किये।
- जनवरी 1947: रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया बुलेटिन का प्रकाशन आरम्भ किया गया।
- अ 31 मार्च, 1947 : भारतीय रिजर्व बैंक ने बर्मा के केन्द्रीय बैंक के रूप में कार्य करना बंद कर दिया।

RBI के निर्देशानुसार बैंकों को अपनी उधारियों का कम-से-कम 40% प्राथमिकता क्षेत्र को उपलब्ध कराना होता है तथा इसमें से 18% भाग बैंकों से कृषि को उपलब्ध कराना होता है। जो बैंक इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते हैं उनके विरूद्ध RBI उचित कार्यवाही भी कर सकता है। विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को 32% का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।



भारतीय स्टेट बैंक (State Bank Of India)

भारतीय स्टेट बैंक के उदय की शुरूआत उन्नीसवीं सदी के पहले दशक में 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना के साथ हुआ। तीन वर्ष बाद इस बैंक को अपना चार्टर प्राप्त हुआ और उसे 2 जनवरी 1809 को बैंक ऑफ बंगाल के रूप में पुनर्गठित किया गया। यह एक अद्वितीय संस्था और ब्रिटेन शासित भारत का प्रथम संयुक्त पूँजी बैंक था जिसे बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया था। बैंक ऑफ बंगाल के उपरान्त बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 15 अप्रैल 1840 को तथा बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1 जुलाई, 1843 को की गई। इन तीनों बैंकों को मिलाकर 27 जनवरी, 1921 को इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया का गठन किया गया।

भारतीय स्टेट बैंक का उदय (Rise of State Bank Of India)

भारतीय स्टेट बैंक का अभ्युदय 1 जुलाई, 1955 को इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप हुआ। अगस्त 1955 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की अनुशंसा पर इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया।

1959 में भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम पारित किया गया, जिसके फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक ने पूर्ववर्ती राज्यों के सात सहयोगी बैंकों का अनुषंगी के रूप में अधिग्रहण किया। इस प्रकार भारतीय स्टेट बैंक का प्रादुर्भाव सामाजिक उद्देश्य के नए दायित्व के साथ हुआ। भारतीय स्टेट बैंक से सम्बद्ध किए गए 7 बैंकों को भारतीय स्टेट बैंक का अनुषंगी बैंक कहा जाता है। भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंक निम्नवत् हैं-

बैंक का नाम	सहायक बैंक के रूप में कार्य आरम्भ करने की तिथि
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	1 अक्टूबर, 1959
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर	1 जनवरी, 1960
स्टेट बैंक ऑफ जयपुर	1 जनवरी, 1960
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	1 मई, 1960
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	1 अप्रैल, 1960
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	1 मार्च, 1960
स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	1 जनवरी, 1960
स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर	1 जनवरी, 1960

सहायक बैंकों के रूप में इन बैंकों का पृथक अस्तित्व बनाये रखने का एकमात्र कारण 'अपने-अपने क्षेत्रों की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति' ही था। 1 जनवरी, 1963 को स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर तथा स्टेट ऑफ जयपुर को एकीकृत कर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर की स्थापना की गई। इसका मुख्य कार्यालय जयपुर में ही है। इस तिथि से स्टेट बैंक के सहायक बैंकों की संख्या सात ही रह गई।

भारतीय स्टैट बैंक का प्रबंधन (Management Of State Bank Of India)

भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंधन एक 20 सदस्यीय केन्द्रीय संचालक मण्डल द्वारा किया जाता है। बैंक के केन्द्रीय संचालक मण्डल में एक अध्यक्ष तथा 2 प्रबंध निदेशक होते हैं। इसके अतिरिक्त 17 संचालक होते हैं। इनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमित से करती है। केन्द्रीय संचालक मण्डल के 6 सदस्य केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।

भारतीय स्टेट बैंक के कार्य (Operations Perform By State 9. Bank Of India)

स्टेट बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है-

- बैंकों के बैंक के रूप मैं कार्य- बैंकों के बैंक के रूप में स्टेट बैंक निम्नलिखित कार्य करता है-
- (i) यह व्यापारिक बैंकों से जमाएँ स्वीकार करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ऋण भी देता है।
- (ii) यह व्यापारिक बैंकों के बिलों की पुनर्कटौती करता है।
- (iii) यह रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में सभी व्यापारिक बैंकों के लिए समाशोधन गृह का कार्य करता है।

2. रिजर्व बैंक का एजेण्ट (Agent of Reserve Bank)

रिजर्व बैंक की अनुमित से स्टेट बैंक उसके एजेण्ट का कार्य कर सकता है। एजेण्ट के रूप में यह रिजर्व बैंक द्वारा जो निर्धारित कार्य करता है उसके लिए वह कमीशन भी प्राप्त करता है। यह उल्लेखनीय है कि स्टेट बैंक अपने स्थापना के वर्ष (1955) से ही रिजर्व बैंक के एजेण्ट का कार्य कर रहा है।

3. ऋण देना (Lending)

स्टेट बैंक का दूसरा प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कार्य व्यापारियों को अल्पकालीन ऋण देना है। ये ऋण सामान्यतः माल, सम्पत्तियों तथा प्रतिभूतियों की जमानत पर-नकद साख द्वारा, अधिविकर्ष द्वारा तथा हण्डियों द्वारा दिये जाते हैं।

4. जमाएँ स्वीकार करना (Accept Deposits)

स्टेट बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंकों की भाँति जनता से विभिन्न प्रकार की जमाएँ स्वीकार करता है। अन्य व्यापारिक बैंकों की भाँति स्टेट बैंक भी चालू खाता, स्थायी जमा खाता, संचिति खाता, बचत खाता आदि खाते खोलकर जनता की जमाओं को आकर्षित करता है। इनके द्वारा भी व्यापारिक बैंकों की भाँति ब्याज दिया जाता है।

5. ग्रामीण साख का विकास (Development of Rural Credit)

स्टेट बैंक का मुख्य कार्य ग्रामीण साख के विभिन्न अंगों का विकास करना है। अतः यह बैंक सहकारी बिक्री और गोदाम व्यवस्था को ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाने का प्रयत्न करता है।

6. ग्रामीण बचत का संग्रह करना (Collecting Rural Savings)

स्टेट बैंक का मुख्य कार्य ग्रामीण क्षेत्र में अधिक शाखाएँ खोलकर उनकी बचतों का संग्रह करना है तथा ग्रामीण जनता में बचत करने की भावना को प्रेरित करना हैं।

- 7. अभिगोपन (Preferentiality) स्टेट बैंक द्वारा अंशों, ऋण-पत्रों तथा विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों का अभिगोपन किया जा सकता है।
- 8. सम्पत्ति की सुरक्षा (Security Of Assests) स्टेट बैंक अपने ग्राहकों द्वारा जमा कराई गई मूल्यवान वस्तुएँ (अंश, ऋण-पत्र, सोना, जेवर आदि) सुरक्षा गृह में रखने की व्यवस्था कर सकता है।

9. ग्राहक के एजेण्ट के रूप में कार्य (Work as Customers Agent)

स्टेट बैंक अपने ग्राहक के एजेण्ट के रूप में धन का हस्तान्तरण, भुगतान प्राप्त करना, ग्राहकों की ओर से भुगतान करना, अंशों और प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय करना, ग्राहकों के लिए पासपोर्ट की व्यवस्था करना, ट्रस्टी का कार्य करना, ग्राहकों को आर्थिक सलाह देना आदि अनेक कार्य करता है।

10. प्रतिभूतियों में विनियोजन (Appropriation in Securities)

अन्य व्यापारिक बैंकों की तरह भारतीय स्टेट बैंक अपने कोष का सरकारी प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेशन की प्रतिभूतियों तथा सरकारी टेजरी में भी विनियोग करता है।

11. रकमों की वसूली (Recovery of Assests)

ग्राहकों द्वारा जमा किए गए प्रतिज्ञा-पत्र, ऋण-पत्र, अंश आदि की रकमें वसल करके ग्राहकों के खातों में जमा करता है।

12. साख-पत्रों को जारी करना तथा धन स्थानान्तरण सुविधा (Issuance of Letter of Credit and Money Transfer Facility)

स्टेट बैंक अपने ग्राहकों के लिए देशी-विदेशी ड्राफ्ट, साख-पत्र आदि लिख सकता है और तार द्वारा रकमें भेजने का प्रबन्ध कर सकता है।

सामान्य सचेतता

13. अन्य कार्य (Other Work)

उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त स्टेट बैंक निम्नलिखित सामान्य बैंकिंग के कार्य भी करता है- (i) सोने व चाँदी का क्रय करना, (ii) बहुमूल्य वस्तुओं को सुरक्षित रखना, (iii) यात्री चेक जारी करना (iv) लघु उद्योगों एवं सहकारी समितियों को उदार शर्तों पर विशेष ऋण सुविधा देना, (v) किसानों को प्रत्यक्ष ऋण देना, (vi) प्रन्यासी या ट्रस्टी के रूप में कार्य करना, (vii) भारत के बाहर शोधनीय विनिमय-पत्र या लेटर ऑफ क्रेडिट लिखना आदि।

14. **園**ल (Bill)

स्टेट बैंक बिल लिखने, स्वीकार करने, खरीदने बेचने तथा कटौती करने का कार्य कर सकता है।

महत्वपूर्ण तथ्य (Important Facts)

- अभारतीय स्टेट बैंक जीवन बीमा (Life Insurance) कारोबार में पहले से ही संलग्न है। जीवन बीमा कारोबार के लिए फ्रांस की कार्डिफ एस. ए. (Cardif S.A.) के साथ गठबन्धन कर एसबी आई लाइफ (SBI Life) नाम से अपनी अनुषंगी कम्पनी का गठन 2001 में इसने किया था। जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला यह देश का पहला वाणिज्यिक बैंक था। स्टेट बैंक की एसबी आई लाइफ में 74 प्रतिशत शेयर-पुँजी है।
- वर्तमान में स्वयं सहायता समूह क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक की अग्रणी भूमिका है। यह देश का पहला वाणिज्यिक बैंक है जिसे नाबार्ड (NABARD) ने स्वयं सहायता प्रोन्नयन संस्थान का दर्ज दिया है। स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के लिए आवास निर्माण की एक अभिनय योजना- 'सहयोग निवास' भारतीय स्टेट बैंक ने ही प्रारम्भ की है।
- प्राहक सेवा के उन्नयन के लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने 1 जुलाई, 2010 को अपने स्थापना दिवस पर 'ग्रीन बैंकिंग चैनल' सुविधा अपनी चुनिंदा शाखाओं में शुरू की है। 'ग्रीन चैनल' काउण्टर पर बैंक के ग्राहक धन जमा करने (Deposits) एवं धन की निकासी (Withdrawls) की 'पेपरलैस' सुविधा उपलब्ध होगी।

য়াঘ্রীঅভূচন্ত ভীৰ্ছ (Nationalized Banks)

> आईडीबीआई बैंक (IDBI BANK)



स्थापना वर्ष (Establishment Year) : जुलाई, 1964 मुख्यालय (The Headquarters) : मुम्बई

• आईडीबीआई बैंक एक यूनिवर्सल बैंक है जो एक श्रेष्ठ कोर बैंकिंग सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर रहा है। यह बैंक देश भर के विभिन्न केन्द्रों में फैली अपनी कई शाखाओं और एटीएम के विशाल नेटवर्क के जिएए अपने ग्राहकों को व्यक्तिगत बैंकिंग सेवाएँ तथा वित्तीय समाधान प्रदान करता है।

आईडीबीआई ने दुबई में भी अपनी विदेशी शाखा खोली है तथा वैश्विक अवसरों का लाभ उठाने के लिए विदेश में और भी शाखाएँ खोलने की इसकी योजना है। इसका वित्तीय बाजारों का अनुभव इसे चुनौतियों का प्रभावी रूप से सामना करने और राष्ट्र के विकास की प्रक्रिया में सिक्रिय सहभागिता करते हुए भावी अवसरों का लाभ उठाने में सहायता करेगा।

संकल्प (Oath)

 सभी अंशधारकों के मूल्य में वृद्धि करते हुए सबसे पसन्दीदा और विश्वसनीय बैंक बनना।

ध्येय (The Goal)

- अपनी उत्कृष्ट सेवा और बेहतरीन वित्तीय समाधानों की व्यापक शृंखला के साथ ग्राहकों को आनंदित करना।
- कॉरपोरेट और इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तपोषण में उत्कृष्टता को बनाये रखते हुए रिटेल क्षेत्र में अपनी पहुँच बढ़ाकर अधिक से अधिक लोगों के जीवन से जुड़ना।
- नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से कार्य करते हुए कॉरपोरेट अभिशासन के लिए आदर्श मॉडल बनना।
- कारोबार कार्यकुशलता में सुधार लाने और ग्राहक की अपेक्षाओं पर खरा उत्तरने के लिए विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी, प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं का प्रयोग करना।
- कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने, विकसित करने और कर्मठ एवं प्रतिबद्ध पानव संसाधन तैयार करने के लिए सकारात्मक, सिक्रय एवं कार्य-निष्पादन आधारित कार्य-संस्कृति को प्रोत्साहित करना।,
- विश्व स्तर पर पहुँच को बढ़ाना।
- हरित संरक्षी बनने के लिए निरंतर प्रयास करना।

आईडीबीआई के गठन के सम्बन्ध में जानकारी

(Information Regarding IDBI Bank Formation)

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (Industrial Development Bank Of India): भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) का गठन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के तहत एक वित्तीय संस्था के रूप में हुआ था और यह भारत सरकार द्वारा जारी 22 जून, 1964 की अधिसूचना के द्वारा 01 जुलाई, 1964 से अस्तित्व में आया। इसे कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 4A के प्रावधानों के अन्तर्गत एक सार्वजनिक वित्तीय संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ। सन् 2004 तक यानी, 40 वर्षों तक इसने वित्तीय संस्था के रूप में कार्य किया और 2004 में इसका रूपान्तरण एक बैंक के रूप में हो गया।

इण्डस्ट्रियल डेक्लपमेंट बैंक ऑफ इण्डिया लिमिटेड (Industrial Development Bank Of India Ltd.): आवश्यकता महसूस होने और वाणिज्यिक विवेक के आधार पर आईडीबीआई को बैंक के रूप में रूपांतरित करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 को निरस्त करते हुए इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इण्डिया (उपक्रम का अन्तरण व निरसन) अधिनियम, 2003 (निरसन अधिनियम) पारित किया गया। निरसन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी अधिनियम के अधीन

X-EEED

सामान्य सचेतता

27 सितम्बर, 2004 को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इण्डिया लिमिटेड (आईडीबीआई लि.) के नाम से एक नई कम्पनी सरकारी कम्पनी के रूप में निगमित हुई। तत्पश्चात प्रभावी तारीख 01 अक्टूबर, 2004 से का उपक्रम आईबीआई (आईडीबीआई लि.) के नाम से एक नई कम्पनी सरकारी कम्पनी के रूप में निगमित हुई। तत्पश्चात प्रभावी तारीख 01 अक्टूबर, 2004 से आईबीआई का उपक्रम के आईडीबीआई लि. में अंतरित व निहित कर दिया गया। निरसन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, आईडीबीआई लि. वित्तीय संस्था की अपने पूर्ववर्ती भूमिका के अतिरिक्त बैंक के रूप में कार्य कर रहा है।

आईडीबीआई बैंक लि. का आईडीबीआई. लि. में विलय (Merger Of IDBI Bank Ltd. With IDBI Ltd.): बैंक की इनऑर्गेनिक वृद्धि के लक्ष्य को पाने के प्रयासों में और तेजी लाने के उद्देश्य से बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 44A के प्रावधानों के तहत् जिसमें दो बैंकिंग कम्पनियों के स्वैच्छिक समामेलन का प्रावधान है, आईडीबीआई लि. की पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था आईडीबीआई बैंक लि. का आईडीबीआई लि. में समामेलन कर लिया गया। यह विलय 02 अप्रैल, 2005 से प्रभावी हो गया।

यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि. का आईडीबीआई लि. में विलय (Merger Of United Western Bank Ltd. With IDBI Ltd.): सतारा में केन्द्रित निजी क्षेत्र के बैंक-दि यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि. (यूडब्ल्यूबी) को भारतीय रिजर्व बैंक ने अधिस्थगन के अन्तर्गत रखा था। अपनी इनऑर्गेनिक वृद्धि में और तेजी लाने के मकसद से आईडीबीआई लि. द्वारा उक्त बैंक का अधिग्रहण करने की इच्छा प्रकट किये जाने पर, भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने यूडब्ल्यूबी को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45 के प्रावधानों के तहत आईडीबीआई लि. में समामेलित कर दिया। यह विलय 03 अक्टूबर, 2006 से प्रभावी हुआ।

आईडीबीआई लि. का नाम आईडीबीआई बैंक लि. में परिवर्तित (IDBI Ltd's Name Changed to IDBI Bank Ltd.):- इस उद्देश्य में कि बैंक के नाम से इसके द्वारा किये जा रहे कार्य स्पष्ट रूप से झलकें, बैंक का नाम बदल कर आईडीबीआई बैंक लिमिटेड कर दिया गया। यह नया नाम कम्पनी रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र द्वारा निगमन प्रमाणपत्र के जारी किये जाने के साथ ही 07 मई, 2008 से प्रभावी हो गया है। तद्नुसार, बैंक अब आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मौजूदा नाम के साथ कार्य कर रहा है।

🗲 ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

(Oriental Bank of Commerce)



स्थापना वर्ष (Establishment Year): 1943 (लाहौर में) संस्थापक (Founded By): रामबहादुर लाल सोहनलाल राष्ट्रीयकरण (Nationalization): 15 अप्रैल, 1980

मुख्यालय (The Headquarters): नई दिल्ली

- आरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का एक प्रमुख बैंक है जिसे 19 फरवरी, 1943 को लाहौर में स्थापित किया गया।
- ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स देहरादून और जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान) में
 प्रामीण प्रोजेक्ट चला रहा है। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के ढांचे पर बनाई गई

इस योजना में 75 (2 अमेरिकी डॉलर) व इससे अधिक राशि के छोटे ऋणों का संवितरण करने की अनूठी विशेषता है।

- ग्रामीण प्रोजेक्ट के लाभग्राही अधिकांशतः महिलाएँ हैं। बैंक ग्रामीणों को प्रशिक्षण देता है तािक वह स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल से अचार, जैम इत्यादि बना सकें। इससे ग्रामीणों को स्व-रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं और उनकी आय में वृद्धि होने से उनके जीवन स्तर में सुधार आया है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है।
- ओबीसी ने बैसाखी के पावन दिवस पर 13 अप्रैल, 1997 को पंजाब के तीन गाँवों) रूड़की कलान (जिला संगरूर), राजे माजरा (जिला रोपड़) और खैरा माझा (जिला जालंधर) और हरियाणा के दो गाँवों-खुंगा (जिला जींद) और नरवाल (जिला कैथल) में 'व्यापक ग्रामीण विकास कार्यक्रम' नामक एक और अनूठी योजना आरम्भ की।
- पायलट आधार पर प्रवर्तित यह योजना अत्यन्त सफल हुई। इसकी सफलता से उत्साहित होकर बैंक ने इस कार्यक्रम का विस्तार अन्य गाँवों में भी किया। इस समय यह कार्यक्रम 15 गाँवों में लागू है जिसमें 10 पंजाब में, 6 हरियाणा में और 1 राजस्थान में है।
- इस कार्यक्रम में ग्रामीण विकास को केन्द्रित करते हुए ग्रामवासियों को ग्राम वित्त प्रदान करने हेतु व्यापक और समेकित पैकेज प्रदान करने पर जोर दिया गया है। इस प्रकार यह कार्यक्रम गाँव के प्रत्येक किसान की आय बढ़ाने और बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए सहायता प्रदान करता है।
- बैंक ने महिलाओं को ऋण देने में तेजी लाने के लिए 14 सूत्रीय कार्ययोजना लागू की है और 5 शाखाओं को महिला उद्यमियों के लिए विशेषीकृत शाखाओं के रूप में नामित किया है।

14 अगस्त, 2004 को निजी क्षेत्र के अग्रणी बैंक ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड का ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में विलय किया है।


कॉपोरिशन बैंक

(Corporation Bank) स्थापना वर्ष (Establishment Year):

12 मार्च, 1906

राष्ट्रीयकरण (Nationalization):15 अप्रैल, 1980

मुख्यालय (The Headquarters): बंगलुरू (कर्नाटक)



- लोगों की दीर्घकालिक बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने तथा बचत की आदत भी डालने के लिए प्रतिबद्ध संस्थापक अध्यक्ष खान बहादुर हाजी अब्दुल्ला हाजी कासिम साहेब बहादुर ने समाज में समृद्धि लाने वाली वित्तीय संस्था की संस्थापना पर अत्यधिक जोर दिया।
- बैंक की पहली शाखा कुंदापुर में 1923 में खोली गई, तत्पश्चात् मंगलूर में 1926 में दूसरी शाखा खोली गई।



X-EEED सामान्य सचेतत

 बैंक ने 1934 में मिडकेरी में अपनी सातवीं शाखा खोलते हुए तत्कालीन कूर्ग राज्य में कदम रखा। बैंक को 1937 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया।

- 1939 में बैंक का नाम केनरा बैंकिंग कार्पोरेशन (उडुपि) लिमिटेड से 'केनरा बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड' में परिवर्तित किया गया तथा आदर्श-वाक्य 'सर्वे जना सुखिनो भवन्तु' जिसका अर्थ है 'सभी जन सुखी रहे' को अपने दर्शन के रूप में पेश किया गया।
- बैंक के नाम में दूसरा परिवर्तन 'केनरा बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड' से जोड़ना 'कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड' 1972 में हुआ तथा 15 अप्रैल, 1980 को बैंक के राष्ट्रीयकरण के बाद 'कॉर्पोरेशन बैंक' हो गया।
- इन सब के बीच में वर्ष 1985 में बैंक ने 1000 करोड़ जमा का लक्ष्य पार किया तथा 1990 से नई प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए उच्च गुणवत्तायुक्त संवृद्धि पर ध्यान केन्द्रित करना प्रारम्भ किया।
- भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार के प्रथम चरण की समाप्ति में बैंक आस्ति,
 गुणवत्ता, पूँजी पर्याप्तता, परिचालनगत समक्षमता, सुविविधीकृत आय
 आधार, लाभप्रदता, उत्पादकता तथा सुदृढ़ तुलन-पत्र में अन्य बैंकों से आगे
 बढ़ते हुए सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे नवोन्मेषी तथा सक्रिय बैंक के रूप में
 उभर रहा है।
- दुबई तथा हाँगकाँग में बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय हैं। संप्रति बैंक का देश भर में 1361 पूर्णतः स्वचालित सीबीएस शाखाओं, 1250 एटीएमों तथा 2500 शाखा रहित बैंकिंग इकाइयों का नेटवर्क है। बैंक ने अगले पाँच वर्षों में 700 नई शाखाएँ खोलने की योजना भी बनाई है। बैंक ने 2500 गाँवों में शाखारहित बैंकिंग इकाइयाँ प्रारम्भ की है तथा इन गाँवों के सभी खाताधारकों को स्मार्ट कार्ड जारी किया है ताकि वे बैंक द्वारा नियुक्त कारोबार साथी के द्वारा अपनी दहलीज पर अपने खाते परिचालित कर सकें।

विजया बैंक VIJAYA BANK

विजया बैंक

(Vijaya Bank)

स्थापना वर्ष (Establishment Year)

: 23 अक्टूबर, 1931

संस्थापक (Founded By): ए. बी. शेट्टी

राष्ट्रीयकरण (Nationalization): 15 अप्रैल, 1980

मुख्यालय (The Headquarters): बंगलुरू (कर्नाटक)

- स्वर्गीय ए.बी. शेट्टी और अन्य उद्यमशील किसानों ने 23 अक्टूबर, 1931 को कर्नाटक राज्य के मंगलूर शहर में विजया बैंक की नींव डाली। इसके संस्थापकों का मूल उद्देश्य था, कर्नाटक राज्य के दक्षिण में कन्नड़ जिले के किसान समुदाय में बैंकिंग की आदत डलवाना, मितव्ययिता का महत्व समझाना और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। 1958 में विजया बैंक एक अनुसूचित बैंक बना।
- 1963-68 के दौरान नौ छोटे-छोटे बैंकों के विलयन के साथ विजया बैंक, धीरे-धीरे अखिल भारतीय स्तर के एक बहुत बड़े बैंक के रूप में उभरा।

विलय प्रक्रिया को सफलता से अमल में लाने और बैंकों को तरक्की के रास्ते पर लाने का श्रेय एम. सुदंर राम शेट्टी को मिलना चाहिए जो उस समय बैंक के मुख्य कार्यपालक थे। 15 अप्रैल, 1980 को बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ।

- देश भर में बैंक के तमाम 28 राज्यों और 4 संघ शासित प्रदेशों में तथा जुलाई 2007 को बैंक की 985 शाखाएं, 52 विस्तार काऊंटर, 171 ए.टी.एम. हैं।
- बैंगलुरू में एटीएम की शुरूआत सर्वप्रथम विजया बैंक ने की थी।
- प्रायोजित ग्रामीण बैंक (Sponsored Rural Bank)
 विश्वेश्वरैया ग्रामीण बैंक
- पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक

(Punjab & Sind Bank)

Punjab & Sind Bank

स्थापना वर्ष (Establishment Year)

: 1908

राष्ट्रीकरण (Nationalization): 15 अप्रैल, 1980 मुख्यालय (The Headquarters): नई दिल्ली

वर्ष 1908 में जब भाई वीर सिंह, सर सुन्दर सिंह मजीठिया तथा सरदार तिरलोचन सिंह जैसे दूरदर्शी तथा विद्वान व्यक्तियों के मन में देश के गरीब से गरीब व्यक्ति का जीवन स्तर उठाने का विचार आया तब पंजाब एण्ड सिंध बैंक का जन्म हुआ। बैंक की स्थापना समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के आर्थिक उत्थान द्वारा उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाने हेतु सामाजिक बचनबद्धता के सिद्धान्तों पर की गई। 100 वर्ष बीत जाने पर भी आज पंजाब एण्ड सिंध बैंक अपने संस्थापकों की सामाजिक बचनबद्धता को पूरा करने के लिए प्रसिबद्ध है।

🕨 आन्धा बैंक (Andhra Bank)

स्थापना वर्ष (Establishment Year):



20 नवम्बर, 1923

संस्थापक (Founded By): डॉ. बी. पट्टाभि सीतारमैया

राष्ट्रीयकरण (Nationalization): 15 अप्रैल, 1980

मुख्यालय (The Headquarters): हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)


- आंध्रा बैंक प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी एवं बहुमुखी प्रतिभाशाली डॉ. भोगराजु पट्टाभि सीतारमैय्या द्वारा स्थापित किया गया। बैंक को 20 नवम्बर, 1923 को पंजीकृत किया गया और 1.00 लाख की प्रदत्त पूँजी एवं 10.00 लाख की प्राधिकृत पूँजी के साथ 28 नवम्बर, 1923 को व्यापार प्रारम्भ किया गया।
- अनन्तता का सिम्बल यह सूचित करता है कि बैंक ग्राहकों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। शीर्ष का नीलासूचक बैंक के उस दर्शन का प्रतीक है जो सर्वदा विकास एवं नई दिखाओं की ओर बढ़ना चाहता है। कुंजीछिद्र निरापद तथा सुरक्षा का सूचक है। शृंखला मैत्री को इंगित करता है। लाल एवं नीला रंग गतिशीलता एवं सुदृढ़ता के मिश्रण को इंगित करता है,
- प्रायोजित ग्रामीण बैंक (Sponsored Rural Bank)
- चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक
 - ऋषिकुल्य ग्रामीण बैंक

X-EEED

सामान्य सचेतत

> बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(Bank of Maharashtra)



1935

राष्ट्रीयकरण (Nationalization): 19 जुलाई, 1969

मुख्यालय (The Headquarters): पुणे (महाराष्ट्र)

1936 में पुणे में बैंक के परिचालन का प्रारम्भ हुआ। बैंक की दूसरी शाखा
 1938 में फोर्ट, मुम्बई में खोली गई। 1940 में बैंक की तीसरी शाखा
 डेक्कन जिमखाना, पुणे में शुरू हुई। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को 1944 में
 अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त हुआ।

बँक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra

- 1964 में इसकी जमाराशियों ने एक करोड़ रूपए की सीमा पार की। पूरी तरह से अपने स्वामित्व में एक सहायक कम्पनी दि महाराष्ट्र एक्जिक्यूटर एण्ड ट्रस्टी कम्पनी गठित की। महाराष्ट्र के बाहर की पहली शाखा हुबली (मैसूर राज्य, अब कर्नाटक) में खोली गई।
- 1949 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का आंध्र प्रदेश में विस्तार हुआ और हैदराबाद शाखा खोली गई। 1963 में गोवा में विस्तार के रूप में पणजी शाखा खोली गई। 1966 में मध्य प्रदेश में विस्तार हुआ और इन्दौर शाखा खोली गई। इसके बाद बैंक का गुजरात में प्रवेश हुआ और बड़ोदरा शाखा खोली गई।
- 1969 में अन्य 13 बैंकों के साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र का राष्ट्रीयकरण हो गया। 1969 में ही करोल बाग शाखा खोलकर बैंक ने दिल्ली में प्रवेश किया। 1974 में इसकी जमाराशियों ने ₹100 करोड़ का लक्ष्य पार किया।
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 1976 में मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक के नाम से पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित किया। 1978 को प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नए मुख्यालय का उद्घाटन किया गया। साथ ही इसी वर्ष बैंक की जमाराशियों ने ₹500 करोड़ का लक्ष्य पार किया।
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 1979 में अनुसन्धान तथा विस्तृत कार्य शुरू करने एवं किसानों को अधिक विस्तृत सेवाएँ प्रदान करने के लिए 'महाराष्ट्र कृषि अनुसन्धान और ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान' (महाबैंक एग्रीकल्चर रिसर्च एण्ड रूरल डवलपमेन्ट फाउण्डेशन) नामक सार्वजनिक न्यास स्थापित किया। इसके 6 साल बाद 1985 में महाराष्ट्र राज्य की 500वीं शाखा तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के हाथों नरीमन पाइंट, मुम्बई में खोली गई।
- 1986 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ठाणे ग्रामीण बैंक को प्रयोजित किया।
 1987 में पुणे में बैंक की 1000वीं शाखा इन्दिरा वसाहत, बिबवेवाडी में
 भारत के उप राष्ट्रपित डॉ. शंकरदयाल शर्मा के हाथों खोली गई। 1991 में
 सहाबैंक किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया, घरेलू क्रेडिट कार्ड व्यवसाय
 में प्रवेश किया गया, मेन फ्रेम कम्प्यूटर स्थापित किया गया और
 एस.डब्ल्यू.आई.एफ.टी. (स्विफ्ट) का सदस्य बन गया।
- 1995 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की हीरक जयन्ती मनाई गई। इसी साल बैंक की जमाराशियों ने 5000 करोड़ का लक्ष्य पार किया। 1996 में बैंक ऑफ

- महाराष्ट्र पहले की 'सी' श्रेणी से 'ए' श्रेणी में दाखिल हुआ और इसे स्वायत्तता प्राप्त हुई।
- 2000 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जमाराशियों ने 10,000 करोड़ का लक्ष्य पार किया। 2004 में इसके शेयर्स का सार्वजनिक निर्गम किया गया। बी.एस.ई. और एन.एस.ई. में सूचीबद्ध हुए बैंक का सार्वजनिक निर्गम द्वारा 24% का स्वामित्व हस्तान्तरित किया गया।
- 2005 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बैंकाशुरेन्स और म्युचुअल फंड वितरण व्यवसाय शुरू किया। 2006 में इसके कुल व्यवसाय का स्तर 50,000 करोड़ पार कर गया। 2006 में ही बैंक में शाखा सीबीएस परियोजना प्रारम्भ की गई।
- 2009 में बैंक ने राष्ट्र की समर्पित सेवा के 75वें वर्ष में प्रवेश किया। इस अवसर पर एकीकृत सर्वांगीण विकास के लिए 75 अल्प विकसित देहातों को अंगीकृत किया गया। 2010 में 100 प्रतिशत सीबीएस शाखाओं का लक्ष्य हासिल किया गया। इसी साल बैंक के कुल व्यवसाय में एक लाख करोड़ रूपए का लक्ष्य पार किया। 2010 तक बैंक की कुल शाखा संख्या 1506 हो गई।
- प्रायोजित ग्रामीण बैंक(Sponsored Rural Bank)
- महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक
- वेनगंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
 - इण्डियन ओवरसीज बैंक

(Indian Overseas Bank)



स्थापना वर्ष (Establishment Year):1937

संस्थापक (Founded By): एम. चिदम्बरम चेट्टियार

राष्ट्रीयकरण (Nationalization): 19 जुलाई, 1969

मुख्यालय (The Headquarters): चेन्नई (तमिलनाडु)

- इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) की स्थापना श्री एम. सी. टी. एम. चिदंबरम चेट्टियार ने की जो बैंकिंग बीमा व उद्योग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी थे। बैंक की स्थापना उन्होंने दो उद्देश्यों से की थी- विदेशी विनिमय व्यवसाय तथा विदेशी बैंकिंग में विशिष्टता।
- आई.ओ.बी. की यह एक अनोखी विशेषता थी कि 10 फरवरी 1937 (उद्घाटन दिवस को ही) को एक साथ 3 शाखाओं में व्यवसाय की शुरूआत की गई। भारत में कारैक्कुडि व चेन्नई में तथा बर्मा में रंगून में (जहाँ दूसरी शाखा पेनांग में खुली)। स्वतन्त्रता के समय आई.ओ.बी. की भारत में 38 शाखाएँ तथा विदेश में 7 शाखाएँ थीं। उस समय जमा रकम 3.23 करोड थी।
- पूर्व राष्ट्रीयकरण युग (Pre-Nationalization Era)
- इस अवधि के दौरान, आई.ओ.बी. ने अपने देशी गतिविधियों का विस्तार किया तथा अपने अन्तर्राष्ट्रीय बैकिंग परिचालन को बढ़ाया। बैंक ने एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जो विकसित होकर चेन्नई में स्टाफ कॉलेज बना। इसके अतिरिक्त देश में 9 स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र हैं। आई.ओ.बी. उपभोक्ता ऋण शुरू करने वाला पहला बैंक था।

X-EEED सामान्य सचेतता

• बैंक कम्प्यूटरीकरण ने लोकप्रिय वैयक्तिक ऋण योजना 1964 में शुरू की तथा अन्तर-शाखा लेखा समाधान के क्षेत्रों में कम्प्यूटरीकरण की 1968 में शुरूआत की। कृषकों की आवश्यकताओं को विशेष रूप से पूरा करने के लिये आई0ओ0बी0 ने एक संपूर्ण विभाग की स्थापना की। राष्ट्रीयकरण (1969) के समय आई.ओ.बी. 14 बड़े बैंकों में एक था। 1969 में राष्ट्रीयकरण के समय आई.ओ.बी. की भारत में 195 शाखाएँ तथा कुल जमा राशि 44.90 करोड़ थी।

> उत्तर-राष्ट्रीयकरण युग (Post-Nationalization Era)

- 1973 में, आई.ओ.बी. को अपनी पाँच मलेशियाई शाखाओं को बन्द करना पड़ा, क्योंकि मलेशिया का बैंकिंग कानून सरकारी बैंकों का निषेध करता है। इसके फलस्वरूप यूनाइटेड एशियन बैंक बरहद का निर्माण किया गया जिसमें आईओबी की 16.6% हिस्सेदारी है।
- इसी वर्ष भारत में भारत ओवरसीज बैंक लिमिटेड बना जिसमें थाइलैंड में स्थित बैंकाक शाखा की 30% इक्विटी भागीदारी थी।
- 1977 में, आई.ओ.बी. ने सियोल में अपनी शाखा खोली तथा 1979 में बैंक ने कोलम्बो में विदेशी मुद्रा बैंकिंग यूनिट खोली।
- बैंक ने 3 क्षेत्रीय प्रामीण बैंकों-पुरी प्राम्य बैंक, पांडियन प्राम बैंक तथा ढेंकानाल ग्राम्य बैंक को प्रायोजित किया।
- अपना सॉफ्टवेयर पैकेज विकिसत करने तथा इस क्षेत्र में स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए बैंक के अलग से कम्प्यूटर नीति व प्रायोजना विभाग (सीपीपीडी) की स्थापना की
- फरवरी 1997 में आई.ओ.बी. ने वेबसाइट में प्रवेश किया। 1997-98 के दौरान आई.ओ.बी. ने स्वायत्त दर्जा प्राप्त किया। सितम्बर 1999 में डेट नौसके वेरिटस (डीएनवी), नीदरलैंड्स से अपने प्रायोजना विभाग हेतु ISO 9001 प्रमाणन प्राप्त करने वाला आई. ओ. बी. ने पूरे बैंकिंग उद्योग में पहला बैंक बनने की विशिष्टता प्राप्त की।
- विकास, कार्यान्वयन तथा बैंक द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के अनुरक्षण, टर्न-की परियोजनाओं की प्राप्ति व निष्पादन के लिए यह प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ।
- प्रायोजित ग्रामीण बैंक (Sponsored Rural Bank)
- नीलाचल ग्रामीण बैंक
- पांडयन ग्रामीण बैंक
- इण्डियन बैंक (Indian Bank)



स्थापना वर्ष (Establishment Year): 1907 राष्ट्रीयकरण (Nationalization): 19 जुलाई 1969 मुख्यालय (The Headquarters): चेन्नई (तमिलनाडु)

 स्वदेशी आन्दोलन के अंश के रूप में इंडियन बैंक की स्थापना की गई।
 इस समय 19300 से अधिक समर्पित कर्मचारियों के दल के साथ इंडियन बैंक देश की सेवा में तत्पर है।

31/03/2011 तक कुल कारोबार 1,81,530 करोड़ के पार।

31/03/2011 को परिचालन लाभ में 3291.68 करोड़ तक की वृद्धि। 31/03/2011 निवल लाभ में 1774.07 करोड़ तक की वृद्धि। समस्त भारत में इंडियन बैंक की 1932 शाखाएँ हैं।

कोलम्बों में एक विदेशी मुद्रा बैंकिंग इकाई सिहत सिंगापुर तथा कोलम्बों में विदेशी शाखाएँ

इंडियन बैंक के 70 देशों में 240 विदेशी सम्पर्क बैंक हैं।

3 अनुषंगी कम्पनियाँ (Three Subsidiary Companies)

- 1. इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड
- 2. इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड
- 3. इंडफंड मैनेजमेंट लिमिटेड

विशेषीकृत बैंकिंग में अग्रणी (Leading in Specialized Banking)

- विशेष रूप से निर्यात, आयात, विप्रेषण और अनिवासी भारतीय कारोबार से उत्पन्न होने वाले विदेशी विनिमय लेनदेनों का संचालन के लिए चेन्नई में स्थित 1 विशेषीकृत ओवरसीज शाखा सहित 97 विदेशी विनिमय हेतु प्राधिकृत शाखाएँ।
- विशेष रूप से लघु उद्योग इकाइयों को वित्त प्रदान करने के लिए 62 विशेष लघु और मध्यम उद्यम शाखाएँ।

ग्रामीण विकास में नेतृत्व (Leadership in Rural Development)

- स्वयं सहायता समूहों तथा देश में वित्तीय समावेश परियोजना का आरम्भ करने के अग्रगामी।
- माननीय केन्द्रीय वित्त मन्त्री से कृषि ऋण में श्रेष्ठता के लिए पुरस्कार विजेता।
- नाबार्ड से तिमलनाडु तथा संघ राज्य क्षेत्र पुदुच्चेरी में माइक्रो वित्त
 गितविधियों के लिए श्रेष्ठ कार्यिनिष्पादक पुरस्कार।
- एसएचजी (स्वयं सहायता समूह) जेएलजी (संयुक्त देयता समूह) संकल्पना के जिए शहरी गरीबों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में 'माइक्रों सेट्स' नामक 7 विशेषीकृत अनन्य माइक्रो शाखाएँ स्थापित।
- ग्रामीण वित्त के लिए एक विशेष पटल 'माइक्रो क्रेडिट केन्द्र' 44 ग्रामीण अर्ध-शहरी शाखाओं में कार्यरत।
- ग्रामीण विकास तथा समावेशी बैंकिंग के लिए आईसीटी (सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी) का प्रयोग।
- कृषि परामर्शी एवं तकनीकी सेवाओं (एसीटीएस) के जिरए उद्यमियों को कृषि में तकनीकी सहायता व परियोजना रिपोर्ट से सहायता का प्रावधान

■ प्रायोजित ग्रामीण बैंक (Sponsored Rural Bank)

- सप्तिगरी ग्रामीण बैंक
- पुडुवई भारतीहर ग्राम बैंक
- पल्लवन ग्राम बैंक

सामान्य सचेतता

🕨 इलाहाबाद बैंक

(Allahabad Bank)



स्थापना वर्ष (Establishment Year): 1865

राष्ट्रीयकरण (Nationalization): 19 जुलाई 1969

मुख्यालय (The Headquarters): कोलकाता (पं. बंगाल)

- देश के प्राचीनतम् संयुक्त स्टॉक बैंक को इलाहाबाद में यूरोपियों के एक समूह द्वारा स्थापित किया गया था। उस समय संगठित उद्योग, व्यापार और बैंकिंग ने भारत में अपना आकार लेना प्रारम्भ किया था। इस प्रकार, बैंक का इतिहास तीन शताब्दियों-उन्नीसवीं, बीसवीं और इक्कीसवीं शताब्दी तक फैला हुआ है।
- 24 अप्रैल, 1865 ₹30 लाख की अभिदत्त पूँजी से इलाहाबाद बैंक की स्थापना
- 1920 बैंक ₹436 प्रति शेयर के बिड मूल्य के साथ पी एंड ओ बैंकिंग कारपोरेशन समूह का हिस्सा बना।
- 1923 व्यावसायिक प्रतिफल को ध्यान में रखते हुए बैंक का प्रधान कार्यालय कलकत्ता में स्थानान्तरित किया गया।
- 19 जुलाई, 1969 13 अन्य बैंकों के साथ राष्ट्रीयकृत शाखाएँ, 151 जमाराशि, ₹119 करोड़ अग्रिम, रूपए 82 करोड़
- अक्टूबर 1989 यूनाइटेड इंडिस्ट्रियल बैंक लि. का इलाहाबाद बैंक में विलय
- 1991 मर्चेन्ट बैंकिंग हेतु पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी संस्था आलबैंक फाइनेंस लि. की स्थापना
- प्रायोजित ग्रामीण बैंक (Sponsored Rural Bank)
- शारदा ग्रामीण बैंक
- लखनऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- त्रिवेणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 🕨 देना बैंक (Dena Bank)



पुराना नाम : देवकरण नानजी बैंकिंग कम्पनी लिमिटेड

स्थापना वर्ष (Establishment Year): 1938

संस्थापक (Founded By): प्राणलाल देवकरण नानजी

राष्ट्रीयकरण (Nationalization): 19 जुलाई, 1969

मुख्यालय (The Headquarters): मुम्बई (महाराष्ट्र)

 देना बैंक की स्थापना देवकरण नानजी के परिवार द्वारा 26 मई, 1938 को देवकरण नानजी बैंकिंग कम्पनी लिमिटेड के नाम से की गई थी। यह 1939 में सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी में परिवर्तित हुआ और कालान्तर में इसका नाम बदल कर देना बैंक लिमिटेड हो गया। वर्ष 1995 में वित्तीय क्षेत्र विकासपरक परियोजना के तहत द्विस्तरीय पूँजी बढ़ाने हेतु 723 करोड़ का ऋण स्वीकृत करने हेतु विश्व बैंक द्वारा चुने गए छः सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक।

प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं प्रशिक्षण के लिए विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने वाले कुछेक बैंकों में से एक।

नवम्बर 1969 में 92.13 करोड़ का बॉण्ड निर्गम जारी किया। नवम्बर 1996 में 180 करोड़ का एकमात्र सार्वजनिक निर्गम। चुनिंदा महानगरीय केन्द्रों में टेली बैंकिंग सुविधा की शुरूआत की। निम्निलखित की शुरूआत करने में देना बैंक सर्वप्रथम रहा। नाबालिंग बचत योजना।

ग्रामीण भारत में 'देना कृषि साख पत्र' (डीकेएपी) के नाम से विख्यात क्रेडिट कार्ड।

जुहू, मुम्बई में ड्राइव-इन-एटीएम काउन्टर। मुम्बई की चुनिंदा शाखाओं में स्मार्ट कार्ड। बैंक सेवाओं की रेटिंग करने हेतु ग्राहक रेटिंग प्रणाली

- प्रायोजित ग्रामीण बैंक (Sponsored Rural Bank)
- दुर्ग- राजनंदगाँव ग्रामीण बैंक
- देना गुजरात ग्रामीण बैंक
- यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया (Union Bank of India)



स्थापना वर्ष (Establishment Year): 1919

राष्ट्रीयकरण (Nationalization): 19 जुलाई, 1969

मुख्यालय (The Headquarters): मुम्बई (महाराष्ट्र)

- बैंक में केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी 60.85%। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना बम्बई में हुई थी। बैंक के मुख्यालय भवन का उद्घाटन राष्ट्रिपिता महात्मा गांधी द्वारा 1921 में किया गया था।
- बैंक अब पूरे देश में 3000 से अधिक शाखाओं और विदेश में स्थित 6 शाखाओं/कार्यालयों के माध्यम से कारोबार कर रहा है।
- यूनियन बैंक ने भारत की आर्थिक संवृद्धि में एक अत्यन्त सिक्रय भूमिका निभाई है और इसने अर्थव्यवस्था के विविध सेक्टरों (क्षेत्रों) की आवश्यकताओं के लिए खास सुविधाओं का विस्तार किया है।
- उद्योग, निर्यात, व्यापार, कृषि व संरचना और व्यक्तिगत संवर्ग ऐसे सेक्टर हैं, जिनमें बैंक ने आर्थिक संवृद्धि को प्रेरित करने और पिरसंपित्तयों के एक सुविधीकृत पोर्टफोलियों से लाभार्जन के लिए साख सुविधाएं प्रदान की हैं। संसाधनों को चालू, बचत और मियादी जमाओं के जिए और विदेशों से पुवर्विन्त तथा ऋणों के जिए गितशील बनाया गया है। बैंक का व्यापक ग्राहक आधार 24 मिलियन से भी अधिक है।

X-EEED सामान्य सचेतता

तकनीकी मोर्चे पर बैंक ने आरंभ में ही पहल करते हुए अपनी शत-प्रतिशत (100 प्रतिशत) शाखाओं को कंप्यूटरीकृत किया है। बैंक ने शाखाओं के बीच संपर्क सुविधा के साथ कोर बैंकिंग समाधान भी लागू किया है। बैंक का शत-प्रतिशत कारोबार कोर बैंकिंग समाधान के अन्तर्गत होना, इसे तकनीकी समामेलन के मोर्चे पर समकक्षों के बीच अग्रणी बनाता है।

- जून 2011 के अंत में, बैंक ने कुल रूपए 3,44745 करोड़ अर्थात् 77.12 बिलियन डॉलर का कारोबारी स्तर प्राप्त किया। इन सभी उपलब्धियों का श्रेय कर्मचारियों की समर्पित टीम को जाता है, जो अपने संघटन में सचमुच विश्वस्तरीय विविधापूर्ण (कॉस्मोपॉलिटन) है। कर्मचारी सदस्यों की अनेक पीढ़ियों ने बैंक की सुदृढ़ छविनिर्मित करने में अमूल्य योगदान किया है।
- लगभग 29000 से अधिक कर्मचारी सदस्यों की वर्तमान टीम, अपनी ग्राहक केंद्रित सोच, सीखने की तत्परता और मूल्यों के लिए प्रतिबद्धता के कारण स्वयं में विशिष्ट है, जो बैंक को एक सहृदय संगठन के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त करने में समर्थ बनाती है, जहां लोग अपने कार्य में और ग्राहकों के प्रति संबंधों में वास्तविक आनंद महसूस करते हैं।
- प्रायोजित ग्रामीण बैंक (Sponsored Rural Bank)
- रीवा-सिद्धी ग्रामीण बैंक
- काशी-गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक
- यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया (United Bank Of India)


पुराना नाम : यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया लिमिटेड

स्थापना वर्ष (Establishment Year): 1950

राष्ट्रीयकरण (Nationalization): 19 जुलाई, 1969

मुख्यालय (The Headquarters): कोलकाता (पं. बंगाल)

- यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1950 में चार बैंकों का विलय करते हुए की गई थी। ये चार बैंक थे- कोमिल्लान बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (1914), बंगाल सैंट्रल बैंक लिमिटेड (1918), कोमिल्लान यूनियन बैंक लिमिटेड (1922) ओर हुगली बैंक लिमिटेड (1932), जिनकी स्थापना कोष्ठक में दिए गए वर्षों में की गई थी।
- जुलाई 1969 में राष्ट्रीयकरण के समय बैंक की शाखाएँ 174 थीं, जमाराशि 147 करोड़ थी और अग्रिम 112 करोड़ थे। इनकी तुलना में आज की तारीख में 1600 से अधिक शाखाओं और कार्यालयों के साथ बैंक की सभी शाखाएँ सीबीएस में कार्य कर रही हैं और बैंक का कुल व्यवसाय ₹ 1 लाख करोड़ से भी अधिक है। वर्तमान में बैंक का संगठनात्मक ढांचा त्रिस्तरीय है, जिसमें प्रधान कार्यालय, 31 क्षेत्रीय कार्यालय और शाखाएँ आती हैं।
- राष्ट्रीयकरण के बाद बैंक ने अपने नेटवर्क का व्यापक पैमाने पर विस्तार किया और विकासशील गतिविधियों में, विशेष रूप से राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों के अनुरूप ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों के सन्दर्भ में, सिक्रय सहभाग लिया। बैंक द्वारा अदा की गई भूमिका को ध्यान में लेते हुए बैंकों को अनेक जिलों में अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपा गया और वर्तमान में बैंक



- यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने देश के विभिन्न भागों, में विशेष रूप से पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने में लक्षणीय भूमिका अदा की।
 - यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने पिश्चम बंगाल, असम, मिणपुर और त्रिपुरा में 4 क्षेत्रीय प्रामीण बैंकों को प्रायोजित किया। इन चार क्षेत्रीय प्रामीण बैंकों को मिलाकर कुल 1000 शाखाएँ कार्यरत हैं। चार विभिन्न राज्यों के इन चार क्षेत्रीय प्रामीण बैंकों में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का शेयर पूँजी में 35 प्रतिशत योगदान है। पिश्चम बंगाल के सुदरबन के दुर्गम इलाकों के निवासियों को बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराने के अपने प्रयासों में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने दो मोटर लांचों पर दो तैरती मोबाइल शाखाओं को कार्यान्वित किया, जो सप्ताह के विविध दिनों में एक-एक बोट में भ्रमण करती हैं। तैरती मोबाइल शाखाओं द्वारा जिन केन्द्रों को सेवाएँ दी जाती थीं, वहां पूरी-पूरी शाखाएँ स्थापित होने के बाद ये तैरती मोबाइल शाखाएँ बंद हुईं। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को चाय (टी) बैंक के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि चाय बागान को वित्त सहायता देने की इसकी पुरानी परम्परा रही है। यह चाय उद्योग को सर्वाधिक आर्थिक सहायता देने वाला बैंक है।
- प्रायोजित ग्रामीण बैंक (Sponsored Rural Bank)
- असम ग्रामीण विकास बैंक
- मिणपुर ग्रामीण बैंक
- त्रिपुरा ग्रामीण बैंक
- बंगिया ग्रामीण विकास बैंक
 - बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank Of Broda)



स्थापना (Establishment Year): 20 जुलाई, 1908 संस्थापक (Founded By): महाराजा सयाजीराव (तृतीय)

राष्ट्रीयकरण (Nationalization): 19 जुलाई, 1969

मुख्यालय (The Headquarters): बड़ौदा (गुजरात)

- इस बैंक का लगभग एक शताब्दी का लम्बा घटना प्रधान इतिहास है जिसका विस्तार विश्व के 26 देशों में है। 1908 में बड़ौदा के एक छोटे से भवन से आरम्भ होकर आज यह मुम्बई में बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर स्थित अपने प्रतिष्ठित और उच्च तकनीक वाले भवन तक पहुँच गया है।
- इस बैंक का शुभारम्भ महाराजा सर सयाजीराव गायकवाड़ की अलौकिंक दूरदृष्टि एवं अपने राज्य में वाणिज्य एवं उद्योग की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए 20 जुलाई, 1908 को कम्पनी अधिनियम, 1897 के अन्तर्ग 10 लाख प्रदत्त पूँजी के साथ रोपा गया बैंक ऑफ बड़ौदा रूपी एक छोटा-सा पौधा आज का विश्वसनीय, शिक्तिशाली, वित्तीय संस्था रूपी वटवृक्ष के रूप में स्थापित हो चुका है।

24

सामान्य सचेतता

- इसके संस्थापक महाराजा सयाजीराव की दूरदृष्टि ने यह भांप लिया था कि 'इस प्रकार का बैंक ऋण देने, जमाओं को स्वीकार करने तथा न केवल उनके राज्य वरन् निकटवर्ती राज्यों में भी कला, उद्योग एवं वाणिज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा'।
- प्रायोजित ग्रामीण बैंक (Sponsored Rural Bank)
- बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक
- बड़ौदा-यूपी ग्रामीण बैंक
- झबुआ-धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- नैनीताल-अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- बडौदा-राजस्थान ग्रामीण बैंक
- सिंडिकेट बैंक

(Syndicate Bank)



स्थापना वर्ष (Establishment Year): 1925 संस्थापक (Founded By): यू. एस. पाई., वमन कुदवा, टी. एम. ए. पाई राष्ट्रीयकरण (Nationalization): 19 जुलाई, 1969 मुख्यालय (The Headquarters): मणिपाल (कर्नाटक)

- सिंडिकेट बैंक की स्थापना भगवान श्री कृष्ण की निवास भूमि तटीय कर्नाटक के उडुपि में मात्र 8000 रूपये की पूंजी से तीन दूरदर्शियों उपेन्द्र अनंत, श्री वामन कुड्वा और डॉ टी.एम.ए. पाई द्वारा की गई थी, जो क्रमशः व्यवसायी, इंजीनियर और डॉक्टर थे तथा समाज के कल्याण के प्रति उनमें अडिग आस्था थी। उनका मुख्य उद्देश्य समाज से छोटी बचतों का संग्रह करके स्थानीय बुनकरों को वित्तीय सहायता पहुंचाना था क्योंकि हथकरघा उद्योग में संकट के कारण बुनकरों की स्थित बदतर हो गई थी।
- बैंक सन् 1928 में शुरू की गई पिग्मी जमा योजना के अधीन अपने अभिकर्ताओं के माध्यम से जमाकर्ताओं के घर-घर पहुँच कर प्रतिदिन दो आने की मामूली रकम एकत्रित करता था। यह योजना आज बैंक की ब्रांड ईक्विटी बन गई है और बैंक इस योजना के अधीन प्रति दिन रूपए 2 करोड़ की राशि संग्रह कर रहा है।
- सिंडिकेट बैंक की प्रगित यात्रा भारत में प्रगामी बैंकिंग के विभिन्न चरणों का पर्याय रहा है। अपनी मार्गदर्शक की भूमिका तथा दूरदर्शी नीतियों के बलबूते 80 वर्षों की लम्बी अविध के दौरान बैंक ने अपने लिए दो या तीन पीढ़ी के ग्राहकों से युक्त सुदृढ़ ग्राहक आधार का निर्माण किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सृदृढ़ पकड़ और जमीनी हकीकत की व्यापक समझ होने के कारण बैंक के पास भविष्य के भारत के बारे में एक दृष्टि है।
- बैंक और जनता, दोनों के परस्पर अविलंबन द्वारा प्रगित प्राप्त करने के उसके तत्वज्ञान से बैंक को भारी लाभ हुआ है। बैंक आम आदमी के मामले में वैयक्तिक स्तर पर और ग्रामीण/अर्द्ध शहरी केंद्रों के संदर्भ में क्षेत्रीय स्तर पर देशभर में उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है।
- बैंक सूचना प्रौद्योगिकी, ज्ञान और प्रतियोगिता के क्षेत्र में 21वीं सदी की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए कटिबद्ध है। एक व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी योजना तैयार की गई है और अपने सभी क्रियाकलापों के

- क्षेत्रों में ग्राहक हर्षानुभूति को आगे बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से बैंक कर्मचारियों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाया जा रहा है।
- बैंक ने केंद्रीकृत बैंकिंग समाधान नामक एक महत्वाकांक्षी प्रौद्योगिकी योजना का शुभारंभ किया है जिसके द्वारा इसकी प्रमुख 500 शाखाएं चार वर्षों की अविध के दौरान अपने ए.टी.एम. सिहत देशव्यापी नेटवर्क से जुड़ जाएंगी।
- प्रायोजित ग्रामीण बैंक (Sponsored Rural Bank)
- आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक
- नॉर्थ मालाबार ग्रामीण बैंक
- गृड्गांव ग्रामीण बैंक
- प्रथमा बैंक
- कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक
- 🕨 यूको बैंक

(Uco Bank)



पूर्व का नाम : यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक

स्थापना वर्ष (Establishment Year): 1943

राष्ट्रीयकरण (Nationalization): 19 जुलाई, 1969

मुख्यालय (The Headquarters): कोलकाला (पं. बंगाल)

- सन् 1942 के ऐतिहासिक 'भारत छोड़ो' आंदोलन के बाद यथार्थ भारतीय बैंक की परिकल्पना भारतीय औद्योगिक पुनर्जागरण के प्रवर पुरोधा श्री धनश्याम दास बिड़ला ने की थी। शीघ्र ही इस नवोदित परिकल्पना को मूर्त रूप मिला और 6 जनवरी, 1943 को दि यूनाइटेड कमर्शियल बैंक लिमिटेड की स्थापना हुई, जिसका पंजीकृत और प्रधान कार्यालय कलकत्ता में खुला। प्रथम निदेशक मंडल में समाज के हर क्षेत्र से देश के प्रतिष्ठित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व था।
- बेंक ने अपनी इस अखिल भारतीय छिव को अक्षुण्ण रखा है- निदेशक मंडल के गठन के मामले में ही नहीं वरन देश भर में तथा सिंगापुर एवं हाँगकाँग जैसे विदेशी केंद्रों में अपनी 1700 से अधिक शाखाओं के भोगौलिक विस्तार के मामले में भी।
- विस्तार और सुदृढ़ता के यात्रा क्रम में 19 जुलाई, 1969 को भारत सरकार की शत-प्रतिशत स्वामित्व के साथ यह बैंक यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के नाम से राष्ट्रीयकृत हुआ। इस ऐतिहासिक घटना ने बैंक की सोच ओर क्रियाकलपों में अमूल-चूल परिवर्तन किया।
- बैंक ने अब तक चली आ रही वर्ग बैंकिंग के स्थान पर सरकार की सार्वजनिक बैंकिंग की सामाजिक-राजनीतिक अवधारणा को अपनाया। शाखाओं का विस्तार, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में द्रुत्त गित से हुआ तथा बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को वित्तपोषित करने के क्षेत्र में एवं अन्यान्य सामाजिक उन्नयन प्रकल्पों के क्षेत्र में कई विशिष्टताएं हासिल कीं।
- विकास की पृष्ठभूमि में व्यावसायिक प्रगति के लिए सन 1972 में बैंक का सांगठनिक पुनर्गठन हुआ। इसके फलस्वरूप कार्य-विशेषज्ञता, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, कार्मिक निपुणता और अभिवृत्ति विकसित हुई। साथ ही

X-EEED सामान्य सचेतता

सरकार के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर अमल चलता रहा तथा बैंक के संयोजकत्व में वर्ष 1983 में तत्कालीन उड़ीसा एवं हिमाचल प्रदेश में राज्य-स्तरीय बैंकर्स समिति की स्थापना हुई।

- 1985 में बैंक के इतिहास में एक नया अध्याय तब जुड़ा जब संसद के अधिनयम के तहत इसका नाम परिवर्तित कर युको बैंक रखा गया।
- भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर बैंक ने ग्राहकों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की थी, जिसमें बैंक द्वारा प्रदत्त सेवाओं पर सिटिजन चार्टर को भी शामिल किया गया था।
- अपने ग्राहकों को सतत बेहतर सेवा देने हेतु बैंक ने शाखाओं में सभी कार्य दिवसों में सार्वजिनक लेन-देन का समय समुचित रूप से बढ़ा दिया है। बैंक ने अनेक छुट्टी रहित शाखाओं की थी शुरूआत की है ये शाखाएँ वर्ष में 365 दिन खुली रहती हैं। अतिरिक्त अनेक शाखाओं में इसके प्रेस डीडी काउंटर हैं, जहां से मांग ड्राफ्ट इंतजार किए बिना खरीदे जा सकते हैं।
- प्रायोजित ग्रामीण बैंक (Sponsored Rural Bank)
- बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- जयपुर थार ग्रामीण बैंक
- महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक
- कलिंगा ग्रम्या बैंक

केनरा बैंक (Canara Bank)

पूर्व का नाम : केनरा बैंक हिन्दू परमानेन्ट

फण्ड

स्थापना वर्ष (Establishment Year): 1906

संस्थापक (Founded By): ए. सुब्बाराव पाई

राष्ट्रीयकरण (Nationalization): 19 जुलाई, 1969

मुख्यालय (The Headquarters): बंगलूरू (कर्नाटक)

पिछले सौ वर्षों में बैंक ने अपनी प्रगति के पथ पर कई मंजिलें तय की हैं। केनरा बैंक का विकास आश्चर्यजनक था, विशेषकर 1969 में राष्ट्रीयकरण के बाद। भौगोलिक पहुँच और ग्राहक संवर्गों की दृष्टि से इस बैंक ने राष्ट्रीय स्तर की हैसियत प्राप्त की है। अस्सी के दशक में बैंक के व्यापार का विशाखन देखने को मिलता है। जून 2006 में बैंक ने भारतीय बैंकिंग उद्योग में एक शताब्दी पूरी कर ली। आज केनरा बैंक भारतीय बैंकिंग की बिरादरी में एक अग्रणी स्थान प्राप्त किए हुए है और 2006-07 के लिए सकल व्यापार के मामले में भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक के रूप में उभरा। अपनी स्थापना से लेकर लाभ कमाने के कीर्तिमान सहित केनरा बैंक कई क्षेत्रों में अव्वल आया है। इनमें कुछ हैं-

अन्तर-नगर एटीएम नेटवर्क का प्रारम्भ एक शाखा के लिए आईएसओ प्रमाणीकरण प्राप्त करना 'गुड बैंकिंग-बैंक की नागरिक संहिता' की घोषणा अनन्य रूप से महिलाओं के लिए महिला बैंकिंग शाखा का प्रारम्भ सूचना प्रौद्योगिकी परामर्श हेतु अलग से अनुषंगी की स्थापना किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला भारत में पहला बैंक कृषि परामर्शी सेवा प्रदान करने वाला भारत में पहला बैंक

- कई वर्षों से बैंक भारत और विदेशों में अपनी नौ अनुषंगियों/ प्रायोजित संस्थाओं/ संयुक्त उद्यमों के साथ प्रमुख वित्तीय संकुल के रूप में उभरने के लिए बाजार में अपनी स्थिति में बढोत्तरी करता आ रहा है।
 - जैसे, दिसम्बर 2009 को बैंक ने देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों में व्याप्त 3002 शाखाओं के साथ अपनी उपस्थित में वृद्धि की है। ग्राहक सुविधा को प्राथमिकता देकर बैंक 723 केन्द्रों में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों में सर्वाधिक 2000 से अधिक एटीएम, इंटरनेट व मोबाइल बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराने वाली 1918 शाखाएँ तथा 'एनिवेयर बैंकिंग' सेवाएँ प्रदान करने वाली 2086 शाखाओं सिहत कई सारे वैकल्पिक डिलीवरी चैनलों को उपलब्ध करा रहा है। इस समय बैंक की कुल 3378 शाखाएँ कार्य कर रही हैं। उन्नत भुगतान और निप्रटान व्यवस्था के अन्तर्गत बैंक की सभी शाखाओं को तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) व राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अन्तरण (एनईएफटी) सुविधा के लिए सक्षम बनाया गया है।
- प्रायोजित ग्रामीण बैंक (Sponsored Rural Bank)
- प्रगति ग्रामीण बैंक
- साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक
- श्रेयस ग्रामीण बैंक

केनरा बैंक Canara Bank

🗲 पंजाब नेशनल बैंक



(Punjab National Bank)

स्थापना वर्ष (Establishment Year): 12 अप्रैल, 1895 (लाहौर में)

राष्ट्रीयकरण (Nationalization): 19 जुलाई, 1969 मुख्यालय (The Headquarters): नई दिल्ली

- पंजाब का अंग्रेजों के अधीन तेजी से विकास हुआ और वर्ष 1849 में इसे साम्राज्य में मिला लिए जाने के बाद इसके विकास में और तेजी आई। इसके परिणाम स्वरूप एक नया शिक्षित वर्ग उत्पन्न हुआ जिसमें यह इच्छा भी पनप रही थी कि भारतीय पूँजी और ऐसे प्रबन्धन से एक स्वदेशी बैंक की स्थापना की जाए जो भारतीय समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है।
- सर्वप्रथम यह विचार आर्य समाज के राय मूल राज जी को आया और जैसा कि लाला लाजपत राय जी ने बताया था कि उनके मन में यह इच्छा बहुत समय से थी कि भारतीयों का अपना राष्ट्रीय बैंक होना चाहिए। वे महसूस कर रहे थे कि 'भारतीय पूँजी का इस्तेमाल अंग्रेजी बैंकों और कम्पनियों को चलाने में किया जा रहा था जिनसे होने वाला मुनाफा पूर्णतः अंग्रेजों को पहुँच रहा था और भारतीयों को अपनी पूँजी पर मिलने वाले थोड़े से ब्याज से सन्तुष्ट होना पड़ रहा था।'
- इनके ये प्रयास 23 मई, 1894 को कार्यान्वित हुए जब देश को सही अर्थ में एक राष्ट्रीय बैंक प्रदान करने के लिए उसके संस्थापक बोर्ड का गठन किया गया। इसमें भारत के अलग-अलग हिस्सों से विभिन्न धर्मी और

पृष्ठभूमि के ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया गया जिनका एकमात्र उद्देश्य ऐसे बैंक की स्थापना करना था जो राष्ट्र के आर्थिक हितों को और आगे बढ़ाने वाला हो।

- यह बैंक कारोबार हेतु 12 अप्रैल, 1895 को खुल गया। इसके पहले निदेशक-मण्डल में 7 निदेशक थे। मात्र 7 माह के परिचालन के बाद ही 4 प्रतिशत के हिसाब से पहले लाभांश की घोषणा की गई। अनारकली, लाहौर के आर्य समाज मन्दिर के सामने स्थित इस बैंक में सर्वप्रथम लाल लाजपत राय जी ने खाता खोला और उनके छोटे भाई ने बैंक में प्रबन्धक के रूप में कार्यग्रहण किया। बैंक की प्राधिकृत कुल पुँजी 2 लाख और कार्यशील पूँजी 20000 थी। इसकी कुल कर्मचारी संख्या 9 और कुल मासिक वेतन 320 था।
- 31 मार्च, 1947 को बैंक के पदाधिकारियों ने बैंक के पंजीकृत कार्यालय को लाहौर से दिल्ली स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया और इसके लिए उन्होंने लाहौर उच्च न्यायालय से 20 जून, 1947 को अनुमित ले ली। वर्ष 1951 में बैंक ने भारत बैंक लि. की आस्तियों और देयताओं का अधिग्रहण किया और यह निजी क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया। वर्ष 1962 में इसने इंडो-कमर्शियल बैंक का अपने में विलय किया।
- वर्ष 1895 में भारतीय पूँजी से पहले स्वदेशी बैंक के रूप में अपनी छोटी-सी शुरूआत के बाद पीएनबी ने अपने कारोबार में काफी विकास किया है जो मार्च, 2010 के अन्त में 435931 करोड़ तक पहुँच गया। शाखा नेटवर्क, कारोबार और अन्य कई पैरामीटरों में पीएनबी भारतीय स्टेट बैंक के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है।
- दिसम्बर 2008 से बैंक की सभी शाखाएँ कोर बैंकिंग सोल्युशन यानि सीबीएस के जिए कार्य कर रही हैं। जिससे बैंक का 100 प्रतिशत कारोबार सीबीएस से हो रहा है और ये 3000 से ज्यादा ग्रामीण और अर्द्ध शहरी शाखाओं के ग्राहकों समेत अपने सभी ग्राहकों को 'किसी भी समय और कहीं भी' सुविधाएँ दे रही हैं।
- वर्ष 1993 में पंजाब नेशनल बैंक में पहली बार एक राष्ट्रीयकृत बैंक यानि
 न्यू बैंक ऑफ इण्डिया का विलय हुआ।
- वर्ष 2003 में केरल में अवस्थित भूतपूर्व प्राइवेट नेडुन्गडी बैंक लि. का पंजाब नैशनल बैंक में विलय हुआ जोिक बैंक के 115 वर्ष से ज्यादा के इतिहास में बैंक में सातवाँ विलय था। बैसल II मानकों के लागू होने से भावी पूँजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक ने मार्च, 2005 में बुक-बिलिंग के जिरए अपना एफपीओ जारी किया जिससे बैंक में सरकारी की शेयर-होल्डिंग घटकर 57.8 प्रतिशत रह गई।
- प्रायोजित ग्रामीण बैंक (Sponsored Rural Bank)
- मध्य बिहार ग्रामीण बैंक
- पंजाब ग्रामीण बैंक
- हरियाणा ग्रामीण बैंक
- राजस्थान ग्रामीण बैंक
- हिमाचल ग्रामीण बैंक
- सर्व यूपी ग्रामीण बैंक

बैंक ऑफ इंडिया

बेंक ऑफ़ इंडिया Bank of India

(Bank of India)

स्थापना वर्ष (Establishment Year): 7 दिसम्बर, 1906

संस्थापक (Founded By): मुम्बई के व्यापारियों का समूह

राष्ट्रीयकरण (Nationalization): 19 जुलाई, 1969

मुख्यालय (The Headquarters): मुम्बई (महाराष्ट्र)

- मुम्बई में एक कार्यालय के साथ आरम्भ हुए इस बैंक की प्रदत्त पूँजी 50.00 लाख थी तथा कर्मचारी 50 थे। इन वर्षों में बैंक तेजी से प्रगति कर पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रीय परिचालन के साथ राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत अस्तित्व में परिवर्तित हुआ है और राष्ट्रीयकृत बैंकों के बीच इसने प्रमुख स्थान पा लिया है।
- बैंक की भारत भर में सभी राज्यों/संघ्रशासित क्षेत्रों में कुल 3752 शाखाएँ हैं, इनमें से 141 विशेष शाखाएँ हैं। इन शाखाओं पर 50 आंचलिक कार्यालयों का नियन्त्रण हैं। विदेशों में बैंक की 29 शाखाएँ/कार्यालय हैं (इनमें पाँच प्रतिनिधि कार्यालय शामिल हैं)।
- 1989 में अपनी महालक्ष्मी शाखा को पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत शाखा में परिवर्तित कर तथा एटीएम सुविधा प्रदान कर इस क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों में पहल करने वाला यह बैंक है।
- यह बैंक भारत में स्विफ्ट का संस्थापक सदस्य है। अपने ऋण संविभाग के मूल्यांकन/निर्धारण के लिए 1982 में स्वास्थ्य संहिता प्रणाली आरंभ कर इस क्षेत्र में भी बैंक अगुआ बना हुआ है।
- पूँजी बाजार के साथ बैंक का सहयोग काफी पहले, 1921 से रहा है, जब बैंक ने बीएसई समाशोधन गृह के प्रबन्धन के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के साथ अनुबन्ध किया।
- यह सहयोग बाद में और विकसित होकर बीएसई के साथ एक संयुक्त उद्यम में परिवर्तित हुआ, जिसका नाम था बीओआई शेयरहोल्डिंग कं. लि.। इसके जरिए स्टॉक ब्रोकिंग समुदाय को डिपॉजिटरी सेवाएँ प्रदान की जाने लगी।
- बैंक ऑफ इण्डिया पहला भारतीय बैंक था जिसने विदेश में (लन्दन में) 1946 में शाखा खोली, इतना ही नहीं यूरोप में भी पहली शाखा, पेरिस में बैंक ने ही 1974 में खोली। विदेशों में बैंक का काफी कारोबार है। महत्वपूर्ण बैंकिंग तथा वित्तीय केन्द्रों में, लन्दन, न्यूयॉर्क, पेरिस, टोकियो, हाँगकाँग एंव सिंगापुर में बैंक की 29 शाखाओं (इनमें पाँच प्रतिनिधि कार्यालय) के नेटवर्क के साथ प्रभावी उपस्थित है।
- प्रायोजित ग्रामीण बैंक (Sponsored Rural Bank)
- झारखण्ड ग्रामीण बैंक
- नर्मदा-मालवा ग्रामीण बैंक
- बैतरणी ग्रामीण बैंक
- आर्यव्रत ग्रामीण बैंक



> सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया (Central Bank Of India)



स्थापना वर्ष(Establishment Year): 21 दिसम्बर, 1911

संस्थापक (Founded By): सोरावजी पोच्खानवाला राष्ट्रीयकरण (Nationalization): 19 जुलाई 1969 मुख्यालय (The Headquarters): मुम्बई (महाराष्ट्र)

- सैंन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक था जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबन्धन भारतीयों के हाथ में था। बैंक के संस्थापक सर सोराबजी पोच्खानवाला ने इस बैंक की स्थापना करते हुए अपने स्वप्न को साकार किया। सही अर्थों में स्वदेशी बैंक के पहले अध्यक्ष सर फिरोजशह मेहता थे।
- वास्तव में सर सोराबजी पोच्खानवाला इस बैंक की स्थापना से इतने गौरवान्वित हुए कि उन्होंने सैन्ट्रल बैंक को राष्ट्र की सम्पत्ति और देश की सम्पदा घोषित कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि सैन्ट्रल बैंक जनता के विश्वास पर टिका है और यह जनता का अपना बैंक है।
- पिछले 100 वर्षों के इतिहास में बैंक ने कई उतार चढ़ाव देखे और अनिगनत चुनौतियों का सामना किया। बैंक ने प्रत्येक आशंका को सफलतापूर्वक व्यावसायिक अवसर में बदल दिया और बैंकिंग उद्योग में अपने समकक्षों से उत्कृष्ट रहा।
- सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया ने कई अभिनव और अनुपम बैंकिंग गतिविधियों का शुभारम्भ किया। ऐसी ही कुछ सेवाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है-
 - 1921- समाज के सभी वर्गों में बचत/किफायत की आदत डालने के लिए घरेलू बचत स्रक्षित जमा योजना का प्रारम्भ
 - 1924- बैंक की महिला ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के लिए विशिष्ट महिला विभाग की स्थापना
 - 1926- सुरक्षित जमा लॉकर सुविधा और रूपया यात्रा चेक
 - 1929- निष्पादक एवं न्यासी विभाग की स्थापना
 - 1932- जमाराशि बीमा सुविधा योजना
 - 1962- आवर्ती जमा योजना
 - 1976- मर्चेंट बैंकिंग कक्ष की स्थापना
 - 1980- बैंक के क्रेडिट कार्ड 'सैन्ट्रल-कार्ड' का प्रारम्भ
 - 1986- प्लैटिनम जुबली मनी बैंक जमा योजना
 - 1994- बाहरी चेकों की शीघ्र वसूली के लिए त्वरित चेक वसूली सेवा (क्यू.सी.सी.) तथा तत्काल सेवा का शुभारम्भ
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया को वास्तविक अर्थों में अखिल भारतीय बैंक कहा जा सकता है क्योंकि 29 में से 27 राज्यों में तथा 7 में से 3 केन्द्रशासित प्रदेशों में इसकी शाखाओं का विस्तृत नेटवर्क है।
- देश के एक छोर से दूसरे छोर तक स्थित अपनी 3967 शाखाओं, 27 विस्तार पटलों के विस्तृत नेटवर्क के कारण सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में सेंट्रल बैंक का एक अपना विशिष्ट स्थान है

प्रायोजित ग्रामीण बैंक (Sponsored Rural Bank)

- उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक
- हाडौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- बलिया-इटावा ग्रामीण बैंक
- विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- उत्तर बंगा क्षेत्रीय-ग्रामीण बैंक

	राष्ट्रीयकृत बैंक, मुख्यालय एवं उनके स्लोगन			
	(Nationalized Bank, Headquarters And Their Slogan)			
	बैंक	मुख्यालय मुख्यालय	स्लोगन	
	इलाहाबाद बैंक	कोलकाता	"A Tradition of Trust"	
	आन्ध्रा बैंक	हैदराबाद	"For all your needs"	
5	बैंक ऑफ बड़ौदा	मुम्बई	" India's international bank	
1	बैंक ऑफ इण्डिया	<u>प</u> ुम्बई	"Relationship beyond	
	440 3110 \$1 3 11	3.44	banking"	
` 	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	पुणे	"One Family One Bank"	
i	केनरा बैंक	बंगलूरू	"It's easy to change for those	
		())	who you love. Together we can do"	
:]	देना बैंक	मुम्बई	Trusted Family Bank	
1	कॉरपोरेशन बैंक	नुःजर बेंगलुरू	A premier government of	
	9//(4/(2/1) 9/9/	and a	India	
	आईडीबीआई बैंक	मुम्बई	"Banking for all. Not just for	
			big boys, "Aao Sochein	
,	इण्डियन बैंक	चेन्नई	Bada"	
	इाण्डयन बक	यन्नइ	"Taking Banking Technology to the Common man"	
	इण्डियन ओवरसीज	चेन्नई	"Good people to grow with"	
	बैंक			
	ओरिएन्टल बैंक ऑफ	नई दिल्ली	Where every individual is	
	कामर्स		committed"	
	पंजाब नेशनल बैंक	नई दिल्ली	"The name you can Bank	
	· · · · · · · · · · · · · · · ·		upon"	
	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	•	"Where service is a way fo"	
	स्टेट बैंक ऑफ	मुम्बई	"Pure Banking Nothing else"	
	इण्डिया सिंडिकेट बैंक		#X/ C-: (1. C-1 0 C-: 11	
5	।साडकट बक	मणिपाल	"Your faithful & friendly Financial Partner"	
,	यूको बैंक	कोलकाता	"Honours your Trust"	
П	यूनाइटेड बैंक ऑफ	कोलकाता	"The Bank that begins with u"	
	इण्डिया		_	
,	यूनियन बैंक ऑफ	मुम्बई	"Good people to Bank with"	
i	इण्डिया	-		
	विजया बैंक	बेंगलुरू	"Friend you can bank on"	
1				

X-EEED

सामान्य सचेतत

महत्त्वपूर्ण तथ्य (Important Facts)

- प्रथम पूर्णतः भारतीय पूँजी से आरम्भ बैंक- पंजाब नेशनल बैंक
- 🗷 भारत का सबसे पुराना, बड़ा और सफल व्यावसायिक बैंक -

भारतीय स्टेट बैंक

- भारत का निजी क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा शिड्यूल्ड व्यावसायिक बैंक द फेडरल बैंक लिमिटेड
- प्रथम बैंक जिसने भारत के बाहर लंदन में अपनी शाखा (1946 ई.)
 खोली बैंक ऑफ इंडिया
- प्रथम भारतीय व्यावसायिक बैंक जो पूर्णतः भारतीय स्वामित्व व प्रबंधन का था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
- 🗷 भारत की प्रथम आई.एस.ओ. प्रमाण-पत्र बैंक केनरा बैंक
- 🗷 उत्तरी भारत के प्रथम आई.एस.ओ. 9002 प्रमाण-पत्र प्राप्त बैंक -

पंजाब एंड सिंध बैंक

निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंक (Major Banks in Private Sector)

निजी क्षेत्र के बैंक	पंजीकृत कार्यालय	स्थापना वर्ष
इन्डस इंड बैंक	पुणे	1994
ग्लोबल ट्रस्ट बैंक	सिकन्दराबाद	1994
ICICI बैंक	बड़ौदा	1994
UTI बैंक *	अहमदाबाद	1994
टाइम्प बैंक	फरीदाबाद	1995
सेंचुरियन बैंक	पणजी	1995
बैंक ऑफ पंजाब	चण्डीगढ़	1995
HDFC बैंक	मुम्बई	1995
IDBI बैंक	इन्दौर	1995
डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	मुम्बई	1995
Yes बैंक	मुम्बई	2004

*UTI बैंक का नाम बदलकर एक्सिस बैंक लि. (Axis Bnak Ltd.) कर दिया गया है। बैंक का यह नाम 30 जुलाई, 2007 से प्रभावी किया गया

विभिन्न निजी क्षेत्र के बैंको का सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको में विलय का विवरण (Details of Marger of Various Private Sector Banks in Public Sector Banks)

विगत वर्षों में अनेक अवसरों पर वित्तीय संकट में फँसे निजी क्षेत्र के बैंकों के कारोबार पर प्रतिबंध लगाकर इनका विलय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में किया गया है। निजी क्षेत्र के जिन अन्य बैंकों के कारोबार पर रोक लगाकर उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय किया गया है; उनके नाम निम्नलिखित हैं-

	सामान्य संवताता
बैंक	जिसमें विलय किया गया
बैंक ऑफ कोचीन	भारतीय स्टेट बैंक (1984-85)
लक्ष्मी कॉमर्शियल बैंक	केनरा बैंक (1984-85)
बैंक ऑफ बिहार	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (1969)
हिन्दुस्तान कॉमर्शियल बैंक	पंजाब नेशनल बैंक (1986)
मिराज स्टेट बैंक	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया (1985)
ट्रेडर्स बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा (1988)
बैंक ऑफ क्रेडिट कॉमर्स	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
बैंक ऑफ तमिलनाडु	इण्डियन ओवरसीज बैंक
थंजावूर बैंक	इण्डियन बैंक (1989-90)
पारूर सेंट्रल बैंक	बैंक ऑफ इण्डिया (1989-90)
यूनाइटेड इण्डस्ट्रियल बैंक	इलाहाबाद बैंक (1989-90)
पूर्वांचल बैंक	सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया (1990-91)
बैंक ऑफ करनाल	बैंक ऑफ इण्डिया (1993-94)
बरेली कॉर्पोरेशन बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा (1999)
सिक्किम बैंक	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया (1999)
बनारस स्टेट बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा (2002)
पंजाब कोऑपरेटिव बैंक	ओरिएंटन बैंक ऑफ कॉमर्स (1997)
नेदुनगड़ी बैंक	पंजाब नेशनल बैंक (2003)
ग्लोबल ट्रस्ट बैंक	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (2004)
नेशनल बैंक ऑफ लाहौर	भारतीय स्टेट बैंक (1970)
ईस्टर्न बैंक	चार्टर्ड बैंक (1971)
कृष्णाराम बलदेवों बैंक लि.	भारतीय स्टेट बैंक (1974)
बेलगाँव बेंक	यूनियन बैंक (1976)
न्यू बैंक ऑफ इण्डिया	पंजाब नेशनल बैंक (1993-94)
काशीनाथ सेठ बैंक	भारतीय स्टेट बैंक (1995-96)
बारी दोआब बैंक	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (1997)
टाइम्स बैंक	HDFC बैंक (1999)
ICICI	ICICI बैंक (2002)
साउथ गुजरात लोकल एरिया	बैंक ऑफ बड़ौदा (2004)
बैंक	
भारत ओवरसीज बैंक	इण्डियन ओवरसीज बैंक (2006)
सांगली बेंक	ICICI बैंक (अप्रैल 2007)
लॉर्ड कृष्णा बैंक	सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब (अगस्त
	2007)
अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक	स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक (मार्च 2008)
दी साउथ इण्डियन कोऑपरेटिव	सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक (सितम्बर,
बैंक	2008)

www.xeeed24h.com

स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	भारतीय स्टेट बैंक (जुलाई 2008)
~	Š
बैंक ऑफ मदुरा	आईसीआईसीआई बैंक (1 मार्च, 2001)
बनारस स्टेट बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा (20 जून, 2002)
बैंक ऑफ पंजाब	सेंचुरियन बैंक (1 अक्टूबर, 2005)
लार्ड कृष्णा बैंक	सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब (19 अगस्त,
	2006)
गणेश बैंक ऑफ कुरूंदवाद	फेडरल बैंक (2 सितम्बर, 2006)
यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक	आईडीबीआई बैंक (27 सितम्बर, 2006)
सांगली बैंक	आईसीआईसीआई बैंक (दिसम्बर 2006)
सिक्किम बैंक	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया (दिसम्बर
	1999)

धारत में चिदेशी चाणिज्य डोंदर (Foreign Commercial Bank in India)

वित्त मन्त्रालय द्वारा लोक सभा में 2 सितम्बर, 2011 को दी गई एक जानकारी के अनुसार अगस्त 2011 के अन्त तक भारत में 38 विदेशी बैंक कार्यरत् थे। देश में इन बैंकों की शाखाओं की कुल संख्या 321 होने की बात वित्त राज्य मन्त्री ने सदन को बताई है।

विश्व व्यापार संगठन (WTO) के साथ किए गए वायदों के अनुरूप देश में विदेशी बैंकों की शाखाओं का विस्तार किया जा रहा। विश्व व्यापार संगठन के साथ किए गए वायदों के तहत् विदेशी बैंकों की कम-से-कम 12 शाखाओं की स्थापना की अनुमित प्रतिवर्ष रिजर्व बैंक को प्रदान करनी है।

नए प्रावधानों के तहत् विदेशी बैंकों को भारत में अपनी शाखा खोलते समय केवल 10 मिलियन डॉलर की पूँजी साथ लेकर आनी होती है। दूसरी व तीसरी शाखा के लिए अतिरिक्त पूँजी आवश्यकता क्रमशः 10 मिलियन डॉलर व 5 मिलियन डॉलर होगी। ब्रिटेन के स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक की भारत में अधिकतम शाखाएँ (81 शाखाएँ) है

विदेशी बैंक (Foreign Bank)

- बैंक ऑफ अमेरिका
- मशरेक बैंक
- ए. वी. एन. एमरों बैंक
- डच बैंक
- सोसिएट जनरल
- वी. एन. पी. परिवाज
- आई. एन. जी. बैंक
- बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया
- स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
- चो हूंग बैंक

- एटवर्प डायमंड बैंक
- मिजूहो कॉपेरिट बैंक लिमिटेड
- ओमान इंटरनेशनल बैंक
- अबुधावी कॉमर्शियल बैंक लिमिटेड
- अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लिमिटेड
- चाइना ट्रस्ट कॉमर्शियल बैंक लिमिटेड
- स्मितमो मित्सू बैंकिंग कॉपेरिशन
- बैंक ऑफ टोकियो मित्सूबिसी लिमिटेड
- स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस लिमिटेड
- बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत
- बैंक ऑफ नोवा स्टाकिया
- सिटी बैंक
- एच. एस. बी. सी. लिमिटेड
- सोनाली बैंक
- वार्क्लेज बैंक
- डी. वी. एस. बैंक लिमिटेड
- अरब बांग्लादेश बैंक लिमिटेड
- बैंक ऑफ सिलौन
- क्रूंग थाई बैंक
- जेपी मोर्गन चेज बैंक
- यू. एफ. जे. बैंक लिमिटेड
- कैलियोन बैंक

विदेशी बैंकों के स्लोगन (Slogan of Foreign Banks)

बैंक	स्लोगन
एबीएन एमरो	"Making more possible"
बारक्लेज	"Now there's thought"
बैंक ऑफ अमेरिका	Think what we can do for you"
ड्यूच बैंक	"Deutsche Bank : A passion to perform"
गोल्डमेन सेच्स	"Our client's interest always come first"
एचएसबीसी बैंक	"HSBC-The world's local bank"
जेपी मॉर्गन चैस	"Chase what matters"
मॉर्गन स्टेनले	"World wise"
स्टैन्डर्ड चार्टर्ड बैंक	"Leading the way Asia, Africa and the Middle East"

क्षेत्रीय ग्रापीण देंदर (Regional Rural Bank)

भारत में ग्रामीण साख की कमी को दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने 26 सितम्बर, 1975 को एक अध्यादेश द्वारा देश भर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) की घोषणा की।

देश में 2 अक्टूबर, 1975 को भारतीय स्टेट बैंक, सिंडीकेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, युनाइटेड कॉमर्शियल बैंक एवं युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित पाँच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये-

- (i). मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)- सिण्डीकेट बैंक
- (ii). गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)- स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
- (iii).भिवानी (हरियाणा)- पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इण्डिया
- (iv). जयपुर (राजस्थान)- युनाइटेड कमर्शियल बैंक
- (v). माल्दा (पं. बंगाल)- युनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया

प्रत्येक RRB की अधिकृत पूँजी (Authorised Capital) 1 करोड़ रूपये तथा जारी और चुकता पूँजी (Issued and Paid up Capital) 25 लाख रूपये थी। RRB की हिस्सा पूँजी में केन्द्रीय सरकार द्वारा 50%, राज्य सरकार द्वारा 15% तथा लीड बैंक द्वारा 35% का योगदान दिया जाता है।

वाणिज्य बैंक व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में अन्तर

(Difference BetweenCommercial Bank And Regional Rural Bank)

एक ग्रामीण बैंक की अपनी विशेषता यह है कि वह शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा वाला पृथक निगमित निकाय (a separate body corporate with perpetual succession and common seal) होते हुए भी उस वाणिज्यिक बैंक से घनिष्ठ रूप से जुड़ा होता हैं जो उसकी स्थापना के प्रस्ताव को प्रायोजक होता है। वाणिज्यिक बैंक के आवेदन करने पर जब केंद्र सरकार कोई ग्रामीण बैंक स्थापित करती है तो वह उन स्थानीय सीमाओं का भी उल्लेख करती है जिनके भीतर उस ग्रामीण बैंक को कार्य करना होता है।

भारतीय सहकारी बैंक (Indian Co-Operative Bank)

सहकारी बैंक वे बैंक हैं जिनकी स्थापना सदस्यों द्वारा अपने पारस्परिक लाभ के लिए की जाती है और जिन पर सहकारिता अधिनियम लागू होता है।

सहकारी बैंक की विशेषताएँ

(Features Of Co-Operative Bank)

- (i). इसका उद्देश्य सदस्यों से थोड़ी-थोड़ी राशि अंश पूँजी के रूप में अथवा जमा राशि के रूप में लेना तथा उसमें से समय-समय पर उत्पादन कार्यों के लिए ऋण देकर उसकी सहायता करना है।
- (ii). यह सीमित साधनों वाले और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का ऐच्छिक संगठन है।
- (iii). सहकारी बैंकों का संचालन प्रायः सहकारी समिति कानून द्वारा होता है।

- (iv). इसमें सभी सदस्यों का अधिकार व दर्जा समान होता है।
- (v). इनका उद्देश्य सदस्यों में आत्म-निर्भरता और परस्पर सहयोग की भावना पैदा करना भी होता है।

सहकारी बैंक व वाणिज्य बैंक में अन्तर (Difference Between Co-Operative Bank and Commercial Bank)

सहकारी बैंक व वाणिज्य बैंक में अन्तर को निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है-

- सहकारी बैंक आधारभूत रूप से ही ग्राम उन्मुखी (Rural-oriented) रहे हैं और कृषि तथा उससे जुड़ी गितविधियों के लिए ही वित्त सुलभ कराते हैं जबिक सन् 1969 तक वाणिज्यिक बैंक केवल नगर-उन्मुखी (Urban-oriented) रहे और व्यापार तथा उद्योगों को वित्त की सुविधाएँ देते रहे। भारत में सहकारी बैंकों का गठन तीन स्तरों वाला (Three Tier Setup) है। राज्य सहकारी बैंक सम्बन्धित राज्य में शीर्ष संस्था होती है। इसके बाद जिला सहकारी बैंक जिला स्तर पर कार्य करते हैं। तृतीय स्तर प्राथिमक ऋण सिमितियों का होता है, जोिक ग्राम स्तर पर कार्य करती हैं।
- 2. सहकारी बैंक केवल निर्धारित क्षेत्र में अपना काम-काज कर सकता है लेकिन अधिकांश वाणिज्य बैंकों की शाखाएँ अनेक राज्यों और देश के विभिन्न भागों में फैली हुई हैं।
- सहकारी बैंकों का गठन तीन स्तरों (Three Tier Set-up) वाला है, जबिक सहकारी बैंक अलग-अलग राज्यों द्वारा बनाए गए सहकारी सिमिति अधिनियमों के अन्तर्गत स्थापित किये गए हैं।
- 4. सहकारी बेंक अलग-अलग राज्यों द्वारा बनाये गए सहकारी सिमिति अधिनियमों के अन्तर्गत स्थापित किये गए हैं जबिक वाणिज्य बेंक कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत संयुक्त पूँजीवादी कम्पनियों के रूप में गठित किये गए हैं।
- 5. सहकारी बैंक सहकारिता के सिद्धान्तों पर चलते हैं, जबिक वाणिज्यिक बैंक विशुद्ध व्यापारिक सिद्धान्तों (Sound Business Principles) का अनुगमन करते हैं। यही कारण है कि रिजर्व बैंक सहकारी बैंकों को रियायती दर पर वित्तीय सहायता देता है।
- 6. बैंकों पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (Banking Regulation Act, 1949) की सभी धाराएँ लागू है, जबिक सहकारी बैंकों पर इस अधिनियम की कुछ ही धाराएँ लागू हैं। इस तरह सहकारी बैंकों पर रिजर्व बैंक का नियन्त्रण केवल आंशिक है।

भारत में सहकारी बैंक संरचना (Co-Operative Bank Structure in India)

प्राथमिक साख समितियाँ (Primary Credit Society): इनकी स्थापना कृषि क्षेत्र की अल्पकालीन ऋणों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए की गई है। एक गाँव अथवा क्षेत्र के कोई भी कम-से-कम दस व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक साख समिति का निर्माण कर सकते हैं। ये समितियाँ प्राथमिक कृषि साख समितियाँ भी कहलाती हैं तथा सामान्यतः यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन (एक वर्ष के लिए) ऋण देती है, परन्तु विशेष परिस्थितियों में इनकी अवधि तीन वर्ष तक के लिए बढाई जा सकती है।

31

राज्य सहकारी बैंक (State Co-Operative Bank): इस बैंक को राज्य का शीर्ष सहकारी बैंक (Apex Co-operative Bank) भी कहते हैं। यह बैंक राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंकों को ऋण देता है और उनके कार्यों का नियन्त्रण करता है। यह भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त करता है। इस प्रकार यह बैंक रिजर्व बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा प्राथमिक सहकारी समितियों के मध्य एक महत्वपूर्ण वित्तीय कड़ी का कार्य सम्पन्न करता है।

राज्य सहकारी बैंक अपनी चालू पूँजी अंश बेचकर तथा ऋण लेकर प्राप्त करता है। रिजर्व बैंक से इसे प्रायः बैंक दर से एक या 2 प्रतिशत कम पर ऋण उपलब्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार यह बैंक भी 2 प्रतिशत सीमान्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है।

केन्द्रीय सहकारी बैंक (Central Co-Operative Bank): इन्हें जिला सहकारी बैंक भी कहा जाता है। इसका कार्य क्षेत्र एक जिले तक ही सीमित रहता है। केन्द्रीय सहकारी बैंकों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है-

- (1) सहकारी बैंकिंग संघ, तथा
- (2) मिश्रित केन्द्रीय सहकारी बैंक

सहकारी बैंकिंग संघों की सदस्यता सिर्फ सहकारी सिमितियों को ही प्राप्त होती है, जबिक मिश्रित सहकारी बैंकों के सदस्य सहकारी सिमितियाँ तथा व्यक्ति दोनों ही हो सकते हैं। भारत के समस्त राज्यों में प्रायः मिश्रित सदस्यता वाले केन्द्रीय सहकारी बैंक हैं। यह बैंक सहकारी साख सिमितियों को आवश्यकतानुसार ऋण प्रदान करते हैं, जिससे कि ये सिमितियाँ कृषकों तथा अन्य सदस्यों को समुचित आर्थिक सहायता उपलब्ध करा सकें।

केन्द्रीय सहकारी बैंक अपनी चालू पूँजी में राज्य सहकारी बैंक (State cooperative Bank) से ऋण लेकर वृद्धि करते हैं तथा सहकारी समितियों को ऋण देते हैं। इनके ऋण की अवधि भी एक वर्ष से तीन वर्ष तक की हो सकती है। इस प्रकार अधिकांश केन्द्रीय बैंक राज्य सहकारी बैंक तथा प्राथमिक ऋण समितियों के मध्य अन्तर्वर्ती का कार्य करते हैं। मार्च 2001 के अन्त में देश में 367 केन्द्रीय सहकारी बैंक कार्यरत् थे। इनमें से 245 लाभ में तथा 112 हानि में चल रहे थे।

इस्लामिक बैंक (Islamic Bank)

3 फरवरी, 2011 ई. को एक महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए केरल हाई कोर्ट ने कहा कि इस्लामिक बैंकिंग से संविधान के मूल ढाँचे को कोई खतरा नहीं है। इस्लामिक वित्तीय संस्थान को सहप्रायोजित करने के केरल सरकार के निर्णय को जायत ठहराते हुए न्यायालय ने देश में इस्लामिक बैंकिंग पर लम्बे समय से चल रही बहस को सकारात्मक दिशा में मोड़ दिया है। गौरतलब है कि केरल औद्योगिक विकास निगम (जो एक सरकारी एजेन्सी है) ने अल-बरकाह वित्तीय सेवा कम्पनी में 11 फीसदी इक्विटी निवेश करने की घोषणा की थी। जनता पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी ने इसे संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ बताते हुए केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर की। रिजर्व बैंक व अर्थशास्त्रियों की नजरें इस फैसले पर टिकी थीं और लम्बी सुनवाई के बाद न्यायालय ने स्वामी की याचिका खारिज करके इस्लामिक बैंकिंग का रास्ता साफ कर दिया।

इस्लाम धर्म में रीबा यानी ब्याज लेने को पाप माना जाता है और ब्याज लेने व देने वाले, दोनों ही इस्लाम की नजर में गुनहगार हैं। इसी विश्वास के चलते एक बड़ी आबादी बैंकिंग स्विधाओं से महरूम है और विकास की दौड़ में भागीदार नहीं है। इस्लामिक बैंकिंग की अवधारणा इसी विश्वास पर काम करती है और यह बैंक इस्लामिक कानूनों (शरिया) के अनुसार लेन-देन करते हैं। परम्परागत बैंकों के विपरीत इस्लामिक बेंकों में ब्याज नहीं लिया जाता है और कर्ज लेने के लिए सम्पत्ति भी गिरवी नहीं रखनी पड़ती है। सवाल उठता है कि ऐसे में इन बैंकों का परिचालन खर्च कैसे निकलता है और क्या इनके असफल होने की सम्भावना नहीं है। इस्लामिक बैंक कर्जदार को होने वाले मुनाफे से एक छोटी रकम लेते हैं जो इनके परिचालन खर्च में काम आती हैं। परिचालन खर्च से ज्यादा पैसा आने पर वह रकम बैंक के हिस्सेदारों में बाँट दी जाती है और कर्जदारों से ली जाने वाली रकम कम कर दी जाती है। इस्लामिक बैंकों के मुनाफा कमाने का दूसरा तरीका यह है कि बैंक की रकम का इन्श्योरेन्स, म्यूचुअल फण्ड, आधारभूत ढाँचे, विनिर्माण जैसे विकासात्मक कार्यों में निवेश किया जाता है। इस्लामिक बैंकिंग के इस ब्याज रहित कारोबार की सबसे बडी खासियत यह है कि अनिश्चित व जोखिमपूर्ण जगहों पर पैसा नहीं लगाया जाता है और शरिया में वर्जित गतिविधियों मसलन ज्ञा, माँस-शराब का कारोबार व पोर्नोग्राफी के लिए भी धन मुहैया नहीं करवाया जाता है। सम्बन्धित देश के केन्द्रीय विनियामक बैंकों के अलावा इस्लामी धार्मिक स्कॉलरों का समूह इन बैंकों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है।

2006 में रिजर्व बैंक ने इस्लामिक बैंकिंग की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए आनन्द सिन्हा की अगुवाई में एक सिमित गठित की थी, जिसने मौजूदा नियमों में संशोधन का सुझाव दिया था। कुछ समय बाद इस मामले को ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया, लेकिन अपनी मलेशिया यात्रा के समय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह इस्लामिक बैंकिंग से प्रभावित हुए। इसके बाद फिर इस्लामिक बैंकिंग पर हलचल हुई और वित्त मन्त्रालय के कहने पर योजना आयोग द्वारा गठित रघुराम राजन सिमित की सिफारिशों पर भी गौर नहीं किया गया, लेकिन अब केरल हाई कोर्ट के ताजा फैसले ने नई उम्मीद जगाई है।

अन्य वित्तीय संस्थाएँ (Other Financial Institutions)

भूमि विकास बैंक (Land Development Banks)

इन्हें भूमि बंधक बैंक भी कहा जाता है। किसानों की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि विकास बैंकों की स्थापना की गई है। ये बैंक किसानों को भूमि खरीदने, भूमि पर स्थायी सुधार करने अथवा पुराने ऋणों का भुगतान करने आदि के लिए दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करते हैं।

इन बैंकों का ढाँचा दो स्तर वाला है। राज्य स्तर पर केन्द्रीय भूमि विकास बैंक तथा जिला अथवा तालुक स्तर पर प्राथमिक भूमि विकास बैंकों की स्थापना की गई है। कुछ राज्यों, में, जैसे-जम्मू-कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश में यह ढाँचा ऐकिक (Unitary) है, अर्थात् वहाँ पर शीर्षस्थ (Apex) भूमि विकास बैंक है, जो जिला स्तर पर स्वयं अपनी शाखाओं द्वारा सीधे ही अपनी गतिविधियाँ सम्पन्न करते हैं।

भारत में भूमि बंधक बैंकों अथवा भूमि विकास बैंकों का वास्तविक प्रारम्भ **राष्ट्रीय आवास बैंक (National Housing Bank-NHB)** मद्रास में हुआ, जबिक इस राज्य ने अपने राज्य के प्राथमिक बैंकों को समन्वित करने के लिए 1929 में केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक (Central Land Mortgage Bank) की स्थापना की इसके बाद देश के अनेक राज्यों में इनकी स्थापना की गर्ड ।

देश में भूमि विकास बैंकों की पूँजी के मुख्य स्रोत हैं- (1) अंश पूँजी, (2) स्रक्षित कोष, (3) जमा राशि, (4) ऋणपत्र तथा (5) ऋण। इनमें से ऋणपत्र सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, ऋणपत्रों से ही केन्द्रीय भूमि विकास बैंक अपनी अधिकांश कार्यशील पूँजी एकत्रित करते हैं। इन बैंकों के ऋणपत्रों में मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक, व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक, जीवन बीमा निगम तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारें निवेश करती हैं। यह ऋणपत्र दीर्घकालीन अवधि (25 वर्ष तक) के होते है।

राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) (National Bank for Agriculture and Rural **Development**)

यह देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध करने वाला शीर्ष संस्था है।

राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (NABARAD) की स्थापना 12 जुलाई, 1982 को की गई थी। नाबार्ड की चुकता पूँजी (PAID UP CAPITAL) 100 करोड़ में भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक का बराबर (50:50) का योगदान था। वर्ष 1996-97 में इसे बढ़ाकर 1000 करोड़ रूपए कर दिया गया था जिसमें RBI का योगदान 800 करोड़ रूपए तथा केन्द्र सरकार का 200 करोड़ रूपए था। 31 मार्च, 2010 को नाबार्ड की 2000 करोड़ रूपए की चुकता पूँजी थी जिसमें 72.5% हिस्सेइदारी RBI की है। RBI ने NABARD की इक्विटी में अपनी लगभग सारी हिस्सेदारी सरकार को अक्टूबर 2010 में बेच दी है। 13 अक्टूबर, 2010 को किए गए इक्विटी हस्तान्तरण के तहत् RBI ने NABARD की केवल 1% हिस्सेदारी अपने पास रखी है अतः अब नाबार्ड की इक्विटी में केन्द्र सरकार व RBI की हिस्सेदारी क्रमशः 99% व 1% रह गई है।

कृषि ऋणों को बढ़ावा देने के लिए 'नाबार्ड' की चुकता पूँजी (Paid up Capital) में चरणबद्ध तरीके से 3000 करोड़ रूपए की वृद्धि की घोषणा 2011-12 के बजट प्रस्तावों के अन्तर्गत सरकार द्वारा की गई है। इसके फलस्वरूप नाबार्ड की चुकता पूँजी 5000 करोड़ रूपए की हो जाएगी।

नाबार्ड ग्रामीण ऋण ढाँचे में एक शीर्षस्थ संस्था के रूप में अनेक वित्तीय संस्थाओं (राज्य भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) को पुनर्वित्त सुविधाएँ प्रदान करता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक गतिविधयों के विस्तृत क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए ऋण देती हैं।

अपनी ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नाबार्ड भारत सरकार, विश्व बैंक तथा अन्य एजेन्सियों से राशियाँ प्राप्त करता है। यह केन्द्र सरकार की गारण्टी प्राप्त बॉण्ड तथा ऋणपत्र जारी करके भी संसाधन जुटा सकता है। इसके अतिरिक्त यह राष्ट्रीय ग्रामीण साख (स्थिरीकरण) निधि के संसाधनों का भी प्रयोग करता है।

राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक संस्था के रूप में जुलाई 1988 में की गई थी। यह बैंक देश में आवास सम्बन्धी वित्त व्यवस्था के लिए शीर्षस्थ बैंक है। यह बैंक भृमि एवं भवन निर्माण सामग्री एवं संघटकों जैसे वास्तविक संसाधनों की आपूर्ति के संवर्द्धन के लिए भी प्रयत्नशील रहा है। राष्ट्रीय आवास बैंक बॉण्डों तथा ऋण-पत्रों को जारी करके अपने संसाधन जुटाता है।

भारतीय निर्यात-आयात बैंक

(Export-Import Bank of India-EXIM BANK)

भारतीय निर्यात-आयात बैंक की स्थापना 1 जनवरी, 1982 को की गई थी। इसकी स्थापना से पूर्व IDBI का अन्तर्राष्ट्रीय वित्त विभाग निर्यात तथा आयात की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। अब एक्जिम बैंक का उद्देश्य निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त इसे उन सभी वित्तीय संस्थाओं के काम का समन्वय करने का कार्य भी सौंपा गया, जो वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात एवं आयात के लिए वित्त जुटाते हैं।

यह बैंक न केवल भारत, अपित तृतीय विश्व के देशों के लिए भी वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्यात एवं आयात के लिए वित्त का प्रबन्ध करता है।

भारत के एक्जिम बैंक के विदेशों में कार्यालय वाशिंगटन डी.सी, सिंगाप्र, आबिदजान (आइवरी कोस्ट) तथा बुडापेस्ट (हंगरी) में स्थापित किए गए हैं। इसका प्रधान कार्यालय मुम्बई (महाराष्ट्र) में है।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (Unit Trust of India-UTI)

1964 में सार्वजनिक क्षेत्र में गठित भारतीय यूनिट ट्रस्ट अपने परिवर्तित स्वरूप में निजी क्षेत्र की एक कम्पनी हो गया है।

2001 में यू.एस.-64 के धराशायी होने के पश्चात् यूटीआई का विभाजन अलग-अलग कम्पनियों-यूटीआई-I व यूटी-आई II (UTI-Asset Management Company UTI-AMC) में कर दिया गया था।

यूटीआई के शुद्ध परिसम्पत्ति मूल्य (Net Asset Value-NAV) आधारित सभी योजनाओं को यूटीआई-II (UTI-AMC) के अधीन रखा गया था तथा इसकी परिसम्पत्तियों का परिचालन भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) भारतीय स्टेट बैंक (SBI), बैंक ऑफ बड़ौदा व पंजाब नेशनल बैंक द्वारा किया जा रहा था। इन चारों ने अब सरकार को पूरा मूल्य चुका कर युटीआई एएमसी (यूटीआई म्यूचुअल फंड) के प्रबन्धन के साथ-साथ इसका स्वामित्व भी हासिल कर लिया है। इससे यूटीआई म्यूचुअल फंड में इन चारों (जीवन बीमा निगम, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा व पंजाब नेशनल बैंक) की हिस्सेदारी 25-25% हो गई है।

राज्य वित्त निगम (State Finance Corporation)

देश में वित्त-पोषण करने वाली संस्थाओं की संरचना के विकास में राज्य वित्त निगम अभिन्न अंग हैं। वे अपने राज्यों में छोटे और मध्यम उद्यमों के उन्नयन के लिए प्रयास करते हैं और इस प्रकार संतृलित क्षेत्रीय वृद्धि, अधिक निवेश, अधिक रोजगार और उद्योगों के व्यापक स्वामित्व में सहायक होते हैं।

इस समय 18 राज्य वित्त निगम हैं, जिनमें से 17 राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के तहत गठित किए गए थे। राज्य वित्त निगम सावधि ऋणों,

रूप में उद्योगों को सहायता प्रदान करते हैं।

किसी भी समय इन निगमों की कुल पूँजी में राज्य सरकार, सिडबी तथा अन्य सरकार नियन्त्रित संस्थाओं की भागीदारी मिलाकर 51% से कम नहीं हो सकती अर्थात् इन निगमों में निजी शेयरधारित 49 प्रतिशत तक ही हो सकती है।

भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड

(Industrial Investment Bank of India Ltd.- IIBIL)

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 20 मार्च, 1985 को भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत, तत्कालीन भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, देश में प्रधान ऋण तथा पुनर्निर्माण एजेंसी के रूप में रूग्ण तथा बन्द औद्योगिक एककों के पुनर्निर्माण के लिए की गई थी।

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक औद्योगिक संस्थाओं को ऋण तथा अग्रिम देता है, स्टॉक, शेयरों बॉण्डों और डिबेंचरों की हामीदारी करता है और ऋणों तथा स्थगित अदायगियों की गारण्टी देता है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। अब भारतीय औद्योगिक पुनर्निमार्ण बैंक (RBI) के स्थान पर एक पुनर्संरचित नई कम्पनी स्थापित करने की सरकार की योजना है। इस सम्बंध में 6 मार्च, 1997 को लोक सभा ने एक विधेयक भी पारित किया है।

नई व्यवस्था के तहत IRBI एक नए नाम 'भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि0,' (Industrial Investment Bank of India Ltd.-IIBIL) से कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत् पंजीकृत एक कम्पनी के रूप में कार्य करता है।

इसकी अधिकृत पूँजी (Authorised Capital) 1000 करोड़ रूपए है। इसका मुख्यालय कोलकाता में ही है। इस प्रकार यह IDBI, IFCI व ICICI की ही भाँति एक स्वतन्त्र विकास वित्त संस्था के रूप में कार्यशील हो गया है।

भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम लिमिटेड

(Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd. ICICIL)

भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम (ICICI) की स्थापना जनवरी 1955 में भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत निजी क्षेत्रों में लघु तथा मध्यम उद्योगों के विकास के लिए की गई थी।

प्रारम्भ में इसकी समस्त पूँजी को कम्पनियों, संस्थाओं तथा व्यक्तियों ने निजी रूप से धारण कर रखा था, किन्तु वर्तमान में इसकी अधिकांश अंश पूँजी (Equity Capital) सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों जैसे- बैंकों, जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम तथा उसकी समानुषंगी कम्पनियों ने धारण कर रखी है।

निगम ऋणपत्रों के आधार पर दीर्घकालिक व मध्यकालिक ऋण देता है, निजी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों के अंशों में अभिदान करता है, उनके अंशों एवं ऋणपत्रों की नई शृंखला का अन्तर्लेखन (Underwriting) करता है, बॉण्डों एवं ऋणपत्रों का क्रय करता है तथा रुपए में भुगतान होने वाले ऋणों की गारण्टी देता

निगम की सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसके द्वारा स्वीकृत तथा राज्य औद्योगिक वित्त निगमों के माध्यम से सहायता प्रदान करता है। ऋण राशि में विदेशी मुद्रा में मंजूर ऋणों का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। 1973 के

इक्विटी/डिबेंचरों में प्रत्यक्ष अंशदान, एक्सचेंज बिलों की भुनाई और गारिण्टयों के बाद से निगम ने विदेशी मुद्रा में ऋण प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पूँजी-बाजार में भी प्रवेश किया है।

> मुम्बई उच्च न्यायालय ने 3 अप्रैल, 1997 को विलय की मंजूरी देने के पश्चात् 1 अप्रैल, 1996 से पूर्व प्रभावी तारीख से सरकार ने नौवहन उद्योग को वित्त उपलब्ध कराने वाली SCICI (शिपिंग क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी ऑफ इण्डिया) लि. का ICICI में विलय कर दिया।

> वर्तमान में आईसीआईसीआई का आईसीआईसीआई बैंक में विलय किया जा चुका है।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड

(Industrial Finance Corporation of India Ltd.-IFCI Ltd.)

औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति के सुझाव पर एक विशेष अधिनियम द्वारा 1948 में हुई। इसका उद्देश्य देश के औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन साख की व्यवस्था करना है।

निगम की अधिकृत पूँजी 10 करोड़ रूपए की थी, जो 5,000 रूपए के अंशों में बँटी हुई थी। बाद में यह बढ़ाकर 20 करोड़ रूपए कर दी गई।

अभी तक भारत सरकार, रिजर्व बैंक, अनुसूचित बैंक, बीमा कम्पनियाँ तथा सहकारी समितियाँ इसके अंशधारियों में से थीं। साधारण व्यक्ति इसका अंशधारी नहीं था, किन्तु 1 जुलाई 1993 से इस निगम की प्रकृति में परिवर्तन करके इसे एक कम्पनी का रूप दे दिया, तदनुरूप इसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेंड का स्तर प्रदान कर दिया गया। इसका पंजीकरण कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत् किया जा चुका है।

देश के सबसे पुराने इस वित्तीय संस्थान को अब एक बैंकिंग संस्थान (PNB) में विलय करने का निर्णय सरकार ने कर्मचारियों के संगठन की माँग पर किया है। प्रस्तावित विलय को व्यावाहारिक रूप देने के लिए बैंकिंग, विनियमन अधिनियम तथा NBFC अधिनियम में कुछ संशोधन भी सरकार को करने होंगे।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)

(Small Industries Development Bank of India-SIDBI)

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना अप्रैल 1990 में की गई थी। यह बैंक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI) कें पूर्ण स्वामित्व में एक सहायक बैंक के रूप में स्थापित किया गया। यह बैंक छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना, वित्त पोषण, विकास तथा ऐसे कार्यों में संलग्न अन्य संस्थाओं के कार्यों में समन्वय करने वाली प्रमुख वित्तीय संस्था है।

2 अप्रैल, 1990 से इसने कार्य प्रारम्भ कर दिया था। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। इसके अतिरिक्त इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय व 21 शाखा कार्यालय देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए गए हैं।

इस बैंक की स्थापना हो जाने पर लघु क्षेत्र के उद्योगों के लिए जो कार्य आई.डी.बी.आई. करता था, वह सभी कार्य इस बैंक (सिडबी) को हस्तान्तरित कर दिए गए हैं।

बैंक लघु उद्योगों को व्यापारिक बैंकों, सहकारी तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों

34

तहत् भारतीय मुद्रा के साथ-साथ विदेशी मुद्रा ऋण भी लध् उद्योगों को उपलब्ध कराए जाते हैं। वर्तमान में उसकी शत-प्रतिशत इक्विटी IDBI के पास है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड

(Industrial Development Bank of India Ltd.-IDBI)

देश में औद्योगिक विकास की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार ने जुलाई 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना करने का निर्णय लिया। 1976 तक यह बैंक रिजर्व बैंक का एक अनुषंगी बैंक (Subsidiary Bank) था। 1976 में इसे रिजर्व बैंक से अलग कर दिया गया और इसका स्वामित्व भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। वर्तमान में IDBI में सरकार की हिस्सेदारी 58.47% है।

इस बैंक का मुख्य कार्य औद्योगिक उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा उद्योगों के विकास में लगी संस्थाओं को बढ़ावा देना है। यह बैंक बड़ी तथा मझोली औद्योगिक इकाइयों को सीधे ही वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जबकि छोटी व मझोली इकाइयों को बैंकों तथा राज्य-स्तरीय वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

1990 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) की स्थापना के बाद इस बैंक के लघु तथा लघुतर इकाइयों को ऋण प्रदान करने सम्बन्धी सभी दायित्व अब लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) को सौंप दिए गए है। सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थिति में सुधार के लिए 1 अक्टूबर, 2004 को इसका निगमीकरण (Corporatisation) कर इसे एक वाणिज्यिक बैंकिंग कम्पनी के रूप में परिवर्तित कर दिया था।

11 अक्टूबर, 2004 को RBI द्वारा एक अधिसूचना जारी करके IDBI को RBI अधिनियम 1934 के तहत् एक अनुसूचित बैंक बना दिया। IDBI में भारत सरकार की अंशधारित 53% है।

भारत में प्रतिभूति मुद्रण एवं सिक्कों का उत्पादन (Printing of Securities and Minting in India)

भारत में प्रतिभृति मुद्रण एवं सिक्कों का उत्पादन निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है-

छापेखाने (Printing Press)

इण्डिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक (महाराष्ट्र)- नासिक रोड स्थित भारत प्रतिभृति मुद्रणालय (India Security Press) में डाक सम्बन्धी लेखन सामग्री डाक एवं डाकभिन्न टिकटों, अदालती एवं गैर-अदालती स्टाम्पों, बैंकों (RBI तथा SBI) के चेकों, बॉण्डों, राष्ट्रीय बचत पत्रों, किसान विकास पत्रों आदि के अलावा राज्य सरकारों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, वित्तीय निगमों आदि के प्रतिभृति पत्रों की छपाई की जाती है

सिक्योरिटी प्रिन्टिंग प्रेस, हैदराबाद- सिक्योंरिटी प्रिन्टिंग प्रेस, हैदराबाद की स्थापना दक्षिण राज्यों की डाक लेखन सामग्री की माँगों को पूरा करने व पूरे देश की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टाम्प की माँग को पुरा करने के लिए 1982 में की गई

सिडबी द्वारा अपनी एकल खिड़की सेवा (Single Window Service) के थी, ताकि भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक रोड के उत्पादन की अनुपूर्ति की जा

करेन्सी प्रेस नोट, नासिक (महाराष्ट्र)- नासिक रोड स्थित करेन्सी नोट प्रेस 10, 50, 100, 500, तथा 1000 रूपये के बैंक नोट छापती है और उनकी पूर्ति करती है।

बैंक नोट प्रेस, देवास (मध्य प्रदेश)- देवास स्थित बैंक नोट प्रेस 20 रूपये, 100 रूपये और 500 रूपये के उच्च मूल्य वर्ग के नोट छापती है। बैंक नोट प्रेस का स्याही का कारखाना प्रतिभूति पत्रों की स्याही का निर्माण भी करता है।

शाहबनी (पं. बंगाल) तथा मैसूर (कर्नाटक) के भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड- दो नए एवं अत्याधुनिक करेन्सी नोट प्रेस मैसूर (कर्नाटक) तथा साल्बोनी (पं. बंगाल) में स्थापित किए गए हैं। यहाँ RBI के नियन्त्रण में करेन्सी नोट छापे जाते हैं। इन नए मुद्राणालयों में 1988-99 तक 10,000 मिलियन करेन्सी नोटों का अतिरिक्त वार्षिक मुद्रण का अनुमान था देवास तथा नासिक रोड स्थित करेन्सी नोट प्रेसों में प्रतिवर्ष 6,000 मिलियन करेन्सी नोटों का मुद्रण होता

सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद (मध्य प्रदेश)- बैंक और करेन्सी नोट कागज तथा नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाले कागज का उत्पादन करने के लिए सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद में 1967-68 में चालू की गई थी।

टकसाल (Mints)

सिक्कों का उत्पादन करने तथा सोने और चाँदी की परख करने एवं तमगों का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार की पाँच टकसालें मुम्बई, कोलकाता, चेलिपल्ली, हैदराबाद तथा नोएडा में स्थित हैं। मुम्बई, हैदाराबाद और कोलकाता, की टकसालें काफी समय पहले क्रमशः 1830, 1903 और 1950 में स्थापित की गई, जबिक नोएडा की टकसाल 1989 में स्थापित की गई थी। मुम्बई तथा कोलकाता की टकसालों में सिक्कों के अलावा विभिन्न प्रकार के पदकों (मेडल) का भी उत्पादन किया जाता है।

भारत में बैंकिंग प्रणाली का उन्नतिकरण (Updation of Banking System in India)

भारत में सर्वाजनिक क्षेत्रों के बैंकों ने विगत वर्षों में नवीन बैंकिंग शुरू की है।

लीजिंग (Leasing)

लीजिंग कम्पनी वित्त का ऐसा प्रपत्र है जिसके द्वारा औद्योगिक इकाइयाँ एक लीजिंग कम्पनी से अनुबन्ध के अन्तर्गत किसी परिसम्पत्त (अर्थात् कोई प्लांट, उपकरण, यातायात सुविधाएँ, भवन या कोई अन्य सेवाएँ) को किसी निश्चित अविध के लिए किराए पर लेती हैं। लीजिंग कम्पनियाँ औद्योगिक इकाइयों को वित्त भी उपलब्ध कराती हैं। उपकरण अथवा संयन्त्र लीजिंग तथा वित्तीय लीजिंग का काम भारत में 1973 से निजी कम्पनियों के हाथ में है। अभी हाल ही में मर्चेण्ट बैंकिंग सहायक इकाइयों की स्थापना के बाद लीजिंग का काम सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्य बैंक भी करने लगे हैं।

बैंकों का कम्प्यूटरीकरण (Computerization of Banks)

बैंकों में कम्प्यूटर का उपयोग बढ़ रहा है। धीरे-धीरे बैंक अपनी शाखाओं का पूरी तरह से कम्प्यूटरीकरण करते जा रहे हैं। बैंकों के लगभग 300 कार्यालय रिजर्व बैंक तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के डाटा कम्यूनिकेशन नेटवर्क से मुम्बई कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई, बंगलुरू, हैदराबाद तथा नागपुर से जुड़े हैं। इसके साथ-साथ महानगरों में स्थित बैंकों की शाखाओं में मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्नीशन (एम.आई.सी.आर.) कूट अंक प्रणाली पर आधारित चैक बुक्स जारी करने को कहा गया। रिजर्व बैंक ने एम.आई.सी.आर. प्रणाली पर आधारित समाशोधन सुविधाएँ मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, नई दिल्ली तथा नागपुर में उपलब्ध करवाई।

चल तथा संध्या बैंक (Walk and Evening Bank)

जनता में बैंकिंग आदतों का विकास करने के लिए कुछ बैंकों में चल बैंक (Mobile Bank) खोले हैं। ये बैंक मोटरगाड़ियों में होते हैं। ये बैंक निश्चित समय पर पहुँचते हैं। लोगों को इन बैंकों के साथ व्यवहार करना सरल हो गया है। इसी प्रकार संध्या बैंकों (Evening Bank) की स्थापना की गयी है। ये बैंक शाम को कार्य करते हैं जिससे नौकरी-पेशा लोग अपनी नौकरी के बाद इन बैंकों का लाभ उठा सकते हैं।

फैक्टरिंग सेवाएँ (Factoring Services)

लघु उद्योगों की ऋण वसूली की समस्या के समाधान के लिए लघु उद्योग विकास बैंक की सहायता से वाणिज्य बैंकों ने फैक्टरिंग सेवाएँ लागू की हैं। फैक्टरिंग के अन्तर्गत एक फैक्टरिंग संस्था अपने ग्राहक के द्वारा दी गयी साख का भुगतान स्वयं करके उसकी वसूली का कार्य करती है। इसके बदले में यह ग्राहक से कमीशन लेती है। फैक्टरिंग संस्था ऋण-वसूली से प्राप्त रकम को ग्राहक को वसूली की वास्तविक तिथि से पहले या वसूली के अन्त में दे देती है। इसके फलस्वरूप लघु उद्योगों को पूँजी का अभाव नहीं रहता। स्टेट बैंक ने फैक्टरिंग के लिए एस.बी.आई. फैक्टर्स एण्ड कॉमर्शियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (S.B.I. Factors and Commercial Services Pvt.Ltd) शुरू की है।

मर्चेण्ट बैंकिंग (Marchant Banking)

मर्चेण्ट बैंकिंग में कई सेवाएँ, जैसे शेयरों, डिबेंचरों आदि के जारी करने का प्रबन्धन, ऋण जुटाने का काम, वित्तीय एवं प्रबन्ध सम्बन्धी परामर्श, विलय तथा अधिग्रहण, अप्रवासी निवेशों का प्रबन्ध आदि आती हैं। भारत में मर्चेण्ट बैंकिंग की शुरूआत ग्रेंडले बैंक, सिटी बैंक जैसे विदेशी बैंकों ने की थी। आज भारत में कई वाणिज्यिक बैंक अपनी सहायक इकाइयों द्वारा ये सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं।

इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग (Electronic Banking)

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा बैंकिंग सेवाओं को उपलब्ध कराना इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहलाता है।

इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इस समय बैकिंग विकास का स्तम्भ माना जा रहा है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि बैंकिंग की भविष्य सूचना प्रौद्योगिकी पर निर्भर करेगा।

इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के प्रमुख संघटक (Main Componets Of Electronic Banking)

इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अन्तर्गत निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है-

- (i) पी.सी. बैकिंग या होम बैंकिंग (P.C. Banking or Home Banking): इसके अन्तर्गत ग्राहक घर बैठे ही अपेक्षित राशि निकालने या जमा करने के लिए बैंक को ही कम्प्यूटर पर आदेश दे सकते हैं।
- (ii) टेली बैकिंग (Tele Banking): इसमें ग्राहक का परिसर पी.एस.टी.एन. (Public Switched Telephone Network) लाइनों, नियमित टेलीफोन लाइनों और मॉडमों के जरिये शाखा से जुड़ा होता है। स्वयं अपने कार्यालय या डेस्क से ही सूचनाओं को प्राप्त करने की सामर्थ्य के कारण ग्राहक को भी सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं।
- (iii) टेलीफोन द्वारा भुगतान (Payment by Telephone): यह प्रणाली आपको अपनी वित्तीय संस्थाओं को टेलीफोन के जरिये आपके बिल के भुगतान व विभिन्न खातों में निधियों के अंतरण का अनुदेश देने की सुविधा देती है।
- (iv) स्व-चालित टेलर मशीन (Automatic Taller Machine): यह एक इलेक्ट्रॉनिक टेलर टर्मिनल है जो 24 घण्टे रूपया जमा करने या निकालने आदि की सेवा उपलब्ध करता है।
- (v) डायरेक्ट क्रेडिट (Direct Credit): इसमें ग्राहक सीधे पहले से धनराशि निकालने के लिए बैंक को प्राधिकृत कर सकते हैं तािक आपने आवर्ती बिल, जैसे- बीमा किश्त आदि का स्वतः भुगतान होता रहे।
- (vi) इलेक्ट्रॉनिक निधि अन्तरण प्रणाली (Electronic Money Trasfer System): इसके अन्तर्गत इस प्रकार की भुगतान प्रणालियों में लिखित चेक के बिना भी एक खाते से दूसरे खाते में धन अन्तरित किया जा सकता है।
- फलस्वरूप लघु उद्योगों को पूँजी का अभाव नहीं रहता। स्टेट बैंक ने फैक्टरिंग के लिए एस.बी.आई. फैक्टर्स एण्ड कॉमर्शियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (S.B.I. अप अपने विशेष जमा, जैसे- वेतन चेक, कमीशन, चेक, पेन्शन चैक आदि नियमित रूप से जमा कर सकते हैं।

सामान्य सचेतता

- (viii) इण्टरनेट बैंकिंग (Internet Banking): इण्टरनेट बैंकिंग स्वयं एक लक्ष्य नहीं है परन्तु यह बैंकों के लिए ऑनलाइन लेन-देन सेवाएँ प्रदान करने तथा उनकी पूर्ति का एक साधन मात्र है। यह पारस्परिक बैंकिंग से आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग विपणन का क्रान्तिकारी परिवर्तन है। इण्टरनेट सुविधा होने से ऑनलाइन बैंकिंग अब भारत में भी होने लगी है।
- (ix) स्मार्ट कार्ड व क्रेडिट कार्ड (Smart Card and Credit Card): यह वास्तव में एक सूक्ष्म कम्प्यूटर होता है जो कार्ड के आकार का होता है। इसकी इसमें कार्डधारक के बैंक खाते से सम्बन्धित जानकारी रहती है। इसकी सहायता से कहीं भी लेन-देन किया जा सकता है अर्थात् यह एक इलेक्ट्रॉनिक पर्स है।
- (x) रीयल टाइम ग्रास सेटलमेण्ट (R.T.G.S.): इस प्रणाली में अनेक लेन-देन प्रारम्भ होते ही निपटान भी साथ-साथ होता जाता है बजाय इसके कि उसकी प्रोसेसिंग लेन-देन के समूह में हो।
- (xi) **इन.फाय.नेट (Indian Financial Network):** भारतीय वित्तीय नेटवर्क जो कि वृहद् सेटेलाइट आधारित नेटवर्क है, वी सेट प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के लाभ (Benefits of Electronic Banking)

ई-बैंकिंग प्रणाली से समाज के सभी वर्गों को लाभ प्राप्त होता है।

- (i) समाज को लाभ (Advantages to Society): ई-बैंकिंग प्रणाली से राष्ट्रीय परिभाषा अन्तर्राष्ट्रीय परिभाषा में बदल जाएगी, निर्यात में वृद्धि होगी। व्यापार, उद्योग एवं बैंकिंग में लाभ होने से समाज में भी रहन-सहन का स्तर ऊँचा होगा। सरकार की कल्याणकारी समाज की स्थापना का प्रयास साकार होगा।
- (ii) व्यापार एवं उद्योग को लाभ (Advantages to Trade and Industries): ई-बैंकिंग प्रणाली से व्यापार व उद्योग से अत्यधिक वृद्धि होगी क्योंकि ग्राहकों की क्रय शक्ति क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड आदि के प्रयोग से बँध जाएगी और व्यापार का स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय हो जाएगा।
- (iii) बैंकों को लाभ (Advantages to Banks) बैंक अब सीमित ग्राहक, सीमित सेवाओं की अवधारणाओं से निकलकर विस्तृत ग्राहक और विस्तृत सेवाओं के आधार पर कार्य करेंगे। फलतः बैंकों का व्यापार क्षेत्रीय स्तर से निकलकर राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय हो जायेगा। इससे उनकी लाभप्रदत्ता में वृद्धि होगी।
- (iv) ग्राहकों को लाभ (Advantages to Customers): ई-बैंकिंग प्रणाली से ग्राहक सभी प्रकार के बैंकिंग लेन-देन बिना कहीं गये कर सकता है। इससे ग्राहकों को न केवल कम लागत पर चौबीसों घण्टे बैंकिंग सुविधाएँ प्राप्त होती हैं बल्कि यह सेवाएँ अत्यन्त सुरक्षित भी होती हैं।
 - उपर्युक्त लाभों के होते हुए भी ई-बैंकिंग प्रणाली का बड़ी सतर्कता के साथ उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि एक ओर तो इसमें ग्राहकों के लिए पारदर्शिता में कमी आयेगी। इसमें अधिक पूँजी नियोजन प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी और दूसरी ओर विद्यमान बैंकिंग कर्मचारियों द्वारा छँटनी के भय से इसका विरोध किया जाएगा।

महत्वपूर्ण तथ्य (Important Facts)

देश में पहला मोबाइल बैंक मध्य प्रदेश में खरगोन जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है। लक्ष्मी वाहिनी बैंक नाम के इस चलते फिरते बैंक की स्थापना एक करोड़ रूपए की लागत से एक मोबाइल वैन में की गई है।

- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा देश का पहला तैरता एटीएम कोच्चि में 9 फरवरी, 2004 को लांच किया गया था। यह एटीएम केरला शिपिंग एंड इनलैंड नोविगेशन कॉपोरेशन के झंकार नाम की स्टीमर में लगाया गया है। यह स्टीमर एर्नाकुलम जोड़ता है। और व्यपीन के बीच चलती है।
- गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी से बैंकिंग बैंक के रूप में रूपान्तरित होने वाला पहला बैंक कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड है। पूर्व में यह कोटक महिन्द्रा फाइनेंस कम्पनी के रूप में कार्यरत था।
- निजी क्षेत्र के नए बैंकों में सर्वप्रथम यू.टी.आई. बैंक ने 2 अप्रैल, 1994 से कार्य करना प्रारम्भ किया था। इस बैंक का मुख्यालय अहमदाबाद है।

वित्तीय संस्थाओं के लिए पूँजी पर्याप्तता मानक

(Capital Adequacy Standard For Financial Institutions)

वाणिज्यिक बेंक, वित्तीय संस्थान एवं गैर-बेंकिंग वित्तीय कम्पनियाँ अपनी निधियों एवं प्राप्त निक्षेपों के आधार पर विभिन्न प्रकार के ऋण देती हैं या आस्तियों का मुजन करती हैं। इन ऋणों का पुनर्भ्गतान न हो पाने या विलम्ब से हो पाने एवं ब्याज की प्राप्ति न हो पाने की जोखिम भी प्रायः बनी रहती है। पिछले वर्षों में भारत में बैंकों ने जिस प्रकार से पूँजी बाजार में ऋण वितरित किए और मन्दी की स्थिति में उन ऋणों की वसूली न हो पाने के कारण अधिकांश बैंकों की लाभप्रदता में कमी आई। इसी प्रकार दक्षिण कोरिया में वर्ष 1997-98 में आए आर्थिक संकट का एक प्रमुख कारण भी यही था कि वहाँ के बैंकों ने जनता से अल्पकालीन ऋण प्राप्त करके उससे सृजित निधियों के आधार पर घरेलू नागरिकों एवं कम्पनियों को दीर्घकालीन ऋण वितरित किए। इसके फलस्वरूप ये बैंक अपनी देनदारियों को समय से पुरा नहीं कर पाए और अर्थव्यवस्था में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। 2008 में भी अमरीका सहित विश्व के अनेक देशों में यह संकट उत्पन्न हो गया। इस प्रकार के आर्थिक संकट को पैदा होने से रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर बैंक ऑफ इण्टरनेशनल सैटलमेन्ट द्वारा गठित वास्ले समिति ने सन् 1988 में सर्वप्रथम पूँजी पर्याप्तता मानक की अवधारणा को प्रस्तुत किया।

पूँजी पर्याप्तता से तात्पर्य ऐसी पूँजी से है जिसे उस कम्पनी द्वारा किसी व्यावसायिक आस्ति के सृजन के एक निश्चित स्तर तक अपने पास रखना चाहिए। पूँजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) व्यवसाय के उस स्तर को निर्धारित करता है जिसे कोई वाणिज्यिक बैंक या वित्तीय संस्थान या गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी कर सकती है। उदाहरण के लिए यदि पूँजी संस्थान या गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी कर सकती है। उदाहरण के लिए यदि पूँजी पर्याप्तता अनुपात 8% निर्धारित किया जाता है, तो इसका अर्थ यह है कि वित्तीय संस्थान को प्रत्येक एक सौ रूपए की व्यवसायिक आस्ति के लिए 8 रूपए की पूँजी अनिवार्य रूप से अपने पास रखनी चाहिए।

भारत में वास्ले समिति की सिफारिशों के अनुरूप समस्त बैंको ने पूँजी पर्याप्तता मानक वर्ष 1992-93 से लागू करना प्रारम्भ कर दिया था। नरसिंहम समिति (II) की सिफारिशों के अनुसरण में CAR को चरणबद्ध रूप से वर्तमान 8% से बढ़ाकर 10% करने का निर्णय लिया गया। तद्नुसार RBI ने 31 मार्च, 2000 से CAR को बढ़ाकर 9% करने का निर्णय किया। ज्ञातव्य है कि विदेशी बैंकों और वैसे भारतीय बैंकों, जिनका परिचालन देश के बाहर भी है, को बेसल-2 मानकों को 31 मार्च, 2008 से लागू करना था, जबिक अन्य वाणिज्यिक बैंकों, स्थानीय बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर, के लिए यह नियम 31 मार्च, 2009 से लागू किया जाना था।

सामान्य सचेतत

माइक्रोफाइनेन्स (Microfinance)

लघुवित्त अथवा माइक्रोफाइनेन्स उन लोगों को ऋण मुहैया कराती है जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऋण नहीं देते क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी या बन्धक के लिए कुछ भी नहीं होता।

ठेले पर सब्जी बेचने, पापड़-बड़िया बनाने या सड़क किनारे पन्चर जोड़ने जैसे छोटे-छोटे कारोबार करने वाले के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह होती है कि उनके पास बन्धक रखने को कुछ नहीं होता और बैंक इसके बगैर उन्हें कर्ज देने को तैयार नहीं होते। सामान्य स्थितियों में तो उनका धन्धा चलता रहता है लेकिन किसी हारी-बीमारी में, किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हो जाने पर, घर बनाने या शादी-ब्याह जैसे बड़े खर्चे का बोझ उठाने के लिए वे साहूकार से बहुत ऊँची दर पर कर्ज लेते हैं और अक्सर ब्याज चुकाने में ही उम्र गंवा देते हैं। माइक्रोफाइनेन्स ऐसे ही लोगों को कर्ज देने का उपहार है।

जहाँ तक वंचित और गरीब लोगों का सवाल है, माइक्रोफाइनेन्स कम्पनियों की तरफ से इन गरीबों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा भी काफी कम रहती है और ज्यादातर उत्पादन काम में नहीं बिल्क उपभोग की मद में इस्तेमाल होता है। इसमें सूद की दर 20 से 40 फीसदी तक रहती है तथा कर्जे की वसूली 98% तक दिखाई जाती है। यह एक ऐसा वर्ग (तबका) है जो हमेशा ही सरकारी बैंकों और निजी कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा संचालित कर्जे की योजनाओं से बाहर रहा है।

दामोदरन समिति के सुझाव (Suggestion of Damodarn Committee)

'सेबी' (SEBI) के पूर्व अध्यक्ष एम. दामोदरन की अध्यक्षता वाली सिमिति ने बैंकिंग सेवाओं में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें अपनी रिपोर्ट में की हैं। यह रिपोर्ट भारतीय बैंक (RBI) की वेबसाइट पर अगस्त 2011 में जारी की गई थी तथा रिपोर्ट पर आम जनता की टिप्पणियाँ 27 अगस्त, 2011 तक रिजर्व बैंक द्वारा आमंत्रित की गई थी। इस सिमिति के प्रमुख सुझाव हैं-

- बचत खातों (Saving Accounts) में चेक बुक व एटीएम कार्ड जैसी सुविधाओं के लिए खातों में 'न्यूनतम बैलेंस' का कोई बंधन नहीं हो।
- पासबुक भरने जैसी आवश्यक सेवाएँ खाताधारकों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएँ।
- न्यूनतम बैलेंस से कम बेलेंस होने की स्थित में बैंकीं द्वारा वसूला जाने वाला दंडात्मक शुल्क उतने ही अनुपात में ही हो, जिनती राशि से खाते में बैलेंस कम हुआ हो।
- सावधि जमाओं (Fixed Deposits) को खातेदार की लिखित अनुमित के बिना स्वतः ही 'रिन्यू' न किया जाए।
- बचत खातों में जमा राशि के लिए उपलब्ध बीमा सुरक्षा एक लाख रूपए की बजाय 5 लाख रूपए तक की जमाओं पर उपलब्ध कराई जाए।
- होम लोन अकाउंट समय पूर्व बंद कराने की स्थिति में कोई दंडात्मक शुल्क बैंक द्वारा वसूल नहीं किया जाए।
- होम लोन के नए प्राहकों को रियायती ब्याज दर पर यह लोन उपलब्ध कराए जाने पर ऐसी रियासत पुराने ग्राहकों को भी उपलब्ध कराई जाए।
- होम लोन चुकता होने के पश्चात् संबंधित संपत्ति के कागजात उसके स्वामी को 15 दिन के भीतर बैंक द्वारा लौटाए जाएँ।
- बैंक ग्राहकों की बैंकिंग संबंधी शिकायतों व अन्य सुनवाइयों के लिए सभी बैंकों का एक ही कॉमन निःशुल्क कॉल सेंटर नंबर (फोन नंबर) हो।

- (i) पहली बार 18 माह तक किश्त एवं ब्याज का भुगतान न करने पर सन्देहास्पद की संज्ञा प्रदान करना।
- (ii) अगली बार 12 माह तक किश्त एवं ब्याज का भुगतान न किए जाने पर घटिया परिसम्पत्ति की संज्ञा प्रदान करना।
- (iii) पहचान कर ली गई, परन्तु बट्टे खाते में न डाली गई परिसम्पत्ति को क्षतिवान परिसम्पत्ति की संज्ञा प्रदान करना।
- सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा कवर किए गए असुविधाजनक हो चुके ऋणों को गैर-निष्पादनीय आस्ति माना जाए।
- दो लाख रूपए से कम के ऋणों पर ब्याज निर्धारण का अधिकार बैंकों को दिया जाए।
- प्राथमिकता क्षेत्र के लिए ऋणों में ब्याज सम्बन्धी आर्थिक सहायता अवयव को पूर्णतया समाप्त किया जाए।

भारत की प्रमुख वित्तीय संस्थाओं के स्थापना वर्ष

(Establishment Year of India's Chief Financial Institutions)

संस्थान	स्थापना वर्ष
इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया	1921
भारतीय रिजर्व बैंक	1 अप्रैल, 1935
रिजर्ब बैंक का राष्ट्रीयकरण	1 जनवरी, 1949
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (IFCI)	1948
भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम (ICICI)	जनवरी, 1955
भारतीय स्टेट बैंक	1 जुलाई, 1955
भारतीय यूनिट ट्रस्ट (UTI)	1 फरवरी 1964
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI)	जुलाई 1964
कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक (NABARD)	12 जुलाई, 1982
भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (IRBI)	20 मार्च, 1985
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)	1990
भारतीय निर्यात-आयात बैंक (EXIM Bank)	1 जनवरी, 1982
राष्ट्रीय आवास बैंक	जुलाई 1988
भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC)	सितम्बर 1956
भारतीय साधारण बीमा निगम (GIC)	नवम्बर 1972
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रारम्भ	2 अक्टूबर, 1975
जोखिम पूँजी एवं टेक्नोलाँजी निगम (Risk Capital and Technology Finance Corporation Ltd. RCTC)	मार्च 1975
भारतीय तकनीकी विकास एवं सूचना कं. (Technology Development and Information Co. of India Ltd. TDICI)	1989
अधः संरचना पट्टेदारी एवं वित्त सेवा लि. (Infrastucture Leasing and Financial Services Ltd.)	1988
गृह विकास वित्त निगम लि. (Housing Development Finance Corporation Ltd. HDFC)	1977

विकास बैंक, व्यापारिक बैंक व विनियोग बैंक में अन्तर (Difference in Development Bank, Business Bank and Appropriation Bank)

क्रं.सं.	अन्तर का आधार	विकास बैंक	व्यापारिक व विनियोग बैंक
1.	उद्भव	इन बैंकों का उद्भव अन्तराल पूरकों (Gap Fillers) के रूप में हुआ है। जब औद्योगिक संस्थाओं को विशिष्ट या सामान्य स्रोत से वित्त की पूर्ति नहीं होती है तो विकास बैंकों की स्थापना करके इस कमी को पूरा किया जाता है।	इन बैंकों का प्रादुर्भाव प्रमुख रूप से बिखरी हुई बचतों को संग्रह करके लाभप्रद विनियोजन के लिए किया गया है।
2.	ऋण की प्रकृति	औद्योगिक उपक्रमिकयों को मध्यम व दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराते हैं।	व्यवसायियों को अल्पकालीन ऋण ही उपलब्ध कराते हैं।
3.	वित्त प्रबन्धन की विधि	ये बैंक कम्पनियों से अंश खरीदकर उनके ऋण-पत्रों का रूप कर अथवा अंशों से ऋण-पत्रों के अभिगोपन द्वारा वित्तीय व्यवस्था करते हैं।	व्यापारिक बैंक ऋण देने वाले को ऋण की पूरी राशि नकद में नहीं देते बल्कि ग्राहक के खाते में जमा कर देते हैं और उन्हें आवश्यकतानुसार बैंक से रूपया निकालने का अधिकार दे देते हैं।
4.	ऋण के उद्देश्य	ये बैंक वास्तव में स्थिर सम्पत्तियों (Fixed Assets) में वास्तविक विनियोग के लिए वित्त उपलब्ध कराते हैं।	ये बैंक चालू पूँजी की पूर्ति के लिए धन उपलब्ध कराते हैं और इनका मुख्य उद्देश्य बैंक की तरलता बनाये रखना होताहै।
5.	वित्त के स्रोत	चूँिक ये बैंक सरकार द्वारा प्रायोजित होते हैं इसलिए उन्हें अधिकांश वित्त सरकार, केन्द्रीय बैंक और सार्वजनिक संस्थाओं से मिलता है। इनका बचतों के एकत्रीकरण से कोई सम्बन्ध नहीं होता।	इनका प्रमुख वित्त का स्त्रोत बचतें ही हैं जिन्हें ये एकत्र करके उत्पादक कार्यों में लगाते हैं।
6.	कौशल निर्माण	ये बैंक कौशल निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।	ये यह कार्य नहीं करते हैं।
7.	सामाजिक लाभ	इन बैंकों का दृष्टिकोण विकासोन्मुख होता है। अतः इनकी स्थापना लाभ कमाने के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र औद्योगिक लक्ष्यों और योजना की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्य करना होता है।	इनका दृष्टिकोण सेवा द्वारा लाभ कमाना होता है।
8.	विदेशी मुद्रा का अर्जन	ये बैंक बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का अर्जन करते हैं और औद्योगिक संस्थाओं द्वारा विदेशी कम्पनियों से प्राप्त क्रिये गए ऋणों की गारण्टी देते हैं।	इन बैंकों की विदेशी मुद्रा का अर्जन और विदेशी ऋणों की गारण्टी की भूमिका नगण्य है।
9.	उपक्रमियों का विकास	ये बैंक देश में उद्यमशीलता के विकास में सिक्रय भूमिका का निर्माण कर रहे हैं।	ये यह कार्य नहीं करते हैं।
10.	तकनीकी सहायता	ये उद्योग के विकास एवं विस्तार के लिए उनके प्रवर्तन व प्रबन्ध में सहयोग देते हैं। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर तकनीकी एवं वित्तीय परामर्श भी देते हैं।	यद्यपि ये बैंक भी औद्योगिक परियोजनाओं के प्रवर्तन के लिए कार्य करते हैं परन्तु इनका क्षेत्र व दृष्टिकोण संकुचित है।
11.	समन्वयात्मक कार्य	विकास बैंक एक सर्वोच्च संस्था के रूप में औद्योगिक वित्त से सम्बन्धित विभिन्न विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं में समन्वय स्थापित करता है, ताकि सभी संस्थाएँ मिलकर समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य कर सकें।	इनकी इस प्रकार की कोई भूमिका नहीं है।
12.	नव-प्रवर्तन कार्य	विकास बैंक नव-प्रवर्तन के रूप में विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे-नई- नई आकर्षक और उत्पादक बचत और विनियोग योजनाओं का निर्माण, आर्थिक विकास की नवीन संस्थाओं का सृजन आदि।	इन बैंकों में प्रायः नव-प्रवर्तन कार्यों का अभाव है।
13.	पूँजी बाजार का निर्माण	ये बैंक पूँजी बाजार को प्रोत्साहन देने और उनमें स्वस्थ परम्पराओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।	ये इस तरह के कार्य नहीं करते।

बैंकिंग लोकपाल योजना (Banking Ombudsman Scheme)

बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों का निदान करने के लिए रिजर्व बैंक ने 14 जून, 1995 से देशभर में बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम लागू कर दी है इसके तहत अलग-अलग क्षेत्रों के लिए 15 ग्राहक प्रहरी (Ombudsman) नियुक्त किए जा चुके हैं। इनकी नियुक्ति दिल्ली, भोपाल, बंगलौर, चण्डीगढ़, हैदराबाद, मुम्बई, पटना, जयपुर, कानपुर, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद तथा त्रिवेन्द्रम में की गई है।

रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार सभी अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक तथा वाणिज्यिक बैंक ग्राहक प्रहरियों के दायरे में आते हैं, किन्तु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसके दायरे से बाहर रखे गए हैं।

कोई भी ग्राहक जिसकी सेवा सम्बन्धी शिकायतों का निपटारा सन्तोषजनक तरीके से सम्बन्धित बैंक शाखा तथा उसके शीर्ष प्रबन्धन द्वारा 2 माह के भीतर नहीं किया जाता, बैंकिंग लोकपाल, के पास तक वर्ष के भीतर शिकायत कर सकता है। ये शिकायतें निम्नलिखित क्षेत्रों में की जा सकती हैं-,

- (i). चेकों, ड्रॉफ्टों, बिलों आदि के भुगतान में अनावश्यक रूप से विलम्ब, करना,
- (ii). छोटे नोटों को बिना किसी उचित कारण बताए स्वीकार न करना,
- (iii). बैंक ड्रॉफ्ट निर्गत न करना
- (iv). बैंक द्वारा परिचालित किसी भी खाते के परिचालन से सम्बन्धी शिकायतें, विशेष रूप से ब्याज दरों से सम्बन्धित
- (v). भारत में कार्यरत् किसी भी बैंक से सम्बन्धित निर्यातकों तथा निवासी भारतीयों की शिकायतें

उपर्युक्त शिकायतों के सम्बन्ध में लोकपाल, पहले प्रयास में शिकायतकर्ता तथा सम्बन्धित बैंक के मध्य समझौता कराने का प्रयास करता है, किन्तु इससे समाधान प्राप्त न होने पर वह शिकायतकर्ता को हुई हानि की राशि का (जो अधिकतम 10 लाख रूपये तक हो सकती है) 'एवार्ड' घोषित कर सकता है। बैंक द्वारा एवार्ड का भुगतान न करने पर लोकपाल उसकी शिकायत भारतीय रिजर्व बैंक को कर सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना का दायरा बढ़ाकर इसमें सभी बैंकिंग व्यवहार अब शामिल किए हैं। क्रेडिट कार्ड से सम्बन्धित शिकायतों, वायदा की गई सुविधाएँ देने में विलम्ब, बैंकों के ब्रिकी ऐजेन्टों द्वारा किए गए वायदे पूरे नहीं करने तथा ग्राहकों पर पूर्व सूचना के बिना सेवा प्रभार लगाने आदि को भी अब इस योजना के दायरे में शामिल किया गया है। बैंक सेवाओं में विलम्ब, बैंकों द्वारा छोटे मूल्य वर्ग के नोट और सिक्के स्वीकार नहीं करने अथवा इन पर कमीशन माँगने की शिकायतें भी बैंकिंग लोकपाल से की जा सकती हैं।

गैर-निष्पादनीय परिसम्पत्तियाँ (Non Performing Assets)

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से भारत के सर्वांगीण विकास में वाणिज्यिक बैंकों ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है, लेकिन इसी के साथ-साथ विगत वर्षों में बैंकों की लाभप्रदता गिरी है। नीची लाभप्रदता का एक प्रमुख कारण बैंकों की गैर-निष्पादनीय परिसम्पत्तियाँ (Non-Performing Assets) में भारी वृद्धि हो जाना है।

गैर-निष्पादनीय परिसम्पत्तियाँ बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा वितरित वे ऋण हें, जिनके मूलधन एवं उस पर देय ब्याज की वापसी समय से नहीं पाती या बिलकुल नहीं हो पाती।

बैंकों द्वारा वितरित ऐसे सभी ऋण और उस पर देय ब्याज गैर-निष्पादनीय परिसम्पत्ति के रूप में पहचाने जाते हैं जिनमें किसी वित्तीय वर्ष में मूलधन का भुगतान 180 दिन तथा ब्याज का भुगतान 365 दिन से अधिक दिनों तक रोक लिया जाता है। गैर-निष्पादनीय परिसम्पत्तियों को पुनः निम्नलिखित तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है-

- 1. घटिया परिसम्पत्तियाँ (Bad Assets): बैंकों द्वारा वितरित ऋणों के मूलधन तथा उस पर देय ब्याज का पुनर्भुगतान जब दो वर्ष तक नहीं किया जाता, तो ऐसी परिसम्पत्तियों को घटिया या सब -स्टैण्डर्ड परिसम्पत्तियों की संज्ञा दी जाती है। बैंकों द्वारा ऐसे ऋणों के पुनर्भुगतान का नया शिड्यूल बनाया जाता है। ऐसे ऋणों को कम-से-कम एक वर्ष तक घटिया परिसम्पत्तियों के रूप में पहचाना जाना चाहिए।
- . सन्देहात्मक परिसम्पत्तियाँ (Suspicious assets): ऐसे ऋण जो उपर्युक्तानुसार दो वर्षों तक गैरे निष्पादनीय रहे हैं, परन्तु जिनके वसूल होने की सम्भावना है। अर्थात् जिन्हें क्षिति परिसम्पत्तियाँ नहीं मान लिया गया है, सन्देहात्मक परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। इस वर्ग में अधिकांशतः ऐसी बीमार कम्पनियों द्वारा लिए गए ऋण आते हैं जिन्हें औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (BIFR) को सन्दर्भित कर दिया गया है और बोर्ड द्वारा उक्त कम्पनियों के पुनर्निर्माण का पैकेज अपेक्षित है।
- 3. क्षिति परिसम्पत्तियाँ (Damage Assets): ऐसी परिसम्पत्ति जिसकी पहचान क्षिति के रूप में कर ली गई है, परन्तु उसे अपलिखित नहीं किया गया है, क्षिति परिसम्पत्ति कहलाती है। ये वे ऋण होते हैं, जो वसूल किए जाने की स्थिति में नहीं होते, तथापि इनका कुछ-नकुछ निस्तारण (Salvage) मूल्य अवश्य हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के अनुरूप गैर- निष्पादनीय परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधानीकरण मानक निर्धारित किए हैं। इसका अर्थ है कि बैंकों को ऋणों की वसूली न हो पाने से होने वाली हानि के विरूद्ध सुरक्षा के रूप में अपनी निधियों का एक भाग अलग से रखना पड़ता है। उदाहरण के लिए, घटिया या सब-स्टैण्डर्ड परिसम्पत्ति के कुल अर्घ्य का 10 प्रतिशत, सन्देहात्मक परिसम्पत्तियों के अर्घ्य का 20 प्रतिशत तथा हानि परिसम्पत्तियों के अर्घ्य का 100 प्रतिशत प्रावधान राशि के रूप में रखना पड़ता है।

मानक परिसम्पत्तियाँ (Standard Assets)

बैंकों द्वारा वितरित ऐसे सभी ऋण निष्पादनीय परिसम्पत्तियों माने जाते हैं, जिनका मूलधन एवं उस पर देय ब्याज समय से बैंक को प्राप्त होता रहता है। इसिलए इन्हें मानक परिसम्पत्तियों की संज्ञा दी जाती है। इसमें ऐसे ऋणों को भी शामिल किया जाता है जिनमें बकाया मूलधन तथा उस पर देय ब्याज का भुगतान क्रमशः 180 दिन तथा 365 दिन से अधिक समय तक किसी वित्तीय वर्ष में नहीं रोका जाता। इस प्रकार की परिसम्पत्तियों के लिए बैंकों को किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं करना पड़ता।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियाँ (Non Banking Financial Companies)

NBFC प्रायः उन क्षेत्रों के लिए ऋण की व्यवस्था करती है जहाँ ऋण अन्तराल विद्यमान है। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और मोटरकारों के लिए वित्त पोषण करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। NBFC के कारोबार में तीव्र वृद्धि ने निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रभावी नियामक कार्यवाही की आवश्यकता उत्पन्न कर दी है। इसके लिए RBI ने NBFC की गतिविधियों की नियमित करना प्रारम्भ कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 3 जनवरी, 2001 को जारी निजी क्षेत्र में नए बैंक के प्रवेश सम्बन्धी दिशा-निर्देशों में अच्छे विगत रिकॉर्ड वाली NBFC को निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर निजी क्षेत्र के बैंक बनने की अनुमित दे दी गई है-

- NBFC की अद्यतन तुलन-पत्र के अनुसार कम-से-कम 200 करोड़ रूपए की निवल सम्पत्ति होनी चाहिए, जिसे रूपान्तरण की तारीख से तीन वर्षों के भीतर 300 करोड़ रूपए तक बढ़ाया जाना होगा।
- NBFC को किसी बड़े औद्योगिक घराने द्वारा प्रमोट किया हुआ नहीं होना चाहिए अथवा स्थानीय, राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार सिंहत, सरकारी प्राधिकरणों के स्वामित्वाधीन/ नियन्त्रणाधीन नहीं होना चाहिए।
- NBFC को पूर्व वर्ष AAA रेटिंग (अथवा इसके समकक्ष) से कमतर क्रेडिट रेटिंग प्राप्त नहीं होनी चाहिए।
- NBFC का भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमों/निर्देशों के अनुपालन और सार्वजिनक जमाओं की वापसी अदायगी में विगत रिकॉर्ड त्रुटिहीन होना चाहिए।
- NBFC के पास कम-से-कम 12% की पूँजी पर्याप्तता होनी चाहिए और इनकी निवल NPA 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- NBFCs के पास कम-से-कम 25 लाख रूपए का शुद्ध निजी कोष (Net Owned Fund) होना रिजर्व बैंक ने अनिवार्य किया है। इस मानक को पूरा न करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को कारोबार करने से प्रतिबन्धित करने की घोषणा रिजर्व बैंक ने फरवरी 2003 में की थी।
- NBFCs द्वारा सार्वजनिक जमाओं (Deposits) पर अब अधिकतम 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ही ब्याज दिया जा सकेगा। अभी तक इसके लिए 12.5 प्रतिशत की उच्चतम सीमा निर्धारित थी। ब्याज की नई उच्चतम सीमा 4 मार्च, 2003 से प्रभावी की गई थी। ब्याज दर की नई उच्चतम सीमा की घोषणा करते हुए रिजर्व बैंक ने कहा था कि कम्पनियाँ (गैर-बैंकिंग वितीय कम्पनियाँ) इससे कम ब्याज देने का स्वतन्त्र हैं।

बैकिंग (संशोधन) अधिनियम, 2011

(Banking Reforms Act, 2011)

बैंकिंग क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक संशोधन विधेयक वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा में 22 मार्च, 2011 को प्रस्तुत किया। Banking Laws (Amendment) Bill 2011 नाम के इस विधेयक में बैंकों को शेयर पूँजी जुटाने के मामले में अधिक आजादी प्रदान करने तथा बैंकिंग क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन बैंकों के शेयरधारकों के लिए मताधिकार की अधिकतम सीमा को मौजूदा 1% से बढ़ाकर 10% करने का प्रावधान जहाँ इस संशोधन विधेयक में किया गया है, वहीं निजी क्षेत्र के बैंकों में शेयरधारकों के लिए मताधिकार की 10% सीमा को समाप्त करने का भी इसमें प्रावधान है। इस विधेयक के अधिनियमित होने से निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में शेयरधारकों का मताधिकार उनकी शेयर होल्डिंग के अनुरूप होगा।

इस विधेयक के जरिए Banking Regulation Act, 1949 तथा Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) 1970 व 1980 में संशोधन किया जाएगा।

वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion)

यह देश के नागरिकों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने की प्रक्रिया को संबोधित करती है। किसी भी देश के सर्वांगीण विकास के लिए उस देश की वित्तीय व्यवस्था का मजबूत होना अत्यधिक आवश्यक है। एवं वित्तीय व्यवस्था तभी मजबूत होगी जब देश का एक-एक नागरिक वित्तीय प्रणाली से जुड़े वित्तीय समावेशन के तीन प्रमुख उद्देश्य है-

- लोगों की संस्थागत प्रणाली से जोड़ना जिसके माध्यम से लोगों में जमा करने की प्रवृत्ति को जन्म दिया जा सके। साथ ही घरों में पड़े अधिशेष राशि को अर्थव्यवस्था में प्रवाहित किया जा सके।
- (ii) लोगों को संस्थागत ऋण की प्राप्ति कराना। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों की निर्भरता साहूकारों पर कम हो सके एवं किसानों को भी सामान्य ब्याज दर पर ऋण की प्राप्ति हो सके।
- (iii) लोगों को मुफ्त वित्तीय परामर्श आवश्यकता पड़ने पर प्रदान किया जा सके।
 - वित्तीय समावेशन के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आजादी के समय से ही आर.बी.आई. एवं भारत सरकार प्रयत्नशील रहे है। अब तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से निम्न कदम उठाये जा चुके हैं-
- (i) 1955 से लेकर 1980 तक लगातार बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया जारी रही। यह मुख्यतः बैंकिंग प्रणाली को सुरक्षित बनाने के लिए एवं बैंकों का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में भी करने के लिए किया गया।

- (ii) 1969 में अग्रणी बैंक (Lead Bank) की अवधारणा प्रस्तुत की गई जिसके अंतर्गत वह बैंक जिसकी किसी भी जिले में सर्वाधिक शाखाएँ होंगी। उसे वह जिला वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से गोद लेना होगा।
- (iii) 1975 में क्षेत्रीय प्रामीण बैंकों की स्थापना हुई जिनका मुख्य उद्देश्य प्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए ऋण प्रदान करने का था।
- (iv) 1982 में NABARD की स्थापना की गई जोकि एक ऐसा वित्तीय संस्थान है जो उन बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को ऋण प्रदान करता है जो कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए आगे ऋण प्रदान करते हैं।
- (v) प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिये जाने वाले ऋण को भारतीय एवं विदेशी बैंकों के ऊपर अनिवार्य रूप से लागू किया गया ताकि समाज के उस वर्ग को भी संस्थागत ऋण की प्राप्ति हो सके जिसे बैंक आम तौर पर ऋण प्रदान नहीं करना चाहते।
- (vi) 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड की अवधारणा लागू की गयी जिसके माध्यम से किसानों को कम ब्याज दर पर कृषि के उद्देश्य से ऋण प्रदान किया जाता है।
- (vii) समाज के निम्न वर्ग को बैंक खाता प्रदान करने के उद्देश्य से No frills A/C / Bank account/ मौलिक खाता बैंकों ने खोलना प्रारम्भ किया। जिसके अन्तर्गत खाता शून्य जमा राशि पर ही प्राप्त किया जा सकता है।
- (viii) बैंक मित्र/बैंक साथी की अवधारणा को लागू किया गया जिसके माध्यम से बैंकों को एवं बैंकिंग सेवाओं को लोगों के घरों तक पहुंचाया गया।
- (ix) खान सिमिति, रंग राजन सिमिति एवं निचकेत मोर सिमिति की स्थापना की गयी। जिन्होंने समय-समय पर इस पूरी प्रक्रिया को गति प्रदान करने के उद्देश्य से सुझाव दिये।
- (x) 28 अगस्त 14 को प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारम्भ।

नचीकेत मोर समिति रिपोर्ट (Nachiket More Committee Report)

वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से आर.बी.आई. ने नीचकेत मोर के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने अपने सुझाव 2014 में प्रस्तुत किये। इस समिति के अनुसार, आधार को बैंक खाता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्य पहचान पत्र बनाया जाये। अगले 12 महीनों में देश की 50% आबादी को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जाये एवं उसके बाद के 12 महीनों में शत प्रतिशत आबादी को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने का प्रयास किया जाये। इस समिति ने पेमेन्ट बैंक एवं स्माल फाइनेंस एवं स्माल फाइनेंस बैंक के रूप में वर्गीकृत बैंकों की स्थापना का सुझाव दिया। समिति ने यह भी खुलासा किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 15 मिनट की पैदल दूरी पर बैंक शाखाओं की स्थापना की जाये। परन्तु समिति के अनुसार वित्तीय समावेशन के लिए ऐसा कोई भी कदम न उठाया जाये जो देश के वितीय स्थायित्व के लिए खतरा है।



मौद्रिक एवं साख निति (Monetory and Credit Policy)

साख नियंत्रण (Credit Control)

रिजर्व बैंक साख नियन्त्रण का कार्य करता है, जो साधारणतया किसी भी केन्द्रीय बैंक का प्रधान कार्य माना जाता है। वस्तुतः साख नियंत्रण के माध्यम से रिजर्व बैंक विनिमय, मूल्यों तथा अन्य गतिविधियों में स्थिरता बनाए रखता है। इसके लिए रिजर्व बैंक सभी वैधानिक उपायों जैसे बैंक दर नीति, खुले बाजार की क्रियाओं, वाणिज्यिक बैंकों के नकद कोषों के प्रतिशत में परिवर्तन, प्रत्यक्ष कार्यवाही, साख की राशनिंग, नैतिक प्रोत्साहन आदि का सहारा लेता है। रिजर्व बैंक 1956 के बाद से चयनात्मक साख नियन्त्रण के उपायों का अधिकाधिक प्रयोग करने लगा है। यह गुणात्मक तथा परिणामात्मक नियन्त्रणों द्वारा भी बैंकों की साख क्रियाओं का नियन्त्रण करता है।

साख नियन्त्रण की विधि (Law of Cntrol Credit)

साख मुद्रा का नियन्त्रण भारतीय रिजर्व बैंक का एक प्रमुख कार्य है। भारतीय रिजर्व बैंक साख नियन्त्रण के लिए परिमाणात्मक (Quantitative Method) तथा गुणात्मक (Qualitative Method) का प्रयोग करता है। परिमाणात्मक विधि के अन्तर्गत बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएँ, परिवर्तनशील कोष अनुपात तथा तरलता कोष अनुपात तथा तरलता कोष अनुपात का प्रयोग किया जाता है जबिक गुणात्मक विधि के अन्तर्गत चयनित साख नियन्त्रण, साख समायोजन, नैतिक अनुनय प्रचार तथा प्रत्यक्ष कार्यवाही की जाती है। अतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख नियन्त्रण के लिए अपनाई जाने वाली विधियों की संक्षिप्त विवेचना निम्नवत् हैं-

चयनात्मक साख नियन्त्रण (Selctive Credit Control)

चयनात्मक साख नियन्त्रण का प्रयोग कम आपूर्ति वाली वस्तुओं के विरूद्ध किया जाता है। ये वस्तुएँ हैं- खाद्यान्न, तिलहन, तेल, वनस्पति घी, कपास, खांडसारी, गुड़, चीनी, सूती कपड़ा एवं सूती धागा। भारत में इसके अन्तर्गत तीन उपाय किए जाते हैं-

- (i) कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियों या धरोहर के आधार पर ऋणों के लिए न्यूनतम मूल्यांतर (margin) निर्धारित करना,
- (ii) कुछ विशेष उददेश्यों के लिए ली जाने वाली उधार की राशि की उच्चतम सीमा निर्धारित करना,
- (iii) कुछ विशेष प्रकार के अग्रिमों पर भेदमूलक ब्याज की दरें वसूल करना। 9 अक्टूबर, 1991 से रिजर्व बैंक ने चयनात्मक साख नियन्त्रण के लिए तीन नए कदम उठाए हैं। ये हैं- (a) रूई और कपास को चयनात्मक साख नियंत्रण के अधीन लाया गया, (b) दालों की धरोहर पर चयनात्मक साख नियंत्रणों को और मजबूत बनाया गया, (c) गेहूँ पर अग्रिमों की साख सीमा किसी पार्टी द्वारा 1989-90 तक समाप्त तीन वर्षों में अधिकतम उपलब्ध साख की 85% निश्चित की गई।

परिमाणात्मक एवं गुणात्मक नियंत्रण (Quantitative and Qualitative C redit) साख नियंत्रण से अभिप्राय देश में साख (Credit) की मात्रा एवं दशा पर नियंत्रण से है। केन्द्रीय बैंक के कार्यों में एक महत्त्वपूर्ण कार्य साख पर नियंत्रण करना होता है। भारत में यह कार्य रिजर्व बैंक द्वारा सम्पन्न किया जाता है। साख नियंत्रण के उपायों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है- (i) परिमाणात्मक उपाय तथा (ii) गुणात्मक (चयनात्मक) उपाय। परिमाणातमक साख नियंत्रण का उद्देश्य देश में साख (उधारी) की कुल मात्रा पर नियंत्रण स्थापित करना होता है। यह सभी प्रकार के उद्योगों तथा व्यवसायों पर एकसमान लागू होता है। परिमाणात्मक साख नियंत्रण के लिए केन्द्रीय बैंकों द्वारा प्रायः बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाओं, सांविधिक तरलता, अनुपात तथा परिवर्तनीय नकद आरक्षण अनुपात का सहारा लिया जाता है, जबिक प्रचार, साख की राशनिंग, उपभोक्ता साख का नियमन, नैतिक दबाव, मार्जिन आवश्यकताओं में परिवर्तन, प्रत्यक्ष कार्यवाही आदि गुणात्मक साख नियन्त्रण के उपाय हैं।

साख नियन्त्रण के प्रमुख उपकरण (Main tools of Credit Control)

साख नियन्त्रण के लिए भारती रिजर्व बैंक द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले प्रमुख उपकरण निम्नवत् हैं-

- (i) CFR परिवर्तन कोष अनुपात (A) CRR - नगद आरक्षी अनुपात
 - (B) SLR वैधानिक तरलता अनुपात
- (ii) Bank Rate बैंक दर
- (iii) Repo Rate रेपो दर
- (iv) Reverse Repo Rate खिर्स रेपो दर
- (v) Open Market Operation खुली बाजार की प्रक्रिया
- (vi) MSF सीमांत स्थाई सुविधा

परिवर्तन कोष अनुपात (Change Fund Ratio)

भारतीय रिजर्व बैंक तरल कोष अनुपात में परिवर्तन के द्वारा भी साख नियंत्रण करता है। यह अनुपात जितना ही अधिक होगा उतना ही कम साख सृजन होगा। परिवर्तनीय कोष अनुपात के दो घटक नकद आरक्षित अनुपात (Cash Reserve Ratio) तथा वैधानिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio, S.L.R.) है।

नकद आरक्षित अनुपात (Cash Reserve Ratio)

प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी जमा का निश्चित अंश भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद रूप में रखना अनिवार्य होता है। इस अंश का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। सामान्यतः यह 3% से 15% के मध्य होता है। नकद आरक्षित अनुपात जितना ही अधिक होगा, वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता उतना ही कम होगी। जब भारतीय रिजर्व बैंक को मुद्रा प्रसार करना होता है तो नकद आरक्षित अनुपात में कमी कर देता है। इसके विपरीत नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि करता है।

वैधानिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio)

सभी वाणिज्यिक बैंकों को अपनी संपत्ति का कम-से-कम 25% भारतीय रिजर्व बैंक के पास C.R.R. के अन्तर्गत रखे गए नकद के अतिरिक्त नकद, स्वर्ण, विदेशी मुद्रा की स्वीकृत प्रतिभूतियों में रखना पड़ता है। यही वैधानिक तरलता अनुपात है। केन्द्रीय बैंक द्वारा वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि किए जाने पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कम मात्रा में साख सृजन होता है। वैधानिक तरलता अनुपात में कमी होने पर साख सृजन अधिक होता है। C.R.R. पर भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक दर पर बैंकों को ब्याज देता है पर ऐसी कोई स्थिर या निश्चित दर नहीं है प्रतिशत की दर धारित प्रतिभूतियों की प्रतिशत की दर पर निर्भर करती है।

बैंक दर (Bank Rate)

बैंक दर वह दर है जिस पर केन्द्रीय बैंक प्रथम श्रेणी तथा अनुमोदित हुंडियों का जमानत के आधार पर देश में वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है अथवा प्रथम श्रेणी के बिलों की पुर्नकटौती या पुर्नबट्टा (Retscount) करता है। बैंक दर की नीति इस बात पर निर्भर करती है कि देश में वाणिज्यिक बैंक किस सीमा तक ऋण प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय बैंक पर आश्रित है। अन्य शब्दों में यदि केन्द्रीय बैंक देश की वाणिज्य बैंकिंग प्रणाली को प्रभावी वित्तीय सहायता प्रदान करती है तो बैंक दर की नीति अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में अधिक सफल होगी। यदि केन्द्रीय बैंक देश में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाना चाहता है तो बैंक दर को कम करने पर वाणिज्यिक बैंकों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होगा। इससे वाणिज्यिक बैंक औद्योगिक क्षेत्र या अन्य व्यापारिक गतिविधियों के लिए अधिक ऋण उपलब्ध करा सकेंगे फलतः आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

रेपो दर (Repo Rate)

रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को बेचे जाने वाले सरकारी बॉण्डों एवं प्रतिभूतियों (पुनर्खरीद समझौतों के अन्तर्गत) पर दी जाने वाली ब्याज की दर रेपो दर कहलाती है।

रिवर्स रेपो दर (Reverse Repo Rate)

यह रेपो दर से उल्टी होती है। बैंकों के पास दिनभर के कामकाज के बाद बहुत बार एक बड़ी रकम शेष बच जाती है। बैंक वह रकम अपने पास रखने के बजाए रिजर्व बैंक में रख सकते हैं, जिस पर उन्हें रिजर्व बैंक से ब्याज भी मिलता है। जिस दर पर यह ब्याज मिलता है, उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं।

🕨 महत्वपूर्ण तथ्य (Important Facts)

अ पई, 2011 को 2011-12 की मौद्रिक एवं साख नीति की घोषणा के समय रिवर्स रेपो दर को रेपो दर के साथ सम्बद्ध करते हुए रिजर्व बैंक ने यह कहा था कि आगे से इनमें से केवल एक (रेपो दर) सन्दर्भ दर रहेगी तथा रिवर्स रेपो दर इससे एक प्रतिशत बिन्दु नीचे बनी रहेगी। इसी के साथ यह घोषणा भी रिजर्व बैंक द्वारा की गई थी कि बैंकों के लिए नई शुरू की गई सीमान्त स्थायी सुविधा (Ma. ginal Standing Facility) के लिए ब्याज की दर रेपो दर से एक प्रतिशत बिन्दु अधिक रहेगी।

खुले बाजार की क्रियाएँ (Open Market Actions)

भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जब मुद्रा बाजार में सरकारी हुंडियों के क्रय-विक्रय के द्वारा देश में मुद्रा बाजार तथा वाणिज्यिक बैंकों पर नियन्त्रण करती हैं/किया जाता है, तो इसे खुले बाजार की क्रियाएँ कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक को जब बाजार में व्याप्त मुद्रा को निकालना या कम करना होता है तो वह हुंडियों एवं प्रतिभूतियों का क्रय करने लगती है। अन्य शब्दों में जब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिभूतियों का क्रय किया जाता है तब बाजार में तरलता की कमी हो जाती है। इसके विपरीत जब भारतीय रिजर्व बैंक बाजार से प्रतिभूतियाँ या हुंडियों का क्रय करती है तो बाजार में तरलता बढ़ जाती है अर्थात् बाजार में मुद्रा की पूर्ति

बढ़ जाती है। अन्य शब्दों में भारतीय रिजर्व बेंक द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय करने पर साख सृजन कम होता है तथा प्रतिभूतियों के क्रय करने पर साख सृजन अधिक होता है। खुले बाजार की क्रिया का प्रयोग केवल साख नियंत्रण या मौद्रिक नीति के अस्त्र के रूप में ही नहीं किया जाता है, बिल्क इसे सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय के माध्यम या राजकोषीय यन्त्र के रूप में भी किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिभूतियों का क्रय करना (सामान्यतया अल्पाविध की) तथा दूसरी प्रतिभूतियों का उसके स्थान पर विक्रय करने की (लम्बी अविध की प्रतिभूतियों का) क्रिया जिससे प्रतिभूतियों की परिपक्वता अविध लम्बी हो सकें, को स्विच ऑपरेशन की संज्ञा दी जाती है।

सीमांत स्थाई सुविधा (Marginal Standing Facility-MSF)

इस उपकरण को भारत में 9 मई 2011 को लागू किया गया था। यह सुविधा मात्र वाणिज्यिक बैंकों को ही प्राप्त है। इसका लाभ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंक नहीं उठा सकते इसके अंतर्गत यदि किसी बैंक को मात्र घंटों के लिए ऋण की आवश्यकता हो तो वह RBI से प्राप्त कर सकती है। परन्तु इस प्रक्रिया में वार्षिक ब्याज दर हमेशा रेपो दर से 1% ज्यादा होगी। अतः वर्तमान में MSF की दर 7% है। इस सुविधा के अंतर्गत कोई भी बैंक अपने कुल जमा राशि के 2% से ज्यादा की साश्य ऋण के रूप में प्राप्त नहीं कर सकती। MSF के माध्यम से ऋण प्राप्त करने के लिए बैंकों को उतने ही मूल्य के बराबर या उसे ज्यादा की प्रतिभूतियाँ गिरवी रखनी होती है। परन्तु यहाँ बैंक उन प्रतिभूतियों को भी गिरवी रख सकती है जो उसने SLR के रूप में खरीदा है।

जब मौद्रिक नीतियों के माध्यम से RBI लगातार दरों में कटौती करती हैं तो इन नीतियों को सस्ती ऋण नीति कहते हैं। क्योंकि इन नीतियों का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता को सस्ते दर पर ऋण प्राप्त कराने का होता है जिससे उपभोग बढ़ता है एवं आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा मिलता है। इसके विपरीत यदि मौद्रिक नीतियों के माध्यम से RBI लगातार दरों में बढ़ोत्तरी करे, तो इन नीतियों को महंगी ऋण नीति कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ऋण को मंहगा कर मुद्रास्फीति के निवारण के उद्देश्य से माँग को नीचे लाने का होता है। जब RBI मौद्रिक एवं साख नीतियों में परिवर्तन करती है, तो दरों में किये गये परिवर्तन के अनुसार बैंकों को अपनी आधार दर परिवर्तित करनी होती है। (आधार दर वह न्यूनतम, ब्याज दर है जिसके नीचे बैंक किसी भी प्राहक को ऋण प्रदान नहीं कर सकती) यदि मौद्रिक नीतियों के माध्यम से RBI दरों को परिवर्तित करे परन्तु बैंक अपना आधार पर परिवर्तित न करे, तो ऐसे में मौद्रिक नीतियाँ विफल हो जाती है। ऐसी स्थिति में RBI गुणात्मक उपकरणों का प्रयोग करती हैं, जिसके अंतर्गत वह बैंको को उनकी नैतिक जिम्मेदारियों का बोध कराती है। अन्यथा चेतावनी देती है या उन पर हरजाना लागू करती है।

भारत में हाल में RBI ने लगातार दो बार परिवर्तन किया, परन्तु बैंक इसका लाभ उपभोक्ता तक पहुंचाने में विफल रहे। बैंकों की मुख्य समस्या यह रही है कि महंगी ऋण नीति के दौर में जमाकर्ता को आकर्षित करने के उद्देश्य से बैंकों ने सावधी जमा राशियों पर लगातार ब्याज दर बढ़ाया था। जिसके कारण उनका व्यय प्राप्त जमा राशियों पर ब्याज भी जाता है ऐसे में यदि बैंक मौजूदा ग्राहकों के लिए ब्याज दर में कटौती करते हैं, तो उनका घाटा होना स्वाभाविक हो जाता है। दूसरी ओर RBI का कहना है कि यदि दरों में की गई कटौती का लाभ बैंक ग्राहकों तक नहीं पहुंचाती है, तो भविष्य में दरों को कम करना संभव नहीं होगा।

संदर्भित दर (Referenced Rate)

संदर्भित दर मुद्रा उधारी बाजारों में मुद्रा के मूल्य के सम्बन्ध में एक सीमा चिन्ह (Bench Mark) का काम करती है। यह दर सभी प्रकार की उधारी के सम्बन्ध में दिशा निर्देशक का कार्य करती है। यह दर न्यूनतम दर होती है जिस पर पूँजी बाजार में कोई उधार लिया तथा दिया जाता है। बाजार में प्रचलित ब्याज दर जिस पर सामान्यतया समझौता होता है वह संदर्भित दर से ऊँची होती है। इसके द्वारा ब्याज दर में होने वाले परिवर्तन निर्देशित होते हैं। अधिकांश देशों ने अपनी संदर्भित दरें निश्चित की हैं। यू. एस. के लिए संदर्भित दर फेड्स फंड्स रेट (Feds Funds Rate), जर्मनी के लिए फ्रैंकफर्ट इंटर बैंक ऑफर्ड रेट (Frankfurt Interbank Offered Rate-FIBOR), जापान के लिए टीबार-टोकियो इंटरबैंक ऑफर्ड रेट (Tokyo Interbank Offered Rate-TIBOR), तथा यू.के के लिए संदर्भित या निर्देशक दर लन्दन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट लिबार (London Interbank Offered Rate-TIBRO) है। 15 अप्रैल, 1997 में घोषित साखनीति के अनुसार रिजर्ब बैंक द्वारा घोषित बैंक दर रिजर्व बैंक द्वारा दिए जाने वाले सामान्य पुनर्विता तथा विदेशी मुद्रा जमाओं के सम्बन्ध में संदर्भित दर का काम करेगी। इस प्रकार लिबार की तरह, रिजर्व बैंक भी बैंक दर को संदर्भित दर के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रहा है।

प्राइम लैंडिंग रेट के स्थान पर नई 'बेस रेट' व्यवस्था (New Base Rate System Instad Of Prime Landing Rate

बैंकों द्वारा दी जाने वाली उधारियों पर ब्याज दरों के मामले में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए प्राइम लैंडिंग रेट (PLR) के स्थान पर नई बेस रेट व्यवस्था अपनाई जा रही है।

पूर्व प्रचलित 'प्राइम लैंडिंग रेट' बैंक की मुख्य ब्याज दर होती थी तथा विभिन्न श्रेणियों के ऋणों पर ली जाने वाली ब्याज की वास्तविक दर पीएलआर से कुछ कम या अधिक भी हो सकती थी। नई लागू की जा रही 'बेस रेट' बैंक द्वारा घोषित वह दर होगी जिससे कम दर पर कोई भी ऋण बैंक द्वारा नहीं दिया जाएगा।

प्रधान उधारी दर (Prime Leading Rate)

किसी बैंक की प्रधान उधारी दर वह ब्याजदर है जिस पर बैंक अपने सबसे विश्वसनीय ग्राहक को जिसके सम्बन्ध में जोखिम शून्य हो, उधार देने के लिए तैयार है। यह वह दर होती है जिस पर बैंक यह उम्मीद करता है उसकी सभी लागतें तथा व्यय पूरा करने के बाद पूँजी पर पर्याप्त प्रतिफल मिल जाएगा। यह दर एक तरह से आधार दर के रूप में कार्य करती है जिसको ध्यान में रखकर अन्य उद्यमियों के सम्बन्ध में बैंक अपनी ब्याज दर निर्धारित करता है।

मौद्रिक नीति समिति (Monetary policy committee)

2011 में गठित Financial Sector Legislative Reform Commirttee (FSLRC) ने यह सुझाव दिया था कि मौद्रिक एवं साख नीतियों के निर्धारण में सरकार की भूमिका हो एवं इस उद्देश्य से मौद्रिक नीति समिति का गठन किया जाये उर्जित पटेल समिति ने इसी सुझाव को दोहराया एवं इस समिति के गठन का प्रस्ताव रखा। हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी नयी भारतीय वित्त संहिता (Indian Financial Code) के अंतर्गत सरकार ने सात

सदस्य मौद्रिक नीति सिमिति के गठन का प्रस्ताव रखा जिसमें RBI के गवर्नर भी एक सदस्य होंगे एवं सिमिति का नेतृत्व भी वहीं करेंगे। इन सात सदस्यों में से चार का चयन सरकार करेगी एवं कोई भी निर्णय बहुमत के आधार पर होगा, साथ ही इस पूरी प्रक्रिया में RBI के गवर्नर के वीटो का अधिकार खत्म कर दिया जायेगा।

वर्तमान में मौद्रिक नीतियाँ RBI अपने Technical Advisory Committee (TAC) के सुझाव के आधार पर करती हैं परन्तु अंतिम निर्णय RBI के गवर्नर का होता है। अतः प्रस्तावित समिति के गठन के बाद इस पूरी प्रक्रिया में के गवर्नर की भूमिका कम हो जायेगी। साथ ही चूंकि चार सदस्य सरकार द्वारा चयनित होंगे इस समिति के निर्णय पर सरकार का प्रभाव ज्यादा होगा। अतः RBI इस समिति का विरोध कर रही है। सूत्रों के अनुसार, इस विवाद को खत्म करने के उद्देश्य से इस समिति को संरचना में परिवर्तन का प्रस्ताव रखा गया है। अब यह समिति 6 सदस्यों की होगी एवं इसका नेतृत्व के RBI गवर्नर करेंगे जोकि सातवें सदस्य होंगे। मतदान का अधिकार केवल उन 6 सदस्यों का होगा एवं बहुमत के आधार पर कोई भी निर्णय लिया जायेगा। यदि मतदान में बराबरी की स्थिति उत्पन्न हो जाये तभी RBI के गवर्नर मतदान करेंगे।

चूंकि मुद्रास्फीति का नियन्त्रण एवं आर्थिक संवृद्धि RBI तथा भारत सरकार दोनों के सिम्मिलित प्रयासों से ही सुनिश्चित की जा सकती है। मौद्रिक नीतियों के निर्धारण में सरकार की भूमिका जायज है। साथ ही चूंकि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। इस पूरी प्रक्रिया में उसकी भी भूमिका होनी चाहिए। परन्तु दूसरी ओर यह कहा जा रहा है कि विगत कई वर्षों तक RBI अपनी जिम्मेदारियों को कुशलता से निभाते आयी है। ऐसे में इस समिति में सरकार की भूमिका एक हस्तक्षेप की तरह है एवं इससे इस प्रक्रिया का राजनीतिकरण की संभावना बढ़ जाती है।

Wil 64	
RBI का राष्ट्रीयकरण	1 जनवरी 1949
प्रथम गवर्नर	Sir Osborne Smith
प्रथम भारतीय गवर्नर	C.D. Deshmukh

भारत में बैंकिंग प्रणाली में RBI का स्थान सर्वोच्च है। RBI की निम्नलिखित भूमिकाएँ हैं-

- (i) यह भारत सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों के लिए बैंक का कार्य करती है। अतः भारत सरकार के लिए ऋण उठाने की प्रक्रिया भी RBI की ही जिम्मेदारी है।
- (ii) यह भारत में बैंकों के लिए बैंक का कार्य करती है। अर्थात बैंक अपनी अतिरिक्त राशि RBI के पास जमा कर सकते हैं एवं साथ ही आवश्यकता पड़ने पर RBI से ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
- (iii) RBI भारत में बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करती है एवं उसकी अनुमित के बिना अनुसूचित बैंकों की स्थापना नहीं हो सकती।
- (iv) RBI भारत में मौद्रिक एवं साख नीतियों के माध्यम से मुद्रा के प्रवाह को नियन्त्रित करती है एवं यह मुद्रास्फीति आर्थिक संवृद्धि तथा मुद्रा के विनिमय दर का प्रबंधन करती है।
- (v) RBI भारत में विदेशी मुद्राकोश का भण्डारण/सर्वेक्षण करती है।
- (vi) यह देश में ₹1 के ऊपर के नोट जारी करती है।

विभिन्न प्रकार के बैंकिंग अवयव

(Different Kind of Banking Instruments)

ड्राफ्ट (Draft)

यह एक ऐसा साख प्रपत्र है, जिसमें किसी बैंक द्वारा अपनी किसी अन्य शाखा को पावक (Payee) के आदेशानुसार ड्राफ्ट में उल्लिखित धनराशि माँग पर भुगतान करने का आदेश होता है। ड्राफ्ट किसी बैंक द्वारा पहले से भुगतान प्राप्त करके जारी किया जाता है तथा जिस व्यक्ति अथवा संस्था के नाम ड्रॉफ्ट बनाया जाता है, उसकी पहचान करने के बाद इसका भुगतान कर दिया जाता है। ड्रॉफ्ट भी चेक की भाँति रेखांकित अथवा अरेखांकित हो सकता है।

चेक (Cheque)

चेक एक प्रकार से विनिमय हुण्डी (Bill of Exchange) होती है, जो एक निर्दिष्ट (विशिष्ट) बैंक के ऊपर आहरित होती है तथा माँग पर ही, जिसका भुगतान किया जाता है। चेक में तीन पक्ष होते है: (i) भुगतान का आदेश देने वाला, आहर्ता (Drawer), (ii) जिसका आदेश दिया जाता है (Drawee) अर्थात् बैंक (iii) जो भुगतान प्राप्त करता है अर्थात् चेक का धारक (Payee)

चेक के प्रकार (Types of Check)

- 1. साधारण या धारक चेक (Bearer Cheque)
- 2. आदिष्ट चेक (Order Cheque)
- 3. रेखांकित चेक (Crossed Cheque)
- 4. पावक खाता चेक (Account Payee Cheque)

1. साधारण या धारक चेक (Bearer Cheque)

जब तक संदेह करने के लिए कोई विशेष कारण न हो, धारक चेंक का भुगतान चेंक प्रस्तुत करने वाले किसी भी व्यक्ति को किया जा सकता है, भले ही वह चेंक उसके नाम में हो अथवा नहीं। ऐसे चेंक के भुगतान के लिए चेंक जारी करने वाले (Drawer) के ऐसे ही निर्देश होते हैं कि भुगतान चेंक के धारक की ही दे दिया जाए।

2. आदिष्ट चेक (Order Cheque)

जब किसी धारक चेक में से धारक (Bearer) शब्द को काट दिया जाए अथवा उस चेक पर Order लिख दिया जाए, तो वह चेक आदिष्ट चेक बन जाता है। इस चेक का भुगतान करने के लिए बैंक भुगतान लेने वाले व्यक्ति की पहचान करता है। इस औपचारिकता के बाद ही उस चेक का भुगतान किया जाता है।

3. रेखांकित चेक (Crossed Cheque)

जब चेक के ऊपर प्रायः बाईं ओर दो समान्तर रेखाएं बना दी जाती हैं, तो वह चेक रेखांकित चेक बन जाता है। इस रेखांकित चेक का भुगतान बैंक काउंटर पर नकद प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसका भुगतान किसी खाते में उसे जमा करा कर ही प्राप्त किया जा सकता है।

4. पावक खाता चेक (Account Payee Cheque)

जब किसी चेक के प्रायः बाईं ओर ऊपर कोने में दो समानान्तर रेखाओं के मध्य 'Account Payee Only' लिख दिया जाता है, तो उस चेक को पावक खाता चेक कहते हैं। इस चेक का भुगतान केवल उसी व्यक्ति या प्रतिष्ठान अथवा संस्थान के खाते में जमा करके किया जाता है, जिसके नाम वह चेक लिखा होता है। अर्थात् इस प्रकार के चेक का अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। जब चेक के मुखपृष्ठ पर दो समानान्तर रेखाओं के मध्य किसी बैंक का नाम लिख दिया जाता है, तो यह चेक विशिष्ट रेखांकित चेक बन जाता है तथा ऐसी स्थिति में उस चेक का भुगतान केवल उसी बैंक के माध्यम से सम्बन्धित व्यक्ति के खाते में जमा करके ही प्राप्त किया जा सकता है।

चेंक और ड्राफ्ट में अन्तर (Difference Between Draft and Check)

चेक किसी भी व्यक्ति, फर्म या संस्था द्वारा जारी किया जा सकता है, जबिक ड्राफ्ट किसी बैंक द्वारा पहले से भुगतान प्राप्त करके जारी किया जाता है। चेक का भुगतान प्राप्त करने में संदेह हो सकता है, परन्तु ड्राफ्ट के सम्बन्ध में ऐसी कोई आशंका नहीं रहती है। चेक का भुगतान करते समय देखा जाता है कि खाते में अपेक्षित धनराशि है या नहीं, परन्तु ड्राफ्ट तो बनाया ही तब जाता है, जब भुगतान करने वाला आवश्यक धनराशि बैंक को दे देता है।

बैंकर्स चेक तथा डिमाण्ड ड्राफ्ट में अन्तर (Difference in Bankers Checks and Demond Drafts)

बैंकर्स चेक किसी बैंक द्वारा किसी ग्राहक की माँग पर या किसी ग्राहक का खाता उसी शाखा में न होने पर जारी किया जाता है। इस प्रकार के चेकों का भुगतान सामान्यतौर पर एक ही शहर के भीतर हो जाता है। दूसरे शहर की शाखा में जमा करने पर यह कलेक्शन हेतु भेजा जाता है। यदि डिमाण्ड ड्राफ्ट रेखांकित या एकाउण्ट पेयी है, तो वह उसी दिन खाते में जमा कर दिया जाता है।

समाशोधन गृह (Clearing House)

समाशोधन गृह अथवा क्लीरियरिंग हाउस प्रायः प्रत्येक ऐसे शहर में होता है, जहाँ 3-4 अथवा उससे अधिक बैंक होते हैं। क्लीयरिंग हाउस वह स्थान है जहाँ विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि प्रतिदिन एकत्र होते हैं। इस स्थान पर उन प्रतिनिधियों के मध्य चेकों का आदान-प्रदान तथा जमा-खर्च होता है। इस प्रकार यहाँ हजारों चेकों का लेन-देन बहुत ही सरलता से तथा थोड़े समय में ही सम्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया को समाशोधन (Clearing) कहते हैं। भारत में जिन शहरों में रिजर्व बैंक की शाखा है, वहाँ रिजर्व बैंक में ही समाशोधन गृह होता है। जिन शहरों में रिजर्व बैंक की शाखा नहीं है, वहाँ स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में समाशोधन गृह होता है।

चेक कलेक्शन (Cheque Collection)

जब चेक शहर के बाहर किसी अन्य स्थान पर भुगतान के लिए भेजा जाता है, तो इसे ही कलेक्शन कहते हैं। ऐसे चेक का भुगतान प्राप्त करने के लिए बैंक ग्राहक से डाक-व्यय एवं कमीशन लेती है।

बॉण्ड (Bond) अथवा डिबेन्चर (Debenture)

बॉण्ड एवं डिबेन्चर का अर्थ ऋणपत्रों से होता है, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी संस्थान द्वारा ऋण लेकर जारी किया जाता है। संयुक्त पूँजी कम्पनियाँ ऋण प्राप्त करने के लिए अपने डिबेन्चर जारी करती हैं। इन बॉण्डों को हस्तान्तरित भी किया जा सकता है। जो संस्था इन्हें जारी करती है, वे इन पर धारक को एक निश्चित दर से ब्याज भी देती हैं।

धारक बॉण्ड (Bearer Bond)

धारक बॉण्ड वे ऋणपत्र हैं, जिनका भुगतान परिपक्वता पर कोई भी प्राप्त कर सकता है। इन पर न तो खरीदार का नाम लिखा होता है और न ही हस्तान्तरित करते समय इनकी पीठ पर हस्ताक्षर ही करने होते हैं। प्रायः इनका उपयोग काले धन को सफेद धन में बदलने के लिए किया जाता है।

चेक के भुगतान न होने के कारण (Reason For Non-Payment Of Checks)

(i) आगे तारीख होने से (ii) तीन माह पुराना होने से, (iii) यथेष्ट फण्ड नहीं होने की वजह से, (iv) टाइप होने के कारण, (v) नमूने के दस्तखत से दस्तखत न मिलने पर, (vi) चेक का बेचन या पृष्ठांकन अपूर्ण, अनियमित तथा अस्पष्ट होने की वजह से, (vii) चेक पर कोई संशोधन हो और दस्तखत न किया गया हो, (viii) रेखांकित चेक बैंक द्वारा न आया हो, और (ix) चेक फटा हो।

कब चेक का भुगतान तिरस्कृत होना आवश्यक हैं? (When Should Payment Of Check Be Required To Be Rejected?)

(i) ग्राहक के मना करने पर, (ii) अदालत की निषेध- आज्ञा प्राप्त होने पर, (iii) ग्राहक के दिवालिया होने पर, (vi) ग्राहक की मृत्यु हो जाने पर, (v) ग्राहक के पागल हो जाने पर, (vi) धारक का स्वत्व दूषित होने पर और (vii) ग्राहक द्वारा खाता बन्द कर देने पर।

चेक भुगतान करते समय ध्यान देने योग्य बातें (Things To Pay When Making Check Payments)

(i) चेक रेखित है अथवा अरेखित, (ii) क्या चेक आहर्त्ता उस बेंक की वहीं शाखा है, जहाँ चेक भुगतान के लिए उपस्थित किया जा रहा है, (iii) चेक ठीक ढंग से लिखा गया है या नहीं, (vi) चेक पर कोई संशोधन तो नहीं किया गया है, (v) आहर्ता के हस्ताक्षर, (vi) पृष्ठांकन ठीक ढंग से किया गया है या नहीं, (vii) क्या आहर्त्ता के जमा खाते में चेक के भुगतान के लिए पर्याप्त रकम है और (viii) ग्राहक ने बेंक को भुगतान करने से मना नहीं कर दिया है।

रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेन्ट प्रणाली (Real Time Grass Settlement System)

रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेन्ट प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत् प्रत्येक लेन-देन प्रारम्भ होते ही निपटान प्रक्रिया भी प्रारम्भ हो जाती है। निधियाँ भेजने वाले से प्रादक के खाते में तत्काल अन्तरित हो जाती हैं। इस प्रणाली में दूसरे पक्षकार द्वारा होने वाली चूक की जोखिम प्रायः नहीं होती। भारत में यह प्रणाली सर्वप्रथम 26 मार्च, 2004 को मुम्बई में प्रारम्भ की गयी।

मूल्य वर्द्धित सेवाएँ (Value Added Services)

वर्तमान में वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को सामान्य बैंकिंग क्रियाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित मूल्य वर्द्धित सेवाएँ (Valu Added Services) उपलब्ध कराते हैं-

- 1. लॉकर्स स्विधा
- 2. यात्री चेक जारी करना तथा भुगतान करना
- प्राहकों के अनुरोध पर उनके बीमा प्रीमियम, पानी-बिजली के बिलों का नियमित रूप से भुगतान करते रहना
- 4. ग्राहकों के पक्ष में गारन्टी पत्र
- 5. ई-बैंकिंग सुविधा
- एनीह्वेयर बैंकिंग स्विधा
- 7. एटीएम स्विधा
- 8. क्रेडिट कार्ड स्विधा
- 9. एटीएम डेबिट कार्ड स्विधा

कुछ अन्य प्रकार के चेक (Some Other Types Of Checks)

1. यात्री चेक (Traveller's Cheque)

यात्री चेंक किसी बेंक द्वारा जारी किया गया ऐसा चेंक होता है जिसे जारी करते समय चेंक के मुखपृष्ठ पर आवेंदक (चेंक प्राप्त करने वाला) के हस्ताक्षर कराए जाते हैं। इस चेंक का भुगतान देशभर में सम्बन्धित बेंक की किसी भी शाखा से प्राप्त किया जा सकता है। चेंक का भुगतान करने वाली शाखा भुगतान के समय पुनः चेंक के मुखपृष्ठ पर धारक के हस्ताक्षर कराती है। दोनों हस्ताक्षर मिलने पर ही यात्री चेंक का भुगतान होता है। बेंक द्वारा अधिकृत प्रमुख वाणिज्यिक संस्थान भी यात्री चेंक नकद मुद्रा की भाँति स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार के चेंक यात्रियों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, क्योंकि चेंक खो जाने पर आवश्यक शर्तें पूरी करके इप्लीकेट चेंक प्राप्त किए जा सकते हैं।

2. पूर्व दिनांकित चेक (Ante-dated Cheque)

यदि आहरणकर्ता चेक लिखने की तारीख से पहले की कोई तारीख चेक पर लिखता है, तो ऐसे चेक को पूर्व दिनांकित (Ante-dated) चेक कहा जाता है

3. गतावधि अथवा पुराना चेक (Stale Cheque)

यदि चेक जारी करने की तारीख के बाद वह चेक समुचित अविध (वर्तमान में तीन महीने) के अन्दर भुगतान के लिए प्रस्तुत न किया जाए, तो उसे गताविध अर्थात् पुराना चेक कहा जाता है। बैंकर ऐसे चेक का आहरणकर्ता द्वारा पुष्टि के बिना भुगतान नहीं करता।

4. उत्तर दिनांकित चेक (Post-dated cheque)

यदि किसी चेक का आहरणकर्ता चेक लिखते समय उस पर कोई आगामी तारीख लिख देता है, तो ऐसे चेक को उत्तर दिनांकित (Post Dated) चेक कहा जाता है। ऐसा चेक विधि-अमान्य तो नहीं होता, अपितु उस तारीख से प्रभावी होता है, जो उसमें लिखी गई है।

5. चेक (MICR)

MICR-Magnetic Ink Character Recognition चेक में बैण्ड कोड लाइन पर चेंक संख्या के अतिरिक्त 9 अंकों की एक संख्या भी मुद्रित रहती है। जिसके प्रथत तीन अंक केन्द्र/शहर को इंगित करते हैं। MICR चेक इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस को सम्भव बनाते हैं। यह पद्धित भारत में 1987 में लागू की गयी। 9 अंकीय संख्या में मध्य के तीन अंक बैंक तथा अन्तिम तीन अंक बैंक की शाखा के कोड को बताते हैं।

बैंक में खातों के प्रकार (Types Of Accounts In The Bank)

बचत बैंक खाता (Savings Bank Account)

बचत बैंक खाता उन व्यक्तियों के लिए है, जो अपनी भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी वर्तमान आय का कुछ भाग बचाकर रखना चाहते हैं। इस खाते में जमा राशि पर कुछ ब्याज भी दिया जाता है। प्रत्येक कलेण्डर महीने के दसवें दिन के अन्त से लेकर उस महीने की अन्तिम तारीख तक की अविध में जो भी न्यूनतम जमा बाकी रहती है, उसके आधार पर ब्याज दिया जाता है।

चालू खाता (Current Account)

यह एक प्रकार का माँग जमा (Demand Deposit) खाता है जिसमें से किसी भी कार्य दिवस का अनेक बार कितनी भी राशि का लेन-देन किया जा सकता है। इन खातों में जमा राशियों पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता, बल्कि बैंक लेन-देनों (Transactions) की संख्या के आधार पर कुछ सेवा शुल्क (Service charge) खाताधारी से वसूल करते है।

नकद साख खाता (Cash Credit Account)

यह एक ऋण खाता है। इस खाते के अन्तर्गत बैंक खाताधारी को एक निश्चित मात्रा तक ऋण प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसी सीमा के अन्दर ऋणी अपनी आवश्यकतानुसार बैंक से रूपया लेता है और जमा भी करता है। ब्याज उसी राशि पर वसूल किया जाता है, जो वास्तव में ऋणी के पास रहती है।

ई-बैंकिंग (E-Banking)

आजकल सभी बैंक अकाउण्ट खोलने के बाद इन्टरनेट बैंकिंग की सुविधा देते हैं। यह सुविधा दो तरह की होती है- पहली यूजर आई डी द्वारा भुगतान और दूसरी अपने ही ए.टी.एम. कार्ड द्वारा भुगतान। नया अकाउण्ट खोलने पर या पुराने अकाउण्ट पर मांगे जाने पर बैंक द्वारा यूजर आई डी और 2 पासवर्ड (लॉग-इन पासवर्ड,) ट्रांस्जेक्शन पासवर्ड) प्रदान किया जाता है। जुलाई 2009 के बाद से जारी होने वाले सभी ए.टी.एम कार्ड पर स्पेशन CVV/CVV2 कोड होता है जो ऑनलाइन भुगतान में प्रयोग होता है। चूँिक यह सारा काम ऑनलाइन होता है तो भूल-चूक की सम्भावना न के बराबर होती है। फिर भी कुछ इन्टरनेट हैकर्स आपका नुकसान कर सकते हैं। आपकी एक छोटी-सी गलती आपका पूरा अकाउण्ट खाली कर सकती है।

ई-बैंकिंग-सावधानी व सुरक्षा के 10 उपाय (Ten Tips For E-Banking Caution and Safety)

- गं बैंक द्वारा प्रदान किए गए पासवर्ड फर्स्ट यूज के बाद ऑनलाइन अकाउण्ट एक्टिव हो जाता है अतः नया पासवर्ड डाल लें। अपना पासवर्ड किसी को भी न बताएँ। यहाँ तक कि अपना पासवर्ड बैंक के कर्मचारी, मैनेजर या कस्टमर केयर आदि किसी को भी न बताएँ।
- कोशिश यही करनी चाहिए कि -ई-बैंकिंग अपने पर्सनल कम्प्यूटर पर ही करें। साइबर कैफे या किसी भी परिचित के कम्प्यूटर का उपयोग न करें।
- अपने कम्प्यूटर पर भी खास सावधानी की जरूरत है। फालतू के सॉफ्टवेयर लोड न करें क्योंकि इनके साथ वायरस के आने की सम्भावना रहती है।
- 4. यदि मजबूरी में साइबर कैफे या अन्य किसी का कम्प्यूटर उपयोग कर रहे हैं तो मोजिला फायरफॉक्स या इन्टरनेट एक्सप्लोरर का लेटेस्ट वर्जन प्रयोग में लायें। लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में प्राइवेट ब्राउसिंग का ऑप्शन होता है जो आपकी लॉग-इन डाटा को सेव रखता है।
- 5. ई-बैंकिंग का भुगतान जिस वेबसाइट को कर रहे हैं। वह सुरक्षित होनी चाहिए। अधिकार वेबसाइट किसी 128 bit SSL Gateway (or 256 bit) का प्रयोग करती हैं। इन Gateways को प्रमाणित करने हेतु सर्टिफिकेट पर विशेष ध्यान दें।
- 6. बेंक कभी भी अपने यूजर्स को लॉग-इन पासवर्ड या प्राइवेट जानकारी से सम्बन्धित ई-मेल नहीं भेजता है। यदि आपको कोई ऐसा मेल मिले जो आपकी ई-बैंकिंग जानकारी को पूछे तो आप तुरन्त उसे डिलीट कर दें। बैंक द्वारा समय-समय पर आपको ई-मेल के माध्यम से यही अवगत कराया जाता है कि कोई कितना भी पूछे आई डी या पासवर्ड किसी को न बताएँ।
- 7. जिस बैंक अकाउण्ट का प्रयोग ई-बैंकिंग के लिए किया जाए उसमें न्यूनतम भुगतान राशि ही रखनी चाहिए, ताकि कोई भी गड़बड़ होने पर नुकसान की सम्भावना कम-से-कम हो।
- बच्चों को अपना ए.टी.एम. कार्ड न प्रयोग करने दें। उनके लिए अलग से अकाउण्ट खुलवाकर देना चाहिए।
- 9. ए.टी.एम. कार्ड पर 16 अंकों का एक कोड व अविध आदि का उल्लेख होता है ए.टी.एम. कार्ड द्वारा भुगतान करने पर यही कोड व अविध आदि का प्रयोग किया जाता है। अतः अपने कार्ड को छिपाकर ही रखना बेहतर होता है।
- 10. ए.टी.एम. कार्ड का प्रयोग ए.टी.एम. सेन्टर पर बहुत सावधानीपूर्वक मुक्त रूप से करने हेतु केबिन होताहै। अपने अधिकार का पूरा प्रयोग करें। ए.टी.एम. सेन्टर से जो पर्ची निकलती है उसको फाड कर ही कूड़ेदान में डालना चाहिए क्योंकि उस पर कोड अंकित होता है।

बैंक के विभिन्न जमा-खातों में अन्तर (Difference in Various Bank Deposits)

बैंक के विभिन्न जमा खातों के प्रमुख अन्तर अग्रलिखित तालिका द्वारा अधिक स्पष्ट किये जा सकते हैं

क्र.सं.	अन्तर का आधार	चालू खाता (Current A/c)	बचत खाता (Saving A/c)	स्थायी जमा खाता (Fixed Deposit A/c)
1.	जमा की अवधि	इसमें जमा की कोई निश्चित अवधि नहीं होती।	इसमें भी जमा की कोई निश्चित अवधि नहीं होती।	इस खाते में एक निश्चित अवधि के लिए रकम जमा की जाती है।
2.	जमा पर प्रतिबन्ध	इस खाते में रकम जमा करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।	इस खाते में भी रकम जमा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन अधिकतम सीमा निश्चित है।	इस खाते में रकम केवल एक ही बार में जमा की जा सकती है।
3.	रकम निकालना	इस खाते में से रकम निकालने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। एक सप्ताह में ही दिन में कई बार रकम निकाली जा सकती है।	9	जमा की अवधि समाप्त होने पर ही रकम निकाली जा सकती है। अवधि के पहले रकम निकालने पर ब्याज नहीं मिलता है।
4.	ब्याज	इस खाते में जमा की गयी रकम पर बैंक ब्याज अधिक नहीं देता है	Δ,	इस खाते में ब्याज की दर अपेक्षाकृत अधिक होती है।
5.	चेक का प्रयोग	इस खाते में चेक का प्रयोग बहुत अधिक होता है।	चेक का प्रयोग साधारणतया कम होता है।	अब कुछ बैंकों ने इस खाते में भी चेक की सुविधा देना शुरू कर दिया है। फिर भी इस खाते में चेक का प्रयोग अभी सीमित ही है।
6.	उद्देश्य	इस खाते के उद्देश्य व्यापारियों एवं उद्योगपतियों की रकम जमा करने तथा निकलाने की सुविधा प्रदान करना है।		इसका उद्देश्य ब्याज कमाना है।

